

लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA 3rd DEBATES

[ग्यारहवां सत्र]
[Eleventh Session]



[खंड 39 में अंक 21 से 30 तक हैं]
[Vol. ~~33-34~~ contains Nos. 21-30]

40
लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price • One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में
दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates
and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित	विषय	पृष्ठः
प्रश्न संख्या		
681	दिल्ली में मकानों की कमी	2793—96
682	बैंक दर में वृद्धि	2796—97
683	पोलैण्ड से सहायता	2797—2800
684	कृषि में असफलता	2800—02
685	धन कर और व्यय कर की वसूली	2802—05
686	ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलाना	2805—08
687	पेन्शनर	2808—09
688	दिल्ली में जमीनों का पट्टा	2810—11
689	बिजली की दरें	2811—12
691	झुग्गियों तथा झोंपड़ियों को हटाने की योजना	2812—13

प्रश्नों के लिखित उत्तर

690	लेडी हर्डिंग मैडिकल कालिज तथा अस्पताल	2813—14
692	उड़ीसा सरकार तथा “उड़ीसा एजेण्ट्स” के बीच सौदे	2814
693	नेताजी नगर, नई दिल्ली में पानी की कमी	2814—15
694	जीवन बीमा निगम के श्रीनगर कार्यालय में आग	2816
695	राज्य योजना संस्थायें	2816
696	आयकर की बकाया राशि	2817
697	पश्चिमी जर्मनी के उद्योगपतियों के प्रतिनिधि मण्डल की भारत यात्रा	2817
698	दिल्ली में बिजली संकट	2818
700	चिकित्सा शिक्षा के लिये वित्त व्यवस्था	2818

अतारांकित प्रश्न संख्या

1800	राजस्थान में ग्रामीण गृह-निर्माण योजना	2819
1801	सरकारी कर्मचारियों का कार्य-अध्ययन	2819

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 30—Thursday, April 1, 1965/Chaitra 11, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

<i>Starred Question Nos.</i>	<i>Subject</i>	<i>PAGES</i>
681	Scarcity of Houses in Delhi	2793—96
682	Increase in Bank Rate	2796-97
683	Aid from Poland	2797—2800
684	Failure in Agriculture	2800—02
685	Realisation of Wealth and Expenditure Taxes	2802—05
686	Linking of Brahmaputra with Ganges	2805—08
687	Pensioners	2808-09
688	Lease of plots in Delhi	2810-11
689	Electricity Rates	2811-12
691	Jhuggis and Jhopris Removal Scheme	2812-13

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

<i>Starred Questions Nos.</i>	<i>Subject</i>	<i>PAGES</i>
690	Lady Hardinge Medical College and Hospital	2813-14
692	Transactions between Orissa Government and 'Orissa Agents'	2814
693	Shortage of Water in Netaji Nagar, New Delhi	2814-15
694	Fire in Srinagar L.I.C. Office	2116
695	States Planning Bodies	2816
696	Income-Tax Arrears	2817
697	West German Industrialists Delegation's Visit to India	2817-18
698	Power Crisis in Delhi	2818
700	Financing of Medical Educations	2818
<i>Unstarred Questions. Nos.</i>		
1800	Rural Housing Scheme in Rajasthan	2819
1801	Work-study of Government Staff	2819

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1802	न्यासों तथा संस्थाओं को दान	2819
1803	कलकत्ता में सोने का पकड़ा जाना	2820
1804	सरकारी कर्मचारियों के लिये मोटरकार ऋण	2820
1805	सुनारों के लिये लाइसेंस	2820-21
1806	ग्रामीण क्षेत्र में अल्प रोजगार	2821
1807	बिजली शुल्क	2821-22
1808	नई दिल्ली में झुग्गियों का गिराया जाना	2822
1809	सिंचाई के लाभ	2822-23
1810	सरोजिनी नगर बाजार, नई दिल्ली	2823-24
1811	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के क्वार्टर	2824
1812	दिल्ली में राज्यों के एम्पोरियम	2824-25
1813	कृषि वित्त निगम	2825
1814	अमरीका से स्वास्थ्य विशेषज्ञ	2825
1815	परिवार नियोजन संस्थायें	2826
1816	कर अपवंचन	2826-27
1817	तेनूघाट में बांध	2827
1818	दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों का विकास	2827-28
1819	दिल्ली के होटलों में गोमांस का दिया जाना	2828
1820	सरकारी क्वार्टरों में बिजली के पंखे	2828-29
1821	नई दिल्ली में दो कमरे वाले सरकारी क्वार्टर	2829-30
1822	कर जांच आयोग	2830
1823	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालय	2830
1824	“आन मनी” रखने वाले प्रबन्धक	2831
1825	अहमदाबाद में गुप्त आय की घोषणा	2831
1827	परिवार नियोजन	2831
1828	प्रयोगात्मक मकानों का निर्माण	2832
1829	खायी जाने वाली गर्भ निरोधक औषधि	2832
1830	कोयला उद्योग को विश्व बैंक से ऋण	2833
1831	चेचक और हैजे का उन्मूलन	2833

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

<i>Unstarred Questions Nos.</i>	<i>Subject</i>	<i>PAGES</i>
1802	Donations to Trusts and Institution	2819
1803	Seizure of Gold in Calcutta	2820
1804	Car Loans to Government Employees	2820
1805	Licences for Goldsmiths	2820-21
1806	Under-Employment in Rural Sector	2821
1807	Electricity Duty	2821-22
1808	Demolition of Jhuggies in New Delhi	2822
1809	Advantages from Irrigation	2822-23
1810	Sarojini Nagar Market, New Delhi	2823-24
1811	Quarters in Ramakrishnapuram, New Delhi	2824
1812	States Emporia in Delhi	2824-25
1813	Agriculture Finance Corporation	2825
1814	Health Experts from U.S.A.	2825
1815	Family Planning Associations	2826
1816	Tax Evasion	2826-27
1817	Dam at Tenughat	2827
1818	Development of areas around Delhi	2827-28
1819	Serving of Beef in Delhi Hotels	2828
1820	Electric fans in Government Quarters	2828-29
1821	Two-roomed Government Quarters in New Delhi	2829-30
1822	Taxation Enquiry Commission	2830
1823	C.G.H.S. Dispensaries	2830
1824	Managers keeping 'On Money'	2831
1825	Disclosurers of concealed income in Ahmedabad	2831
1827	Family Planning	2831
1828	Construction of Experimental Houses	2832
1829	Oral Contraceptive	2832
1830	World Bank Loans to Coal Industry	2833
1831	Eradication of Small Pox and Cholera	2833

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित

प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
1832	महालेखापाल, उड़ीसा	2833-34
1833	चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा .	2834
1834	विदेशी मुद्रा सम्बन्धी षड्यन्त्र	2834-35
1835	राष्ट्रीय रक्षा के लिये रक्तदान	2835
1836	इडिक्की परियोजना .	2835
1837	इडिक्की परियोजना, केरल	2835-36
1838	उज्जैन में छापे .	2836
1839	दिल्ली में बिना छने पानी की कमी .	2836-37
1840	निर्यात व्यापार	2837
1841	पाजासी परियोजना, केरल	2837-38
1842	शराब पीने की आदतों का सर्वेक्षण	2838
1843	क्षय रोग उपचार केन्द्र	2838
1844	महालेखापाल कार्यालय, पंजाब के कर्मचारी	2838-39
1845	आयात अधिकार योजना	2839
1846	बोनस शेअर	2839
1847	बम्बई में सोने का तस्कर व्यापार	2840
1848	केरल भूमि सुधार अधिनियम	2840-41
1849	दिल्ली में आवास	2841
1850	हैजे का उन्मूलन	2841-42
1852	कोठागुडियम तापीय कारखाना	2842
1853	कस्बों और नगरों के लिये बृहत् योजनायें	2842-43
1854	श्रीसेलम परियोजना	2843
1855	सुनार	2843-44
1856	जिला प्रशासन का अध्ययन	2844
	अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	2844—49
	(एक) "सोवियत लैंड" पत्रिका में प्रकाशित भारत का मानचित्र जिसमें अक्सार्ड चिन को चीन का भाग दिखाया गया ह	2844—46
	श्री बूटा सिंह	2844
	श्री स्वर्ण सिंह	2844—46

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

<i>Unstarred Questions Nos.</i>	<i>Subject</i>	<i>PAGES</i>
1832	Accountant General, Orissa	2833-34
1833	Medical Education	2834
1834	Foreign Exchange Racket	2834-35
1835	Blood for National Defence	2835
1836	Idikki Project	2835
1837	Idikki Scheme, Kerala	2835-36
1838	Raids in Ujjain	2836
1839	Shortage of Unfiltered Water in Delhi	2836-37
1840	Export Trade	2837
1841	Pazassi Project, Kerala	2837-38
1842	Survey of Drinking Habits	2838
1843	T.B. Clinics	2838
1844	Employees of A.G.'s Office, Punjab	2838-39
1845	Import Entitlement Scheme	2839
1846	Bonus Shares	2839
1847	Gold Smuggling in Bombay	2840
1848	The Kerala Land Reforms Act	2840-41
1849	Housing in Delhi	2841
1850	Eradication of Cholera	2841-42
1852	Kothagudium Thermal Plant	2842
1853	Master Plans for Towns and Cities	2842-43
1854	Srisailam Project	2843
1855	Goldsmiths	2843-44
1856	Study of District Administration	2844
*Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance		2844—49
(i) Map of India published in 'Soviet Land' showing Aksai Chin as a part of China		2844—46
Shri Buta Singh		2844
Shri Swaran Singh		2844—46

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

(दो) शेख अब्दुल्ला और चीन के प्रधान मन्त्री के बीच मुलाकात के समाचार	2846—49
श्री हेम बरुआ	2846
श्री स्वर्ण सिंह	2846—49
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	2849—50
राज्य-सभा से सन्देश	2850
अनुदानों की मांगें	2850
वैदेशिक कार्य मन्त्रालय	2850—71
श्री विद्याचरण शुक्ल	2850—52
श्री ही० ना० मुकर्जी	2852—54
श्री हेम बरुआ	2854—55
श्रीमती रेणुका राय	2856
श्री बाकर अली मिर्जा	2856—58
श्री महेश दत्त मिश्र	2858—59
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद	2859
श्री फ्रैंक एन्थनी	2859—61
श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित	2861
श्री रवीन्द्र वर्मा	2861—63
श्री दि० ना० सिंह	2863—64
श्री प्रकाश वीर शास्त्री	2864—65
श्री स्वर्ण सिंह	2865—71
असैनिक उड्डयन मन्त्रालय	2871
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	2871—73
श्री फतहसिंहराव गायकवाड़	2873
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा	
श्री ओंकार लाल बेरवा	
श्रीमती यशोदा रेड्डी	

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC
IMPORTANCE—*contd.*

<i>Subject</i>	<i>PAGES</i>
(ii) Reported meetings between Sheikh Abdullah and the Chinese	
Prime Minister	2846—49
Shri Hem Barua	2846
Shri Swaran Singh	2846—49
Papers laid on the Table	2849-50
Message from Rajya Sabha	2850
Demands for Grants	2850
Ministry of External Affairs	2850—71
Shri Vidya Charan Shukla	2850—52
Shri H. N. Mukerjee	2852—54
Shri Hem Barua	2854-55
Shrimati Renuka Ray	2856
Shri Bakar Ali Mirza	2856—58
Shri Mahesh Dutta Misra	2858-59
Shri Brajeshwar Prasad	2859
Shri Frank Anthony	2859—61
Shrimati Vijay Lakshmi Pandit	2861
Shri Ravindra Varma	2861—63
Shri D. N. Singh	2863-64
Shri Prakash Vir Shastri	2864-65
Shri Swaran Singh	2865—71
Ministry of Civil Aviation	2871
Shri Narendra Singh Mahida	2871—73
Shri Fatehsinhrao Gaekwad	2873
Shrimati Jyotsna Chanda	
Shri Onkar Lal Berwa	
Shrimati Yashoda Reddy	

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 1 अप्रैल, 1965/11 चैत्र, 1887 (शक)

Thursday, April 1, 1965/Chaitra 11, 1887 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER in the Chair }

अध्यक्ष महोदय : यह दुख की बात है कि ग्यारह बजे सभा में प्रवेश करते समय मैं सभा में गणपूर्ति का अभाव पाता हूँ। अतः मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसे अनुभव करें और ठीक ग्यारह बजे सभा में उपस्थित रहने की कृपा करें।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में मकानों की कमी

+
* 861. { श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री श्रींकारलाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बूटा सिंह :
श्री युद्धवीर सिंह :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये मकानों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो तिसरी योजनावधि के अन्त तक सरकार कितने मकान बनायेगी ;

(ग) राजधानी में मकानों की भारी कमी दूर करने के लिये सरकार ने कौन सा अस्थायी कार्यक्रम बनाया है ; और

(घ) उस पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 10,400 जिनमें से 6000 तैयार हो चुके हैं और 4,400 बनाये जा रहे हैं । लगभग 4000 और मकानों की मंजूरी है ।

(ग) और (घ) दिल्ली के जनरल पूल में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सारी वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए मकानों को बनाने के लिए लगभग 63 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । निधियों (फण्ड्स) की उपलब्धि के अनुसार निर्माण के कार्यक्रम को कई वर्षों में फैला दिया जायेगा ।

Shri Yashpal Singh : Members of Parliament should be provided more accommodation according to their need and status for which they are prepared to pay more rent.

Mr. Speaker : The question is regarding accommodation for Government servants.

Shri Yashpal Singh : We are also Government servants.

Shri Mehr Chand Khanna : All Members of Parliament have been allotted accommodation. Recently we have constructed Ballabhbai Patel House. Decision in respect of its rent has already been taken. I am to send a letter to the Speaker in a day or two . . .

Mr. Speaker : It will be better if the hon. Minister informs the House just now as the decision about the rent.

Shri Mehr Chand Khanna : With your permission Sir, I will lay a statement on the table of the House tomorrow as the exact figures are not available with me at present.

Shri Yashpal Singh : That is a Hostel.

The quarters for lower categories of employees, construction of which was completed two years back, could not be allotted due to lack of arrangements of water and electricity. May I know the time by when these arrangements will be made?

Shri Mehr Chand Khanna : It is not correct. All the quarters constructed by us have been allotted only there is some scarcity of water in Ramakrishnapuram. 800 or 900 quarters which are almost ready will be allotted within two months after making necessary arrangements for supply of water there. I also feel sorry to see that water is not being made available to those quarters which are ready.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि दिल्ली में इस समय लगभग 62,800 सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास नहीं मिला है ; यदि हां, तो क्या उन्हें चौथी पंचवर्षीय योजना में कम से कम दो कमरों वाले मकान देने की कोई योजना है तथा चौथी योजना में कितने क्वार्टर बनाये जाने की संभावना है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह सच है कि दिल्ली में लगभग एक लाख मकानों की आवश्यकता है जब कि हमारे पास पूल में केवल 35,000 मकान है, इस प्रकार लगभग 65,000 मकानों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इस बीच हमने दो बातें की हैं। पहली बात यह की कि भविष्य में केवल निचली श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान बनाये जायेंगे क्योंकि उनके लिए ही मकानों की अधिक कमी है। पुनरीक्षित वर्गीकरण के अनुसार इस समय 8 श्रेणियां हैं। भविष्य में 1 से 4 श्रेणी तक के मकान बनाये जायेंगे। दूसरा निर्णय यह कि या है कि भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को, जो श्रेणी एक के मकान पाने के हकदार हैं, दो कमरों वाले मकान दिए जायेंगे !

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री बनर्जी का प्रश्न था कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने क्वार्टर बनाए जायेंगे ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए नियत राशि 25 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 80 करोड़ रुपये की गई है।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether funds allocated for purposes of advancing house building loans have been fully utilized?

Shri Mehr Chand Khanna : So far as loans to the Government employees for house building purposes are concerned, they are advanced from Special housing Scheme through their respective state Governments. This question only relates to those which are built by the centre itself.

Shri Hukam Chand Kachhavaia : Government employees coming to Delhi from various States face much difficulty regarding their accommodation. May I know whether Government contemplate to construct multi-storeyed buildings keeping in view the said difficulties?

Shri Mehr Chand Khanna : The reply of first part of the question is in affirmative. Employees coming from outside have to wait for Government accommodation for a pretty long time because in the past we did not have a bulk construction of quarters. Now we propose to start bulk construction. I have already stated on the floor of the House that we are undertaking multi-storeyed construction work for residential and official accommodation.

Shri Yudhvir Singh : May I know whether Government are preparing any scheme to advance loans, to allot land and to provide necessary house building facilities to the Government employees keeping in view the acute shortage of accommodation in Delhi for them; if not, whether Government propose to prepare such scheme in future?

Shri Mehar Chand Khanna : We have schemes for low income groups, middle income groups and for Government servants also for which loans are advanced to them but there are advanced through Delhi Administration and I find no difficulty in it.

Shri R. S. Tiwary : The acute shortage of houses in Delhi is not only for Government servants but it is for others also. May I know whether the cooperative societies which . . .

Mr. Speaker : Please confine it to the Government servants only.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या एक सरकारी कर्मचारी द्वारा दूसरे सरकारी कर्मचारी को मकान किराये पर देने की मनाही है और क्या उन्हें मिलने वाला किराया बहुत कम है ?

अध्यक्ष महोदय : हमें इस समय किराए पर दिए जाने की बात नहीं उठानी चाहिए ।

बैंक दर में वृद्धि

+

*682. { श्री विभूति मिश्र :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री क० ना० तिवारी

क्या वित्त मंत्री 26 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 205 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित बैंकों द्वारा बैंक दर में की गई वृद्धि के प्रति विनियोजकों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) क्या ऋण लेने वालों पर बैंक दर में वृद्धि होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

योजना मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जिन कारणों से बैंक दर और व्याज की दूसरी दरें बढ़ायी गयी हैं वे पहले ही विस्तारपूर्वक बता दिये गये हैं । इस लिये ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं कि निवेशकों की प्रतिक्रिया प्रतिकूल हुई है या अनुकूल नहीं हुई है ।

(ख) जी नहीं । फिर भी आशा है कि ऋण और अग्रिम केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए दिये जायेंगे जो बहुत आवश्यक होंगे तथा अन्य सभी कार्यों के लिए ऋण की रकम उचित रूप से कम कर दी जायगी ।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that as a result of increase in bank rate people take less loans for investment in industries and therefore, industries are facing difficulties ?

Shri B. R. Bhagat : Industries are not facing any difficulty. People who take loan for unproductive purposes may not do so. Special provisions have been made to give loan for running industries.

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that prices of industrial goods have increased on account of increase in bank rate and the consumers are facing hardship to go in for those goods ?

Shri B. R. Bhagat : Bank rate was increased recently and it is difficult to say at this stage that to what extent the prices will increase.

श्री विश्वनाथ राय : क्या बैंक दर बढ़ाने से पहले कृषि कार्यों के लिए दिए जाने वाले ऋण पर भी विचार किया गया था और यदि हां, तो क्या अनाज की कमी को देखते हुए कृषि कार्यों के लिए ऋण लेने वाले किसानों को कुछ सुविधाएं दी जाएंगी ?

श्री ब० रा० भगत : इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार बड़े उद्योगों, मध्यम दर्जे के उद्योगों और लघु उद्योगों की आवश्यकतानुसार ऋण देती है अथवा केवल बड़े उद्योगों को ही ऋण दिया जाता है ?

श्री ब० रा० भगत : सरकार कोई ऋण नहीं देती है। बैंक ही ऋण लेने वाले सभी प्रकार के लोगों के हितों का ध्यान रखते हैं।

श्री श्यामलाल सराफ : क्या सरकार ने बैंक जमा राशि के रूप में लगाई गई पूंजी के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित किए हैं ? क्या यह सच है कि वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा, विशेष रूप से परिवहन उद्योग द्वारा, विनियोजन में बहुत कमी हुई है ?

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : बैंक में जमा राशि के बारे में हमारे पास जानकारी है। जमा राशि में वृद्धि हो रही है। किन्तु जहां तक कि विशेष उद्योग द्वारा जमा राशि का सम्बन्ध है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें समय चाहिए।

श्री शिंकरे : क्या यह सच है कि बैंक दर बढ़ जाने के परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ जाने से निर्वाह व्यय बढ़ गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय निर्वाह व्यय को बढ़ने से रोकने के लिए कोई कदम उठाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य का कहना किसी हद तक ठीक हो सकता है। किन्तु वर्तमान वित्त नीति से मूल्य कम होंगे और मैं समझता हूं कि कुछ वस्तुओं के मूल्य कम हुए हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या अनुसूचित बैंकों के लिए कानूनी अथवा नैतिक रूप से यह आवश्यक है कि वे सावधि जमा राशि पर खाते दारों को बढ़े हुए दर से ब्याज दें ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे विचार से उन पर कोई कानूनी अथवा नैतिक उत्तरदायित्व नहीं है। किन्तु अनुसूचित बैंक अपने हितों का ध्यान रखते हैं अतः वे माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त विचारों का अनुसरण करते होंगे।

श्रीमती रामबुलारी सिन्हा : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंक दर बढ़ाने से विनियोजन द्वारा सरकार को कितना लाभ हुआ है तथा ऋण लेने वाले लोगों को कितनी हानि उठानी पड़ी है और यदि हां, तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका कुल क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हम चाहते हैं कि जो लोग अनावश्यक कार्यों के लिए ऋण लेते हैं वे ऋण न लें। उनके ऋण लेने पर कोई प्रतिबन्ध होना चाहिए।

पोलैण्ड से सहायता

- +
- श्री दी० चं० शर्मा :
 श्री यशपाल सिंह :
 श्री स० मो० बनर्जी :
 श्री भागवत झा आजाद :
 श्री प्र० चं० बहग्रा :
 श्री रामेश्वर टांटिया :
 *683. श्री विभूति मिश्र :

श्री क० ना० तिवारी :

श्री हिम्मत्सिंहका :

श्री रा० बरुआ :

श्री ल० ना० भंजदेव :

श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैण्ड से अधिक वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के लिए जनवरी, 1965 में नई-दिल्ली में हुई वार्ता का कोई परिणाम निकला है ; और

(ख) यदि हां, तो सहायता की शर्तें क्या हैं तथा यह सहायता किस किस परियोजना के लिए उपयोग में लाई जायेगी ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख). जी, हां। पोलैण्ड से बिजली घर का साजसामान मंगाने के लिए 10.5 करोड़ रुपये तक की रकम के ऋण के लिए एक करार पर 25 जनवरी, 1965 को हस्ताक्षर किये गये। इस साजसामान में 125-125 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले दो एकक और तत्सम्बन्धी सेवाएं शामिल हैं। करार की एक प्रति संसद् के पुस्तकालय में पहले ही रख दी गयी है। इस ऋण पर ब्याज की दर 2½ प्रतिशत प्रतिवर्ष है। ऋण 12 वर्षों में चुकाया जाना है और उसकी पहली किस्त की अदायगी बिजली पैदा करने वाले प्रत्येक एकक को चालू करने के लिए आवश्यक मशीनों और साजसामान की आखिरी किस्त के आने के एक वर्ष बाद की जानी है। मूल और ब्याज चुकाने के लिए जो रकम दी जायगी उसका इस्तेमाल पोलैण्ड भेजी जाने वाली भारतीय वस्तुओं की खरीद के लिए किया जायगा।

श्री दी० चं० शर्मा : हमने पोलैण्ड का कुल कितना ऋण, नये तथा पुराने करारों के अनुसार, देना है, तथा पुराने ऋणों का ब्याज कितना है और उसमें हम अब तक कितना दे चुके हैं ?

श्री ब० रा० भगत : पहले 29.80 करोड़ रुपये के ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए गये थे। ये 10.5 करोड़ों रुपये के ऋण के अतिरिक्त हैं। पहले दोनों ऋणों पर ब्याज दर 2½ प्रतिशत है। यह बताने के लिए कि अब तक कुल कितना ब्याज हुआ है, मुझे समय चाहिए।

श्री दी० चं० शर्मा : पोलैण्ड द्वारा दी जाने वाली तकनीकी सहायता की शर्तें क्या हैं और इस तकनीकी सहायता का उपयोग उद्योगों के लिए किया जायेगा किसी अन्य क्षेत्र में ?

श्री ब० रा० भगत : तकनीकी सहायता के सम्बन्ध में कोई शर्त नहीं है। हमें केवल बिजली पैदा करने के लिए कारखाना बनाने में तथा संयंत्र स्थापित करने के लिए कुछ तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी।

Shri Yashpal Singh : The hon. Food and Agriculture Minister stated in this House a few days ago that India has 40,000 tractors out of which about 20,000 are out of order. May I know whether Government propose to import tractors from Poland to meet the shortage?

Shri B. R. Bhagat : It does not relate to the main question.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या हमारे देश से विशेषज्ञों का एक दल पोलैंड जायेगा, और यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णामाचारी) : मेरी जानकारी के अनुसार किसी विशेषज्ञ दल के पोलैंड जाने का प्रस्ताव मंत्रालय के सामने नहीं है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : जनरेटर की कुल लागत कितनी है तथा तकनीकी सेवायें प्राप्त करने के लिए कितने ऋण का उपयोग किया जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : व्यौरा प्राप्त होने पर ही हम जानकारी दे देंगे ।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister has just stated that a loan of Rs. 30 crores has already been taken and a part from that a loan amounting to Rs. 10.25 crores also is being taken for power generation. May I know the extent to which this power generation will add to the wealth of the nation or it will be used for domestic purposes only which will not enable us to repay the loan?

Shri B. R. Bhagat : All these points are kept in view. It is utilised to increase the wealth.

Shri Bibhuti Mishra : My question has not been answered. I wanted to know the extent to which this loan would increase the wealth of the nation?

Mr. Speaker : Your question is alright but it is difficult for the hon. Minister to state the extent to which it will increase the wealth of the nation.

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Sir, when we take a loan for certain purpose we consider all the factors such as the way in which it is to be utilised, the assessment of its possible return and the time by when it might be repaid. The hon. Minister who is answerable to the House should be in a position to state the extent of wealth it may likely increase and the period by which it may be repaid.

Mr. Speaker : It is very difficult for him to state all about this.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार उन पूर्वी यूरोपीय देशों के बारे में, जो चीन-रूस विवाद अथवा भारत-चीन सीमा विवाद के मामले में चीन के साथ हैं

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत आपत्तिजनक है । हमें मित्र देशों के लिए "गैंग्ड अप" शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : इसमें आपत्तिजनक बात क्या है ? "गैंग्ड अप" शब्द पूर्णतः संसदीय है । वे चीन के साथ मिले हुए हैं । इसका तात्पर्य गुण्डों के गिरोह से नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : "गैंग्ड अप" हमेशा बुरे अभिप्राय के लिए प्रयोग होता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : चीन हमारा शत्रु है । वे चीन से मिल गये हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मेरी बात न सुनकर अपना ही तर्क देते जा रहे हैं । इस समय हम पोलैंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं । यह सभी जानते हैं कि पोलैंड हमारा मित्र देश है । अतः उसके प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना वांछनीय नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने पोलैंड का कर्तई उल्लेख नहीं किया । क्या सरकार ने अल्बानिया जैसे देशों से जो चीन के साथ मिले हुए हैं, लेन देन समाप्त करने का निर्णय किया है और यदि नहीं तो उस के क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Sheo Narain : May I know the purposes for which the loan amounting to Rs. 40 crores from Poland will be utilised and the returns it would yield ?

Shri B. R. Bhagat : The whole amount of loan has been spent on power generation, however decision regarding location of two power stations of 125 M.W. each and utilisation of power will be taken later.

श्रीमती सावित्री निगम : जब हम उनसे मशीनें ले रहे हैं और उनके मूल्य पर ब्याज भी दे रहे हैं, फिर इसको 'पोलैंड से सहायता' नाम से क्यों पुकारा जाता है ?

श्री ब० रा० भगत : यह सहायता इसलिए है कि भुगतान करने के लिए हमें विदेशी मद्रा चाहिए ।

कृषि में असफलता

+

*684. { श्री यशपालसिंह :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा 26 दिसम्बर, 1964 को भारतीय कृषि अर्थशास्त्र संस्था के सम्मेलन में दिए गए उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र में असफलता के लिए उद्योगों को उत्तरदायी ठहराया है ;

(ख) क्या सरकार ने उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में इस घोर असफलता की ओर ध्यान दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये जायेंगे ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) अपने अध्यक्षीय भाषण में, आयोग के उपाध्यक्ष ने अन्य बातों के मध्य यह भी कहा कि दूसरी तथा तीसरी योजना के दौरान, कृषि कार्य के सीमित होने के कारणों में से एक यह भी है कि उद्योग, कृषि के लिए सामग्री उत्पादन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) उर्वरक की अत्यधिक कृषि कार्य के लिये मशीनरी और अन्य उद्योगों की स्थिति को निरन्तर ध्यान में रखा जा रहा है और जल्दी से जल्दी उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government have ever kept in view that Indian farmer is not lagging behind in intelligence and need of the time is to make him available necessary facilities such as supply of manures and tractors; but Government are making researches which was not required? Government had to pay Rs. 200 crores for importing food-grains from abroad, and Government have ever thought that if they had given Rs. 10 crores to Indian farmers in the form of subsidy, India would have become self sufficient in foodgrains?

Shri B. R. Bhagat : The hon. Member has his own views, I do not know how to answer it.

Mr. Speaker : Is it not possible for the hon. Minister to state whether this aspect has been considered?

पुनर्वास मन्त्री (श्री त्यागी) : जी हां ।

Shri B. R. Bhagat : Yes Sir, we have considered it.

Shri Yashpal Singh : The Deputy Chairman of Planning Commission has held the industry responsible for failure in agriculture. May I know whether Government have considered to explore the possibility of using waste lying in villages as manures for agricultural purposes and whether Government also propose to extend agricultural facilities and assistance to farmers.

Shri B. R. Bhagat : We are making every effort to utilise the compost or natural manures.

Shri Sidheshwar Prasad : All the Ministers who held the Port Folio of Food and Agriculture held the nature responsible for failure in agriculture as the farmer have to depend on it, but the Deputy Chairman of the Planning Commission has stated that the reason for failure in agriculture is lack of arrangements with regard to the supply of agricultural equipment etc. May I know whether the Minister of Planning proposes to appoint a Commission to examine the factors responsible for the failure in agriculture and suggest measures to develop and expand it?

वित्त मंत्री (श्री ति० ति० कृष्णामाचारी) : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य तभी संतुष्ट होंगे जब कि मैं उपाध्यक्ष महोदय के शब्दों में ही इसका उत्तर दूँ। उन्होंने कृषि में असफलता के कारण बताते हुए कहा था कि इसका तात्पर्य ऐसे दृष्टिकोण को बनाये रखना है जो इस कठिन कार्य में विश्लेषण करने में सहायक हो ।

Shri Raghunath Singh : Small tillers and tractors are required for agriculture which may be within the means of common man. May I know whether Government have any such scheme with a view to increase the agricultural production?

Shri B. R. Bhagat : Efforts are being made to manufacture such agricultural equipment and some States have already started to manufacture them.

श्री रंगा : हाल में कृषि मंत्री जी ने कहा था कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण हम पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि योजना आयोग

भूतपूर्व खाद्य मंत्री के इस आश्वासन को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रहा है कि प्रत्येक राज्य में एक उर्वरक कारखाना खोला जायेगा तथा देश जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो जायेगा उर्वरकों का आयात किया जायेगा ।

श्री ब० रा० भगत : हाल में हमने उर्वरकों के आयात के लिए अधिक विदेशी मुद्रा नियत की थी । उपलब्ध साधनों के अनुसार उर्वरकों के आयात को सब से अधिक प्राथमिकता दी जा रही है ।

श्री रंगा : यह काफी नहीं है ।

श्री ब० रा० भगत : देश में अधिक से अधिक उर्वरक कारखाने खोलने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं । यह ठीक है कि पहले प्रत्येक राज्य में एक उर्वरक कारखाना खोलने का प्रस्ताव था किन्तु अब हमने यह निश्चय किया है कि प्रत्येक राज्य में छोटे छोटे कारखाने स्थापित करने के बजाय बड़े कारखाने खोले जायें जिससे लागत मूल्य कम आये । हम इसी बात पर इस समय विचार कर रहे हैं ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : कृषि उत्पादन में कमी सरकारी क्षेत्र की असफलता के कारण हुई है अथवा गैर सरकारी क्षेत्र की असफलता के कारण ?

श्री ब० रा० भगत : इस पर भिन्न भिन्न राय हो सकती है । जहां तक उर्वरकों के उत्पादन का प्रश्न है यह सच है कि गैर सरकारी क्षेत्र को कुछ लाइसेंस दिये गये थे किन्तु वे सफल नहीं हो सके ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या असफलता से प्राप्त कटु अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सौंपे गये कार्य के लिए किसी व्यय को उत्तरदायी ठहराने के लिए कोई तरीका निकाला है ?

श्री ब० रा० भगत : यह सतत प्रक्रिया है और हम सब को इस पर नियंत्रण रखना होगा ।

श्री लहरी सिंह : क्या सरकार गोबर को ईंधन के रूप में जलाने से रोकने के लिए कोई कानून बना रही है ?

श्री ब० रा० भगत : यह राज्य सरकारों का कार्य है ।

धन कर और व्यय कर की वसूली

+

- * 685. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री स० भो० बनर्जी :
श्री यशपालसिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री श्रींकार लाल बेरवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय वर्ष 1964-65 के पहले नौ महीनों में आय कर, धन कर, दान कर और व्यय कर से (अलग अलग) राजस्व काफी कम मात्रा में वसूल हुआ ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में की गई वसूली पिछले वर्ष की इसी अवधि में की गई वसूली से कम है या अधिक ; और

(ग) वसूली में कमी होने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) आयकर और दानकर के विषय में कोई कमी नहीं थी लेकिन 1964-65 के पहले 9 महीनों के दौरान वसूलियों में धनकर और व्यय कर में थोड़ी सी कमी थी ।

(ख) वसूलियों के तुलनात्मक आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

	1964-65	1963-64
	(करोड़ रुपयों में)	
1. आयकर	328.98	300.01
2. दानकर	.95	.62
3. धनकर	2.33	2.90
4. व्ययकर	.03	.07

(ग) धन कर और व्यय कर की वसूली में कमी का यह कारण था कि वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में आयकर अधिकारी आयकर से सम्बन्धित मामलों को अधिक महत्व दे रहे थे क्योंकि यह आयकर विभाग के राजस्व का मुख्य स्रोत था ।

दूसरे प्रत्यक्ष करों को भी उचित महत्व देने के लिए सभी पदाधिकारियों को हिदायतें जारी कर दी गयी हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : यह पेचीदगियां इस बात के लिये कहाँ तक उत्तरदायी हैं कि लोग कर निर्धारण से बचते हैं और कर निर्धारण के ढांचे को सरल बनाने के लिये क्या किया जा रहा है ताकि वह साधारण कर देने वाले की समझ में भी आ जाये ?

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इस बजट सत्र की अवधि में इस दिशा में कुछ किया जा रहा है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : अभी पिछले दिनों वित्त मंत्री जी ने कहा था कि जहाँ तक व्यक्तिगत कर का सम्बन्ध है, वह यहाँ सब से अधिक है । क्या भिन्न भिन्न प्रकार के तथा जटिल कर का जो यह ढांचा है, वह ईमानदार करदाताओं को भी बेईमान बनाने में उत्तरदायी नहीं है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह तो अपने अपने विचार की बात है । सरकार दूसरे मत की है ।

Shri Prakash Vir Shastri : Have Government tried to know that the realisation of taxes mentioned in this question is necessary and are government not getting them because income-Tax officers are in collusion with tax evaders.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं इस बात का खण्डन करता हूँ कि आयकर अधिकारी करदाताओं के मिले हुए हैं ताकि वे कर न देवें ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : The officers are not successful in realising taxes. Are Government thinking of some method by which taxes may also be realised direct from the people and there intermediaries may be removed?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : दूसरे कर इसलिये नहीं वसूल किये जा सके क्योंकि अधिकारी आयकर जो कि बकाया रह रहा था उसे वसूल करने में लगे हुए थे । अब दूसरे करों पर ध्यान दिलाने के लिये भी उनसे कह दिया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिस से आयकर कानून सरल बन जावे और मुकदमेबाजी कम हो जावे और फिर अधिक कर वसूल किये जा सकें?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हम तो इसे सरल बनाने में यही कर सकते हैं कि कर की दरों को सरल किया जावे और वह किया जा रहा है । पिछले दिनों मैंने कहा था कि उस व्यक्ति को इनाम दिया जावेगा जो इस सम्बन्ध में नमूने का अधिनियम बनावेगा ।

Shri Yashpal Singh : Those agriculturists who do not pay even Rs. 5 of revenue are put behind the bars. Are Government thinking of enacting a similar legislation for those who do not pay wealth tax and expenditure tax.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : दूसरे करों के बकाया कर भी वैसे ही वसूल होते हैं जैसे भूमि की मालगुजारी वसूल की जाती है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaia : How many cases are pending and on what grounds concession in tax was given to Agha Khan?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का उत्तर मैं राज्य सभा में दे चुका हूँ । जो विचाराधीन प्रश्न है, उसके लिये मुझे सूचना चाहिये ।

Shri Onkar Lal Berwa : In some States the employees are sitting idle and no cases come to them. I want to know the names of such states?

श्री ब० रा० भगत : हमें इस प्रश्न के लिये सूचना चाहिये ।

श्री हरि बिष्णु कामत : पिछले सत्र में मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया था कि वे उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री पटनायक के उस बयान के बारे में आयकर अधिकारियों द्वारा जांच करवायेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि उसने 10 वर्षों में 10 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है और इसी प्रकार काफी रुपया मनीआर्डरों द्वारा श्री बीरेन मित्र के पास आया है । क्या आयकर अधिकारियों ने वह जांच कर ली है तथा उन्होंने जो रुपया इकट्ठा किया है क्या उस पर आयकर लगेगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : प्रश्न के पहले भाग के बारे में तो मुझे समय चाहिये और दूसरे भाग के बारे में मैं और अधिक सूचना प्राप्त करूंगा ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : धन कर तथा व्यय करों की वसूली में कितनी कमी हुई है और किन किन राज्यों से हमें अधिक धन प्राप्त हो रहा है ?

श्री रामेश्वर साह : मुझे इसके लिये पृथक सूचना चाहिये ।

डा० रानेन सेन : यह सब जानते हैं कि बड़े बड़े पूंजीपति दो प्रकार के खाते रखते हैं ताकि आयकर से बच जावें । क्या सरकार ने इस प्रकार के कार्य को रोकने के लिये कुछ किया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य के पास कोई इस प्रकार की सूचना हो तो वे मेरे पास भेज दें ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सत्य है कि 1962 के पश्चात् से आयकर में 141 बार संशोधन हो गये हैं जिसके कारण आयकर कलक्टरों के सामने समस्या खड़ी हो गई है और कर-दाताओं को भी परेशानी है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां तक आयकर अधिकारियों का सम्बन्ध है, उनके सामने इस कारण कोई जटिल समस्या नहीं है । यही परिस्थिति आयकर देने वालों की है । जहां तक 141 बार संशोधन की बात है, इसका उत्तर मैं पता करके बताऊंगा ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या यह सच है कि आयकर अधिकारियों के पास आधिकारिक कार्य होने के कारण धन कर तथा व्यय कर की वसूली में कमी हो गई है ? यदि हां, तो क्या आयकर अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जावेगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : एक वर्ष में आयकर विभाग ने 6 लाख निर्वायों (असेसीज) और बढ़ा लिये हैं और इस समय उनकी संख्या 20 लाख के लगभग है । यह सच है कि हमारे पास अधिकारियों की कमी है और मंत्रालय उनकी अधिक भर्ती के बारे में सम्बन्धित प्राधिकारी से बात कर रहा है ।

ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलाना

*686. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलाने वाली प्रस्तावित नहर के बारे में क्या प्रगति हुई है ;
- (ख) प्रस्तावित नौपरिवहन नहर कितनी नदियों को मिलायेगी ;
- (ग) नदियों को नियंत्रित करने तथा उत्तर बंगाल में इन नदियों की बाढ़ से होने वाली हानि को कम करने के लिये क्या उपाय निकाले गये हैं ;
- (घ) क्या यह नई नहर पाकिस्तानी क्षेत्र में होकर नहीं जायेगी ; और
- (ङ) क्या लिंक नहर के प्रयोग से परिवहन व्यय में होने वाली बचत की दृष्टि से इस परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में विचार किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) चूंकि अब तक किए गए अनुसन्धानों से पता चला है कि सम्पर्क नहर की लागत बहुत अधिक है, इसलिये और वैकल्पिक अनुसन्धान किये जा रहे हैं। स्कीम को आवश्यक चरणों में बांटने के लिये भी विचार किया जा रहा है।

(ख) जिन महत्वपूर्ण नदियों में से नौपरिवहन नहर गुजरेगी वे दाईं ओर में महानन्दा नदी और बाईं ओर में जलढाका, तोर्सा, रायडक और संकोश नदियां हैं।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[युस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4120/65]

(घ) जी, हां।

(ङ) आर्थिक व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन अभी नहीं किए गए हैं। ये अध्ययन पूरा (क) में बताए गए अनुसन्धानों और अध्ययनों को पूरा करने के पश्चात् किए जायेंगे।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : अब तक के अध्ययन के आधार पर क्या सरकार बता सकती है कि इस कार्य में कितना धन लगेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : अब तक जो प्रारम्भिक जांच की गई है उनके आधार पर इस पर 320 करोड़ रुपया व्यय आवेगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार की स्वयं तसल्ली हो गई है कि इतना बड़ा कार्य फरक्का बांध के शीघ्र बनने के रास्ते में रुकावट नहीं डालेगा ?

डा० कु० ल० राव : इसका फरक्का बांध से सम्बन्ध नहीं है। वह तो इसके बिना भी पूर्ण किया जावेगा। इस समय तो हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि इस कार्य को कुछ भागों में बांट कर तथा इसे फुछ घटा कर पूर्ण करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समय बंगाल तथा आसाम के बीच जो अन्तर्देशीय जलमार्ग है उसका मार्ग पाकिस्तान के बीच से है। क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस नहर के कार्य पर काम आरम्भ हो जावेगा और साथ ही जो 20 करोड़ रुपया हम पाकिस्तान को प्रति वर्ष देते हैं इसका भी इसमें ध्यान रखा जावेगा ?

डा० कु० ल० राव : जो माननीय सदस्य ने कहा है वह महत्वपूर्ण है और जब इसके आर्थिक पहलू को जांचेंगे तो इस पर ध्यान दिया जावेगा।

Shri Vishwa Nath Pandey : Is the scheme to connect Brahmaputra and Ganges irrigation-cum-electricity-cum-navigation scheme? If so, what will be the capacity of irrigation and electricity production and how much goods will be sent from Assam to Bengal through this navigation channel? How much money will be spent on it and when will it be completed?

डा० कु० ल० राव : सिंचाई योजना कोई 30 लाख एकड़ के लिये है और विजली लगभग 200 किलोवाट होगी। यह योजना कब आरम्भ की जावेगी अथवा समाप्त होगी, यह तो और अध्ययन पर निर्भर होगी कि क्या हम इसे अधिक सस्ता बना सकते हैं।

श्री स० बं० सामन्त : क्या चौथी योजना में पांचों तंग करने वाली नदियों को ठीक कर लिया जावेगा और 777 लाख रुपये में से कितना पहले ही व्यय किया जा चुका है।

डा० कु० ल० राव : विवरण में दिये गये 7.75 करोड़ रुपये में से 3.5 करोड़ रुपये तो दूसरी योजना के दूसरे वर्ष तक व्यय कर दिये थे और बाकी राशि भी खर्च कर दी जावेगी। चौथी योजना के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार ने 58 योजनायें प्रस्तुत की हैं जिन पर 8.5 करोड़ व्यय होगा। चौथी योजना में कितना कार्य लिया जावेगा, इसके बारे में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है।

श्री जे० ना० हजारिका : इस विवरण में कुछ ऐसी जलकीय संरक्षण योजनाएँ भी हैं जो बंगाल के नगरों को बचावेगी। आसाम में कौन सी योजनाएं आरम्भ की जाएंगी और उन पर कितना व्यय होगा।

डा० कु० ल० राव : इस प्रश्न का सम्बन्ध उन नदियों से है जिन्हें उत्तरी बंगाल में यह नहर पार करेगी। जहां तक आसाम का सम्बन्ध है इस नहर को बहुत नदियां पार नहीं करनी होंगी और इसलिये बहुत कठिनाइयां नहीं होंगी।

श्री बसुमतारी : क्या इस योजना को पूर्ण करने के लिये कोई लक्ष्य तिथि निश्चित की हुई है ?

डा० कु० ल० राव : यह कहना बहुत कठिन है क्योंकि अभी इस पर वित्तीय जांच करनी बाकी है।

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय ने कहा कि क्योंकि इस कार्य पर अधिक रुपया व्यय होगा इसलिये वह दूसरी योजनाओं पर विचार कर रहे हैं। वह कौनसी दूसरी योजना है जिस पर विचार हो रहा है ?

डा० कु० ल० राव : दूसरी वैकल्पिक योजनायें तो केवल नहर के आकार को कम करने के लिये हैं तथा महानन्दा और जलढाका के कुछ भागों को नहर की बजाय उपयोग में लाने के लिये था।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : बम्बई के एक भूतपूर्व चीफ इंजीनियर ने केन्द्रीय सरकार के पास एक ऐसी योजना भेजी थी जिस से गंगा से लेकर कावेरी तक की नदियों को मिलाया जा सके। क्या मैं जान सकता हूं कि उस योजना का क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : यह भिन्न प्रश्न है।

श्री श्रीनारायण दास : वह कौनसा अभिकरण है जो इसकी जांच कर रहा है और क्या यह सत्य है कि इस अभिकरण के पास इस कार्य के लिये काफी अधिकारी नहीं हैं ?

डा० कू० ल० राव : इस कार्य की खोज केन्द्रीय पानी जल तथा विद्युत आयोग कर रहा है जो कि सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय के साथ मिलाई हुई है ।

पेंशनर

+

*687. { श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या बित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 सितम्बर, 1964 से सेना के पेंशनरों को अधिक पेंशन मिल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के असैनिक पेंशनरों की पेंशनों में भी यह वृद्धि की जायेगी ?

योजना मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सबाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि सैनिक पेंशनरों को वेतन उन वर्गों के हिसाब से मिलते हैं कि उनके पदनिवृत्ति की तिथि क्या है न कि इस बात से कि वे किस पद पर हैं अथवा उनका अन्तिम वेतन क्या होगा ?

श्री ब० रा० भगत : 1961 में सैनिक कर्मचारियों के वेतनक्रम पुनरीक्षित किये गये और उस समय यह सब बातें ध्यान में रखी गई थीं । वास्तव में निवृत्ति की तिथि महत्वपूर्ण है परन्तु तीन वर्ष का औसत वेतन ध्यान में रखा जाता है ।

श्री कपूर सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला । यदि कोई मेजर आज पदनिवृत्त होता है अथवा तीन वर्ष पूर्व पदनिवृत्त होता है अथवा तीन वर्ष बाद पदनिवृत्त होता है तो उनके पेंशनक्रम भिन्न भिन्न होंगे ? इसका कारण क्या है ?

श्री ब० रा० भगत : इसके लिये मुझे नोटिस चाहिये ।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या मैं जान सकता हूँ कि जो सुविधाएं एल० डी० सी० अथवा यू० डी० सी० को केन्द्रीय सचिवालय में मिलती हैं वे सेना में कार्य करने वाले असैनिक कर्मचारियों को भी मिलती हैं ?

श्री ब० रा० भगत : इसके लिये मुझे नोटिस चाहिये क्योंकि मेरे पास पूरा ब्यौरा नहीं है ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को कोई ऐसी योजना है जिसके अनुसार पेंशन भी निवृत्ति व्यय के साथ-साथ अपने आप समाभोजन होती रहे ।

श्री ब० रा० भगत : जी, नहीं ।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न के (ब) भाग में मंत्री महोदय ने "नहीं" कहा है । क्या निर्वाह व्यय के बढ़ते हुए असैनिक कर्मचारियों की पेंशन का पुनरीक्षण किया जावे, विशेषकर तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जो पदनिवृत्त हो चुके हैं ?

श्री ब० रा० भगत : ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री बूटा सिंह : क्या सरकार उन पेंशनरों को भी पेंशन देने को तैयार है जिन्होंने पंजाबी सूबे के बारे में आन्दोलन में भाग लिया था और जिनकी पेंशन बन्द कर दी थी ।

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं, ऐसी हमारी कोई योजना नहीं है ।

श्री रंगा : "जी नहीं" कहने से उनका अभिप्राय क्या है । क्या इसका अर्थ यह है कि जो ऐसे आन्दोलनों में भाग लेते हैं उनकी पेंशन बन्द कर दी जावेगी ?

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मेरे सहयोगी का अभिप्राय यह है कि उनके पास सूचना नहीं है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या निर्वाह व्यय बढ़ जाने से कुछ पेंशनरों ने सरकार के पास अभ्यावेदन भेजे हैं कि उनकी पेंशन का समायोजन हो ?

श्री ब० रा० भगत : हमारे पास कुछ अभ्यावेदन आये थे ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : जब पेंशन देना किसी की गरीबी तथा बिना सहारा होने के बिना गारंटी है तो क्या सरकार "ओल्ड ऐज पेंशनर्स एसोसिएशन" द्वारा भेजे गये अभ्यावेदनों पर विचार कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : यह सारी बातें हम ने देखीं और फिर यह निर्णय किया कि इसका अभी पुनरीक्षण न किया जावे ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूँ कि उन व्यक्तियों को न्यूनतम और अधिकतम कितनी पेंशन मिल रही है जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में जी जान लगा दी है और क्या वह सच है कि जो पेंशन उन्हें दी जा रही है वह बहुत कम है और उस से उनका नाश्ता भी नहीं होता है ?

श्री ब० रा० भगत : यह तो सीमान्त प्रश्न था जिस में से बड़े बड़े प्रश्न उठने लगे हैं और इसलिये मेरे लिये इन सब का उत्तर इसी समय देना सम्भव नहीं है ।

श्रीमती सावित्री निगम : उनकी न्यूनतम तथा अधिकतम पेंशन कितनी है ?

अध्वक्ष महोदय : आपने अपना कार्य कर लिया । अगला प्रश्न ।

दिल्ली में जमीनों का पट्टा

+

*688. { श्री हेम राज :
श्री राम हरख यादव :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आवंटित की जाने वाली जमीनों पर मकानों का निर्माण पूरा करने के लिए दो वर्ष की समय-सीमा निर्धारित है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय-सीमा में वह समझ भी सम्मिलित है जो सम्बन्धित विभाग मकान का नक्शा मंजूर करने में लेता है जिसके कारण कभी कभी जमीन लेने वाले व्यक्तियों को निर्माण पूरा करने में असफल घोषित कर दिया जाता है और परिणामस्वरूप सरकार पुनः प्रवेश का अधिकार प्रयोग करती है तथा उनके द्वारा दी गई किस्त की राशि और जमीन का किराया जब्त कर लिया जाता है;

(ग) 1949 से 1963 के अन्त तक ऐसी कितनी जमीनें और कुल कितनी राशि जब्त की गयी है;

(घ) उल्लिखित समय-सीमा बढ़ाने की मंजूरी देने के लिए विलम्ब निर्माण कर के रूप में सरकार को कितनी राशि प्राप्त हुई है; और

(ङ) मकान का नक्शा मंजूर करने में जो समय लगता है उसे शामिल न करने और जमीन लेने वालों को अनुचित रूप में होने वाली कठिनाइयां दूर करने की दृष्टि से क्या सरकार इस शर्त में संशोधन करने के औचित्य पर विचार करेगी ? *

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां, यह सदैव, पट्टे के लिए करार की शर्तों में से, एक रही है ।

(ख) भूमि और विकास कार्यालय के द्वारा प्लान के अनुमोदन में लगने वाले समय में अपर (क) में उल्लिखित दो वर्ष की अवधि शामिल है । सरकार के द्वारा पुनः प्रवेश और प्रीमियम धन तथा भूमि किराया आदि के अधिहरण के मामले में निर्णय प्रत्येक मामले के गुणाव-गुणों पर किया जाता है ।]

(ग) और (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) ऊपर (ग) और (घ) में उल्लिखित मामलों की जांच के बाद पैरा (ङ) में दिये गये सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

श्री हेम राज : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पट्टे के करार के पूरा होने तथा पंजीयन से पहले ही यह समय-सीमा की शर्त आरम्भ हो जाती है जिससे पट्टाधारी को प्राप्त दो वर्ष की अवधि कम हो जाती है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मेरे विचार में भी 2 वर्ष की अवधि कम है। लेकिन ये पट्टे 40 या 50 वर्ष पूर्व दिये गये थे। हम अभी तक उसी आदर्श को मानते रहे हैं। परन्तु माननीय सदस्य के प्रश्न उठाने पर मैं सारे मामले की जांच करा रहा हूँ।

श्री हेम राज : क्या यह सच है कि कार्यालयों में चल रही लाल-फीताशाही को ध्यान में रख कर सरकार का विचार इस अवधि से अधिकारियों द्वारा नक्शा स्वीकृत करने में लिया गया समय निकाल देने का है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं लालफीताशाही के विवाद में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन यह मेरा निश्चित मत है कि नक्शा शीघ्रता से स्वीकृत किया जाना चाहिए। दिल्ली के विभिन्न भागों में इन भूखंडों और प्लाटों का आवंटन करने का मुख्य उद्देश्य मकानों का निर्माण है। हम नहीं चाहते कि ये भूखंड खाली पड़े रहें और दिल्ली में भूमि की सट्टेबाजी हो। मैं चाहता हूँ कि मकानों का निर्माण हो और इसके लिये उचित और आवश्यक सुविधायें देने के लिये मैं तैयार हूँ।

Shri Hukam Chand Kachhavaia : May I know the total area of leasehold land in Delhi and the area acquired out of it by the Government?

Shri Mehr Chand Khanna : As far as land is concerned, these can be divided in two categories. The one is under the control of L. & D. O. under my Ministry, which we use for building Government houses. The other type of land, measuring about 30-40 acres, have been acquired by Delhi Administration and they pay compensation for them. Ministry of Home Affairs is concerned with it and not my Ministry.

Electricity Rates

+
†*689. { **Shri Madhu Limaye :**
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether he gave an assurance at the last Annual Meeting of the Federation of Electricity undertakings in India held in December 1964 that Government will amend the Electricity Supply Act, 1948;

(b) whether the electricity undertakings will be allowed to increase the rates for sale of electricity in view of the increase in the bank rate; and

(c) if so, the measures to be adopted by Government to safeguard the interests of the consumers?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) बिजली उपक्रम संगठन की गत बैठक में मैंने यह कहा था कि वास्तविक काम में बाधा डालने वाली कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिये 'विद्युत् प्रदाय अधिनियम, 1948' में संशोधन किया जायेगा।

(ख) विद्युत् प्रदाय अधिनियम के अन्तर्गत, बैंक की दरों में वृद्धि होने से बिजली की दरों पर असर पड़ सकता है।

(ग) जो उपाय अपनाये जायेंगे उन पर विचार किया जा रहा है।

Shri Madhu Limaye : Will the hon. Minister be pleased to state the names of the States which have increased the electricity rates after the increase in the bank rate?

डा० कु० ल० राव : अभी तक कहीं भी बैंक दर में वृद्धि के कारण बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं ।

Shri Madhu Limaye : What will be the nature of the proposed amendment to the Act? Has it been demanded that the limit of 2 per cent may be raised to 3 per cent?

डा० कु० ल० राव : दो प्रतिशत की सीमा ज्यों की त्यों रहेगी । अधिनियम में संशोधन करने का अभिप्राय यथार्थ में काम करने के दौरान में अनुभव की गई कुछ कठिनाइयों को दूर करना है । उदाहरणतया, इनमें विधान सभा सदस्य व संसद् सदस्य के, उनके सदस्य न रहने के एक वर्ष बाद तक बोर्ड के सदस्य बनने की अयोग्यता भी शामिल है । और फिर, श्री वेंकटारमन के नेतृत्व में स्थापित मंत्रियों की समिति ने सामान्य रिजर्व के बढ़ाने आदि जैसी कुछ सिफारिशें की हैं । इन सब का संशोधनों में समावेश कर लिया जायेगा ।

Shri Madhu Limaye : I think the hon. Minister has not followed my question. I had asked about the demand put forward in the conference visited by him and whether the amendments are going to be made following that demand?

डा० कु० ल० राव : इस विशेष धारा में कोई संशोधन नहीं किया जायेगा ।

Shri Ram Sewak Yadav : Is the hon. Minister aware of the great disparities in the rates of Electricity Companies and the rates of electricity supplied by the Government Power Houses resulting in hardship to the consumers and they are also not consulted in the matter . The electricity rates are not uniform all over the States and districts. Will the attention be paid to these factors and will it be ensured that no hardship is caused to the consumers and electricity rates are not increased?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Shyam Dhar Misra) : It is not correct that the rates of companies are very high at all places, of course, at some places these are high but that is due to lack of transmission lines etc. Wherever rates are high, they are always looked into and the Government have power under the Electricity Act, which they are exercising in reducing the rates.

Shri R. S. Pandey : Whether it is not a fact that the electricity rates differ from one state to the other? If so, what action Government propose to take to bring uniformity?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि सभी राज्यों में दरें समान नहीं हैं । हमें आशा है कि चौथी योजना में प्रस्तावित प्रादेशिक 'ग्रिडों' के बन जाने से एक प्रदेश में आने वाले राज्यों में दरों में अधिक समानता होगी ।

झुग्गियों तथा झोंपड़ियों को हटाने की योजना

+
* 691. { श्री गुलशन :
श्री शिव चरण गुप्त :
श्री शिव चरण माथुर :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में झुग्गी झोंपड़ी योजना के अधीन वर्तमान अस्थायी शिविरों के सभी निवासियों को 1967 से पहले वैकल्पिक जमीनें दी जायेंगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने 80 वर्ग गज जमीन देने के लिए नई दिल्ली में 1961 में हुए उप-चुनाव की मतदाता सूची को ठोस प्रमाण मान लिया है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी नहीं। केवल वे लोग जो जुलाई, 1960 से पहले सार्वजनिक या सरकारी भूमि पर गैर कानूनी तौर से बैठे हुए थे, और सरकारी कर्मचारी या प्रवासी श्रमिक (माईग्रेटरी, लेबरर) नहीं हैं, उन्हें 80 वर्ग गज के प्लॉट या टैनमेंट्स, जब उपलब्ध होंगे, आवंटित किये जायेंगे।

(ख) जी नहीं।

Shri Gulshan : 25 sq. yds. plots are being allotted to Jhuggi-Jhonpri dwellers. Is it a fact that this area is not at all sufficient for one family to live in? Do the Government propose to allot them plots of 80 sq. yds.?

Shri Mehr Chand Khanna : These Jhuggi-Jhonpri dwellers are of two categories. One, who were there before 1960 and the other, who came later. We have allotted 80 sq. yds. of land to the persons in the first cate and to the latter we allotted 25 sq. yds. although we did not admit their claim.

Shri Gulshan : In case of houses built on 80 sq. yds. plots allotted by the Government, on which rent is being charged, Government have reserved to themselves the right to acquire the houses. When the Government will waive this restriction?

Shri Mehr Chand Khanna : It was a mistake to make them owners in the beginning. They first constructed the houses and then after selling these they again became squatters. We cannot allow this. Other conditions relate to long term lease and we are prepared to provide them all facilities.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा अस्पताल

*690. श्री शिव चरण गुप्त : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा अस्पताल के कर्मचारी संघ ने हड़ताल करने का नोटिस दिया है;

(ख) संघ की क्या मांगें हैं;

(ग) क्या प्रबन्धकों ने इन में से किसी मांग की जांच की है और क्या उन्हें पूरा करने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो हड़ताल रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 15 फरवरी, 1965 को 30 दिन की हड़ताल का एक नोटिस दिया गया था जिसकी अवधि अब समाप्त हो गई है। हड़ताल के नोटिस में उल्लिखित दो मांगें इस प्रकार थीं :—

- (1) 3 दिसम्बर, 1964 को प्रकाशित औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय के परिणामों तथा अभिप्रायों को कार्यान्वित कराना।
- (2) इस यूनियन के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने और इसके स्थान पर दूसरी यूनियन का रजिस्ट्रेशन करने के बारे में किसी उच्च न्यायालय के सेवा भिवृत्त न्यायाधीश द्वारा कानूनी जांच के लिए जोर देना।

न्यायाधिकरण का निर्णय प्रबन्धकों द्वारा पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। यूनियन को रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए रद्द किया है। इससे प्रबन्धकों का कोई सम्बन्ध नहीं है।

उड़ीसा सरकार तथा 'उड़ीसा एजेण्ट्स' के बीच सौदे

*692. श्री हरि विष्णु कामत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार तथा 'उड़ीसा एजेण्ट्स' के बीच हुए सौदों के बारे में विशेष लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) क्या राज्यपाल द्वारा अथवा उनकी ओर से उक्त प्रतिवेदन की प्राप्ति की सूचना दी गयी है ?

योजना मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सरकार को नियंत्रक महालेखा-परीक्षक (कण्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल) से यह मालूम हुआ है कि उल्लिखित विशेष लेखा परीक्षा के परिणामों की सूचना उड़ीसा सरकार को 23 जुलाई, 1964 को दे दी गई थी। सामान्य प्रथा के अनुसार, इस प्रकार की निरीक्षण रिपोर्टों को, संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अधीन राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए तैयार की जाने वाली लेखा-परीक्षा-रिपोर्टों के रूप में नहीं माना जाता।

(ख) और (ग): ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

नेताजी नगर, नई दिल्ली में पामी की कमी

- *693. { श्री कृ० चं० शर्मा :
श्री अ० व० राघवन् :
श्री लखमू भवानी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री श्रींकार लाल बेरबा :

श्री प० ह० भील :
श्री रामेश्वर टांडिया :

क्या स्वास्थ्य मंत्री नेताजी नगर, नई दिल्ली में पानी की कमी के बारे में 16 अप्रैल, 1964 के अल्पसूचना प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सितम्बर, 1964 तक पूरी सुविधा देने का आश्वासन पूरा कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि नेताजी नगर में अस्वास्थ्यकर स्थिति है क्योंकि पहली मंजिल पर छत पर फ्लश की टंकियों तथा गुसलखानों में नल बहुत समय से बिल्कुल सूखे पड़े हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पानी केवल बूंद बूंद आता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं। अल्पसूचना प्रश्न संख्या 19 के भाग (ग) के उत्तर में 16 अप्रैल, 1964 को स्वास्थ्य मंत्री ने यह बतलाया था कि नेताजी नगर के निवासियों को पर्याप्त राहत देना सितम्बर, 1964 तक ही सम्भव हो सकेगा क्योंकि तब तक वजीराबाद में बन रहे 4 करोड़ गैलन प्रति दिन की क्षमता के नये प्लाण्ट से एक करोड़ गैलन पानी प्रति दिन मिलने की आशा थी। यह एक करोड़ गैलन प्रति दिन वाला प्लाण्ट 6 जनवरी, 1965 से काम करने लग गया है किन्तु इससे भी दक्षिण दिल्ली क्षेत्र की बस्तियों को अभी तक वांछित राहत नहीं मिली है क्योंकि जहां पाइप लाइन बिछाई जानी है वहां अनधिकृत रूप से लोग बसे हुए थे और इससे पाइप लाइन को पूरा करने में कठिनाई हो रही थी। इन व्यक्तियों को बड़ी कठिनाई से हाल ही में वहां से हटाया जा सका है। पटेल नगर में बनाए जा रहे बूस्टर पम्पिंग स्टेशन ने भी अभी काम करना शुरू नहीं किया है। यह स्टेशन यथासम्भव अप्रैल, 1965 के अन्त तक किन्तु अधिक से अधिक 15 मई, 1965 तक चालू हो जाये यह निश्चित करने के लिए दिल्ली नगर निगम के अधिकारी उच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही कर रहे हैं। इससे दक्षिण दिल्ली की बस्तियों को जिनमें नेताजी नगर भी सम्मिलित है प्रति दिन अतिरिक्त 30 लाख गैलन पानी मिलने लगेगा।

तब तक नेताजी नगर में एक ट्यूबवैल लगा दिया गया है और यह 30 मार्च, 1965 से चालू हो गया है।

(ख) मार्च, 1965 के दूसरे सप्ताह से कुछ क्वार्टरों के ऊपरी भागों की टंकियों में पानी नहीं पहुंच रहा है। पहली मंजिल के कुछ क्वार्टरों के स्नानागारों के नलों में पानी सामान्यतया नहीं आता।

(ग) जल पहुंचाने वाले नलों में जल का दबाव कम है।

(घ) उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित विवरण में यह स्पष्ट कर दिया गया है।

जीवन बीमा निगम के श्रीनगर कार्यालय में आग

- *694. { श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर में जीवन बीमा निगम की नई इमारत में हाल में आग लगने के परिणामस्वरूप निगम की सम्पत्ति तथा रिकार्ड को काफी क्षति पहुंची ; और

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण थे तथा उससे अनुमानतः कितनी हानि हुई है ?

योजना मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). श्रीनगर की नगरपालिका (म्यू-निसिपैलिटी) की इमारत में 11 मार्च, 1965 को आग लग गयी थी। इस इमारत की तीसरी मंजिल में जीवन बीमा निगम का कार्यालय था। कार्यालय के फर्नीचर, फिर्टिंग्स, टाइपराइटर्स और अभिलेखों (रिकार्ड) को काफी नुकसान पहुंचा। अनुमान है कि कुल 25,000 रुपये का नुकसान हुआ।

आग लगने का कारण अभी मालूम नहीं हुआ है।

राज्य योजना संस्थायें

- *695. { श्री गोपाल दत्त मैगी :
श्री अब्दुल गनी शोनी :
श्री समनानी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने ऐसी योजना संस्थायें स्थापित की हैं जो अर्थ-शास्त्रियों तथा तकनीकी विशेषज्ञों से युक्त हैं ;

(ख) इन में से कितनी संस्थायें यदा-कदा योजनाओं का मूल्यांकन करती हैं और अपने प्रतिवेदन योजना आयोग को देती हैं ; और

(ग) क्या योजना आयोग ने कभी उन योजना संस्थाओं से प्रतिवेदन मांगे हैं जो नियमित रूप से अपने प्रतिवेदन नहीं भेजती ?

योजना मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सभी राज्यों में अलग अलग ढंग से गठित, योजना संस्थायें स्थापित की जा चुकी हैं।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे योजना के संचालन के धारे में प्रगति प्रतिवेदन, प्रशासनिक प्रतिवेदन और दस्तावेज समय समय पर प्रस्तुत करें।

Income-Tax Arrears

***696. Shri Hukam Chand Kachhavaia :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that at the end of March, 1964, an amount of Rs. 277.76 crores was outstanding as arrears of income-tax; and
 (b) if so, the steps taken by Government to recover the said arrears.

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu) : (a) The gross arrears of Income-tax outstanding as on the 31st March, 1964 amounted to Rs. 277.46 crores.

(b) All steps provided for the realisation of arrears in the Income-tax Act are being taken.

पश्चिमी जर्मनी के उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमण्डल की भारत यात्रा

- *697. { श्री यशपाल सिंह :
 श्री भागवत झा आजाद :
 श्री प्र० चं० बहग्रा :
 श्री सुबोध हंसदा :
 श्री स० चं० सामन्त :
 श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
 श्री रामेश्वर टांटिया :
 महाराजकुमार विजय आनन्द :
 श्री राम सहाय पाण्डेय :
 श्री हेम राज :
 श्रीमती सावित्री निगम :
 श्री श्यामलाल सराफ :
 श्री कोल्ला वैकैया :
 श्री कपूर सिंह :
 श्री प्र० के० देव :
 श्री नरसिम्हा रेड्डी :
 श्री द्वारका दास मन्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के उद्योगपतियों तथा व्यापारियों का तीस सदस्यीय प्रतिनिधि-मण्डल भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी लगाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार के सामने क्या विशिष्ट प्रस्ताव रखे गये और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां। जर्मन के 33 प्रमुख उद्योगपतियों और बैंकरों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने 16 जनवरी से 5 फरवरी, 1965 तक भारत का दौरा किया।

(ख) प्रतिनिधिमण्डल का उद्देश्य भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना और पूंजी लगाने की संभावनाओं का पता लगाना था। कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं रखा गया।

दिल्ली में बिजली संकट

*698. { श्री दो० च० शर्मा :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री वाल्मीकी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में फिर बिजली संकट पैदा हो गया है क्योंकि पंजाब राज्य के बिजली बोर्ड ने 'सी' बिजली घर के बन्द होने पर राजधानी की आवश्यकता पूरी करने के लिये अगस्त, 1964 में आरम्भ की गई नंगल से 20,000 किलोवाट की सप्लाई बन्द करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड दिल्ली को 20 मैगावाट अतिरिक्त बिजली सप्लाई करने के लिए राजी हो गया है, परन्तु शर्त यह है कि अप्रैल से जून, 1965 के महीनों में, यदि आवश्यक समझा गया, अतिरिक्त बिजली की सप्लाई 10 मैगावाट तक सीमित होगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा शिक्षा के लिये वित्त व्यवस्था

*700. { श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० च० बरुआ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनका ध्यान चिकित्सा शिक्षा की उन्नति के लिये भारतीय संस्था के पांचवें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिये गये इस भाषण की ओर दिलाया गया है कि भारत में चिकित्सा शिक्षा के लिये वित्त व्यवस्था करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसा अभिकरण बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) इस विषय के प्रत्येक पहलू पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का विचार है।

राजस्थान में ग्रामीण गृह-निर्माण योजना

1800. श्री कर्णो सिंहजी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान राज्य को 1964-65 में ग्रामीण गृह-निर्माण योजनाओं के लिये कितनी राशि मंजूर की गई ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : राजस्थान सरकार को 1964-65 के दौरान ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत कुल 3.58 लाख रुपये की राशि के मंजूरी दी गयी थी—आयोजना के स्रोतों (प्लान रिसोर्सेज) से 1.58 लाख रुपये, और जीवन बीमा निगम निधि से 2 लाख रुपये ।

Work-Study of Government Staff

1801. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the categories of officers and staff of the various Ministries of Government of India as well as their attached and subordinate offices whose work-study is conducted;

(b) whether there are certain categories of officers and staff whose work-study is not conducted at all; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) to (c). All categories of posts in the Ministries and their attached and subordinate offices are within the purview of the Staff Inspection Unit of the Finance Ministry for purposes of work measurement study. In practice, the studies by the Staff Inspection Unit generally exclude the senior levels of Joint Secretary and above as the work of such functionaries is not usually susceptible of measurement.

न्यासों तथा संस्थाओं को दान

1802. { श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर अधिकारियों ने उन न्यासों और संस्थाओं को दान देने के सम्बन्ध में जहां दाताओं को ब्याज की छूट दी जा सकती है, काफी लम्बे समय से अपनी अनुमति नहीं दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और ऐसे मामलों को जल्दी से निबटाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं । यह प्वा लगा लिया गया है कि इस प्रकार के प्रार्थना-पत्रों को शीघ्रता से निपटाया जाता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कलकत्ता में सोने का पकड़ा जाना

1803. श्रीमती सावित्री निगम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में हाल में दो लाख रुपये मूल्य की सोने की छड़ें पकड़ी गयी थीं ;
और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गयी जांच का क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 26 दिसम्बर, 1964 को कलकत्ता सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक व्यापारी के रिहायशी घर की तलाशी ली और अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर 84,529 रुपये तथा स्थानीय बाजार भाव पर लगभग 2 लाख रुपये की कीमत का सोना पकड़ा ।

(ख) मामले की जांच-पड़ताल चल रही है ।

Car Loans to Government Employees

1804. { **Shri Yashpal Singh :**
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government servants are advanced loans for the purchase of cars even though they might have taken such loans recently;

(b) whether any time limit is proposed to be fixed in this regard so that they may be prevented from obtaining a second advance till the lapse of five years after the payment of the previous loan; and

(c) whether the payment of such an advance is made in lumpsum or in instalments ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) An advance cannot ordinarily be drawn unless a previous advance is fully repaid.

(b) No sir.

(c) In lumpsum.

Licences for Goldsmiths

1805. { **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaia :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government under a notification issued by the Finance Ministry have allowed the goldsmiths engaged in manufacturing gold ornaments and refining of gold may get their licences extended upto 1965 ?

(b) if so, whether they will be required to pay some fee for the purpose; and

(c) whether Government are also considering to allow some reduction in the original licence fee of Rs. 25/-?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Certified goldsmiths are statutorily required to renew their certificates (licences) for each calendar year to enable them to make/remake new ornaments above 14 carats from ornaments of the same purity. Such goldsmiths have, by executive instructions, been permitted to renew their certificates (licences) for 1965 by 31st March, 1965.

(b) Yes, Sir.

(c) No change in the fee of Re. 1/- for issue/renewal of a certificate is contemplated. A renewal fee of Rs. 25/- is required of dealers other than certified goldsmiths.

ग्रामीण क्षेत्र में अल्प-रोजगार

1806. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुधांशु दास :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना से ग्रामीण क्षेत्र में अल्प-रोजगार की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है;

(ख) अल्प-रोजगार की समस्या को हल करने के लिये चुने हुए खण्डों में चालू किये गये गांवों में निर्माण कार्यक्रम की सफलताएं क्या हैं ; और

(ग) विभिन्न राज्यों में कृषि श्रमिकों की बेरोजगारी की अवधि क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प-रोजगार की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है, इस बारे में अभी ठीक ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं ।

(ख) तीसरी योजना के दौरान ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों पर कुल व्यय लगभग 18 से 19 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । तीसरी योजना के अन्त में यह कार्यक्रम मोटे रूप से वर्ष में 350,000 व्यक्तियों को औसत 100 दिनों का रोजगार दिलायेगा ।

(ग) वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में कृषि कार्य के मन्दी के दिन 60 से 180 दिनों के मध्य है ।

बिजली शुल्क

1807. श्री मुहम्मद इलियास : क्या सिंचाई और बिद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया बिजली शुल्क संसद के अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई बहुप्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनाओं द्वारा पैदा की गई, संभरण के लिये खरीदी गई तथा इस्तेमाल की गई बिजली के लिये भी वसूल किया जाता है ; और

(ख) क्या ऐसी परियोजनाओं से शुल्क वसूल करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिवाई और विद्युत् मन्त्री (डॉ० कु० एल० राव) : (क) भारत के संविधान की सातवीं तालिका की सूची 2 (राज्यों से सम्बन्धित सूची) के मद 53 के अनुसार राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वे बिजली के उपभोग या बिक्री पर शुल्क लगायें संविधान के अनुच्छेद 288 के अधीन राज्य सरकारें, अन्तर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के नियमन तथा विकास के लिये संसद् द्वारा निर्मित कानून के अनुसार स्थापित किसी प्राधिकार द्वारा उत्पन्न की गई, उपभोग की गई, वितरित तथा बेची गई बिजली पर कोई शुल्क नहीं लगा सकतीं ।

(ख) उत्तर नहीं में है ।

नई दिल्ली में झुग्गियों का गिराया जाना

1808. { श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :
श्री राधेजाल व्यास :

क्या निर्माण और आवास मंत्री 4 दिसम्बर, 1964 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विनयमार्ग, नई दिल्ली में झुग्गियों के गिराए जाने के बाद लगभग 1025 व्यक्तियों के 145 परिवारों को कोई अन्य आवास नहीं दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके लिए अब वैकल्पिक आवास की व्यवस्था कर दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग). चाणक्यपुरी में विनय मार्ग से 1339 गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए सभी परिवारों को वैकल्पिक स्थान दिया गया । इनमें से 1194 परिवारों ने इसे स्वीकार कर लिया और उन्हें मदनगीर, वजीरपुर, नारायणा और नजफगढ़ रोड कालोनियां में प्लॉट आवंटित कर दिये गये । बाकी 145 परिवारों ने वैकल्पिक वास के प्रस्ताव का फायदा नहीं उठाया और शायद उन्होंने अपना स्वयं प्रबन्ध कर लिया हो ।

Advantages from Irrigation

1809. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Maharashtra have framed a scheme for conducting a survey of the social and economic benefits from irrigation;

(b) whether any other State has also conducted similar surveys and framed similar schemes in this connection; and

(c) whether the Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission has done some work in this behalf?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) No.

(b) A reference has been made to State Governments and their replies are still awaited.

(c) The Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission has undertaken a study of the irrigation problems in the following 9 major irrigation projects :—

- (1) Bhakra Nangal.
- (2) Matatila.
- (3) Mayurakshi.
- (4) Gangapur.
- (5) Kakrapar.
- (6) Tungabhadra.
- (7) Lower Bhawani.
- (8) Malampuzha.
- (9) Hirakud.

The main objectives of this study are : (a) to analyse the problems and difficulties in the way of full utilisation of the irrigation potential created under these projects, and (b) to assess the direct economic benefits (like extension of irrigation, and changes in cropping pattern, etc.) derived from these projects and to indicate the nature of the indirect socio-economic benefits flowing or likely to flow from these projects. This report is under preparation.

सरोजिनी नगर बाजार, नई दिल्ली

1810. { श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरोजिनी नगर (मुख्य) बाजार, नई दिल्ली के सामने अनधिकृत दुकानों के स्थान पर जो अक्टूबर 1963 में आग लगने के कारण नष्ट हो गई थीं, एक नया बाजार बनाया जा रहा है ।

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त कालोनी में इस बाजार के नगरपालिका के दो स्कूलों के बिल्कुल पास होने के कारण से इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस नये बाजार का निर्माण कार्य आरम्भ करने से पहले इस पहलू पर विचार किया गया था ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) से (ग). अक्टूबर 1963 में आग ने सरोजिनी नगर में एक बड़ी संख्या में खोखों को नष्ट कर दिया था । उस

स्थान पर तब से 120 दूकानों का बाजार बना दिया गया है। उसके पास के दोनों स्कूलों में बच्चों के अध्ययन पर बाजार का कोई असर नहीं पड़ता। उनमें से एक म्यूनिसिपल प्राइमरी स्कूल बाजार से 30 फुट की खुली जगह के द्वारा अलग है। फिर भी कक्षाओं को किसी भी संभावित कोलाहल से बचाने के लिए बाजार और स्कूल के बीच एक दीवार बना दी जायेगी। भारत सेवक समाज द्वारा चलाया जा रहा नर्सरी स्कूल बाजार से और भी आगे है।

रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली के क्वार्टर

1811. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :
श्री लखमू भवानी :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये बनाए गए काफी नए सरकारी क्वार्टर काफी समय से अनावंटित और खाली पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के कितने क्वार्टर और कितने समय से खाली पड़े हैं ;

(ग) क्या कुछ तकनीकी खराबियों के कारण तकनीकी परीक्षक ने इन क्वार्टरों के लिये अपनी स्वीकृति नहीं दी थी; और

(घ) यदि हां, तो खराबियां किस प्रकार की और कितनी हैं और क्वार्टरों का कब तक आवंटन होने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). जी नहीं। रामकृष्णपुरम् में लगभग 3000 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं। इनमें से करीब करीब 880 आवंटन के लिए तैयार हैं। जैसे ही इन क्वार्टरों में दिल्ली नगर निगम पानी सप्लाई करने की स्थिति में हो जायेगा, ये क्वार्टर तुरन्त ही आवंटित कर दिये जायेंगे। संभावित तारीख 1 जुलाई, 1965 है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल ही नहीं उठता।

दिल्ली में राज्यों के एम्पोरियम

1812. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्यामलाल सराफ :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में एक अखिल-भारतीय सुपरमार्केट, जिसमें सभी राज्य सरकारों के एम्पोरियम होंगे, बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो मार्केट बनाने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने एम्पोरियम बनाने के लिए इरविन रोड पर स्थान के आवंटन के लिए विकास किया जा रहा है। 22 बनाये जाने वाले प्लोटों में से 18 प्लोटों का आवंटन जिन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मांगा था उन्हें पहले ही से निर्धारित कर दिया गया है।

कृषि वित्त निगम

1813. महाराजकुमार विजय आनन्द : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के पदाधिकारियों ने जो कृषि वित्त निगम सम्बन्धी मामलों का अध्ययन करने के लिए तंजौर जिले की अध्ययन यात्रा पर भारत आये थे, अपना अध्ययन पूरा करके रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस रिपोर्ट के फलस्वरूप कितनी सहायता मिलने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) विश्व बैंक का कोई कर्मचारी या विशेषज्ञ केवल कृषि विकास कार्य के खर्च के लिए मध्यम या लम्बी अवधि के ऋण की आवश्यकताओं की जांच करने के लिए तंजौर जिले में नहीं भेजा गया है।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

अमरीका से स्वास्थ्य विशेषज्ञ

1814. श्री होल्ला बंईया : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से राज्यों तथा केन्द्र की विभिन्न परियोजनाओं के लिये सरकार ने अमरीका से अब तक कोई स्वास्थ्य विशेषज्ञ बुलाये हैं ;

(ख) क्या उन्होंने हमारे देश में किन्हीं शहरों तथा गांवों का दौरा किया है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन दिया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

परिवार नियोजन संस्थाएं

1815. श्रीमती सावित्री निगम : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि उचित समय पर पर्याप्त अनुदान न मिलने के कारण कुछ परिवार नियोजन संस्थाएं अपना काम नहीं चला पा रही हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में स्थिति ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). यह सच है कि कुछ परिवार नियोजन संघ अपना कार्य चलाने में इसलिए कठिनाई अनुभव कर रहे हैं कि उन्हें अनुदान तब मिलता है जब राज्य सरकारों के जरिये उनके हिसाब किताब का लेखा प्राप्त हो जाय। इस स्थिति को सुधारने के विचार से एक ऐसी संशोधित पद्धति विचाराधीन है जिसके अनुसार स्वयंसेवी संगठन अपने फण्डों की अविलम्ब पूर्ति कर सकें, बशर्ते वे अपने हिसाब किताब का लेखा नियमित रूप से रखें और कुछ विवरण नियमित रूप से भेजते रहें। इन संघों को गत वर्ष की प्रगति रिपोर्ट तथा और आडिट किये हुये हिसाब-किताब का लेखा फरवरी के महीने में भेजने पड़ेंगे। इन लेखों के प्राप्त होने पर भारत सरकार 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुदान की आधी रकम उन्हें अग्रिम दे देगी। वर्ष का शेष अनुदान 1 जनवरी से जून के अन्त तक की अवधि के लेखों के अगस्त महीने में प्राप्त होने पर मंजूर किया जायगा। एक विस्तृत पद्धति तथा जिला अधिकारियों तथा राज्य सरकारों के जरिये हिसाब-किताब के विवरण प्राप्त होने की समय अनुसूची तैयार की जा रही है।

Tax Evasion

1816. { Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the State-wise number of cases that came to light during the raids conducted recently to detect Income-tax evasion;

(b) the number of such cases where the amount involved was more than 50,000 rupees and the total amount detected;

(c) the total approximate amount of Income-tax evaded at present throughout the country and the ratio of this amount with that detected so far; and

(d) the steps taken by Government to detect Income-tax evasion?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) A statement is laid on the Table. [Placed in Library. See No. L.T. 4121/65].

(b) The exact number of cases where the amount involved was more than Rs. 50,000 is not easily ascertainable. It may however be roughly taken at two-thirds of (a) above. The total amount detected is about Rs. 110 crores.

(c) It is not at present possible to estimate the amount of income-tax evaded in the country. The required ratio cannot therefore be ascertained.

(d) These include, among other steps, the abolition of secrecy provisions in the Direct Taxes Acts, the intensive drive to discover new assesseees through internal and external survey and the effective use of powers of search and seizure.

तेनूघाट में बांध

1817. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) तेनूघाट में दामोदर घाटी निगम के पांचवें बांध का निर्माण कब आरम्भ होगा ;
- (ख) बांध की लगभग ऊंचाई कितनी होगी ;
- (ग) क्या निर्माण लागत का अनुमान लिया गया है, और
- (घ) इस बांध से कितनी भूमि को लाभ पहुंचेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० एन० राव) : (क) बांध का कार्यान्वयन दामोदर घाटी निगम नहीं अपितु बिहार सरकार करेगी, जिन्होंने प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिये हैं ; बांध का वास्तविक निर्माण अगले कुछ महीनों में आरम्भ हो जाएगा, ऐसी सम्भावना है ।

(ख) 600 ब्यूजक के नियमित निस्सार के लिये, प्रथम चरण में बांध की ऊंचाई नदी तल-से लगभग 135 फुट होगी । बांध की नींव में यह व्यवस्था रखी जायेगी कि 900 ब्यूजक के नियमित निस्सार के लिये बाद में बांध की ऊंचाई 164 फुट तक की जा सके ।

(ग) बांध पर लगभग 17.5 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है । फिर भी, विरतृत परियोजना प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है ।

(घ) बांध से किसी भी प्रकार की सिंचाई परिकल्पित नहीं है । यह पूर्ण रूप से औद्योगिक और घरेलू जल सप्लाई स्कीम है जिससे प्रस्तावित बोकारो इस्पात संयंत्र और क्षेत्र में अन्य उद्योगों की पानी की आवश्यकता पूरी होगी ।

दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों का विकास

1818. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर सीना :

क्या स्वास्थ्य मंत्री 9 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 229 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि :

(क) क्या पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के दिल्ली के आस पास के क्षेत्रों का समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिये एक प्राधिकार स्थापित करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां तो, उसके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये सांविधिक परिषद स्थापित करना संभव नहीं हुआ है । अतः सरकार ने यह निश्चय किया है कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र के मास्टर प्लान तैयार करने तथा उसे कार्यान्वित करने में उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों का सहयोग प्राप्त करने के लिये जुलाई, 1961 में जो उच्च शक्ति बोर्ड बनाया गया था वह काम करना शुरू करदे ।

Serving of Beef in Delhi Hotels

1819. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of Works and Housing be pleased to state :

(a) whether it is a fact that beef is still being served in some of the hotels in Delhi and New Delhi with which Government are associated;

(b) if so, the names of hotels in which such practice is prevalent;

(c) whether any suggestion was given by Government to end this practice; and

(d) if so, the reaction of the hotel managements in this connection?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) :

(a) to (c). Government are associated only with two hotels in Delhi i.e. Ashoka Hotel and Hotel Janpath.

(d) Beef is not being served in any one of them.

सरकारी क्वार्टरों में बिजली के पंखे

1820. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली के पंखों की व्यवस्था करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया;

(ग) इन क्वार्टरों में पंखे लगाने पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी;

(घ) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के छोटे क्वार्टरों में यह मूल सुविधा न देने के क्या कारण हैं; और

(ड) सरकारी कर्मचारियों के किन-किन श्रेणियों के क्वार्टरों में (1) दो पंखे तथा (2) दो से अधिक पंखे लगे हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (घ). चतुर्थ श्रेणी के क्वार्टरों में छत के पंखों की व्यवस्था के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है। निर्माण तथा आवास मंत्रालय के अधीन जनरल पूल के इस टाईप के क्वार्टरों के अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों के अधीन भी इस प्रकार के क्वार्टर हैं जैसे कि रक्षा, रेल, संचार (डाक और तार) आदि। जनरल पूल के क्वार्टरों में छत के पंखों की व्यवस्था का कोई भी निर्णय अन्य मंत्रालयों के अधीन क्वार्टरों पर भी लागू करना पड़ेगा। भारत के सभी स्थानों पर जहां केन्द्रीय सरकार के किसी भी मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी के क्वार्टर हैं उनमें भी यह निर्णय लागू करना पड़ेगा। यह अनुमान लगाया गया था कि इसमें सरकार के कई करोड़ रुपये खर्च आयेंगे और इस वजह से सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ थी। फिर भी, इस मामले में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सहायता देने के लिए मेज के पंखों की खरीद के लिए कर्ज देने की योजना सरकार ने शुरू की है।

(ड) कम से कम 110 रुपये लेकिन 400 रुपये प्रति माह से कम वेतन लेने वाले कर्मचारियों के मकानों में एक पंखा तथा 400 रुपये प्रतिमाह या और अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मकानों में तीन या और अधिक पंखे।

नई दिल्ली में दो कमरे वाले सरकारी क्वार्टर

1821. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंडित नेहरू ने नई दिल्ली में रामकृष्णपुरम् के क्वार्टरों का निरीक्षण करते हुए यह कहा था कि सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर दो कमरे से कम के नहीं होने चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो 1964 में चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिये दो कमरों के कितने क्वार्टरों की योजना बनाई गई तथा निर्माण किया गया; और 1965 में ऐसे कितने क्वार्टर और कहाँ बनाए जायेंगे; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में निर्दिष्ट नये बने दो कमरों के क्वार्टरों का क्षेत्रफल पहले बने रसोईघर सहित एक कमरे के क्वार्टरों से कम है या अधिक ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) 1964 में बनाये गये दो कमरे वाले क्वार्टरों की संख्या और जिनकी 1965 में तैयार होने की उम्मीद है, उनकी संख्या निम्नांकित है :

	1964	1965
दिल्ली	552	168
		2829

फरीदाबाद	-	312
बम्बई	-	160
नागपुर	-	40

(ग) दोनों मामलों में ढका हुआ एरिया एक सा है।

कर जांच आयोग

1822. { श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने समूचे देश के लिये एक नया कर जांच आयोग स्थापित करने के लिये केन्द्र को सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री त्रि० त० कृष्णामाचारी) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद की साधनों सम्बन्धी समिति की एक बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह राय प्रकट की थी कि कर जांच आयोग नियुक्त करने का समय आ गया है। लेकिन केन्द्र को इस सम्बन्ध में प्रश्नी तक औपचारिक रूप से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालय

1823. { श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजधानी में सरकारी बस्तियों तथा धनी आबादी वाले क्षेत्रों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में एक डाक्टर को एक रोगी देखने में औसतन कितना समय लगता है; और

(ख) प्रत्येक औषधालय में प्रति मास औसतन कितने रोगी आते हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर):

(क) (i) सरकारी बस्तियों में 3.5 मिनट

(ii) घन बसे क्षेत्रों में 3.3 मिनट

(ख) 11,600 रोगी।

Managers Keeping 'On Money'

1824. { **Shri Madhu Limaye :**
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have ever tried to know the number of branches and units of private Companies whose Managers keep 'On Money' with themselves at the time of selling their produce; and

(b) if so, the rule under which this is done?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) No.
 (b) does not arise.

अहमदाबाद में गुप्त आय की घोषणा

1825. श्री रा० बहप्रा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 फरवरी, 1964 को अहमदाबाद में सड़क पर फेरी लगाने वालों ने अपनी गुप्त आय प्रकट की है, और

(ख) यदि हां तो अहमदाबाद में अब तक स्वेच्छ से कितने मामलों में गुप्त आय प्रकट की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Family Planning

1827. { **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of U.K. have offered the services of some family planning specialists to assist India in the successful implementation of the family planning programme; and

(b) if so, the broad outlines of the offer ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) and (b) Some interest was evinced in India's Family Planning programme by Mrs. Barbara Castle during her visit to India. But no formal offer has yet been received.

प्रयोगात्मक मकानों का निर्माण

1828. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में प्रयोगात्मक तथा प्रदर्शनार्थ मकानों तथा इमारतों के निर्माण की योजना लागू करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार के प्रयोगात्मक तथा प्रदर्शनार्थ मकानों पर कुल कितनी राशी व्यय हुई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री महेरचन्द खन्ना) : (क) शहरी क्षेत्रों में प्रयोगात्मक प्रदर्शन-आवासों भवनों के निर्माणके लिये भारत सरकार ने 19 जनवरी 1965 को एक योजना मंजूर की थी।

(ख) योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 4122/65]

(ग) अभी तक कुछ नहीं।

खायी जाने वाली गर्भ निरोधक औषधि

1829. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बहूआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में एक डाक्टर ने खायी जाने वाली गर्भ निरोधक औषधि की खोज की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने डाक्टर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है ; और

(ग) क्या सरकार जन संख्या की वृद्धि रोकने के उद्देश्य से यह तरीका चालू करने तथा लोगों को उसका प्रयोग करने की सलाह देने के बारे में विचार कर रही है?

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) भारत सरकार ने कलकत्ता के एक डाक्टर द्वारा खोजे गये गर्भरोधक का परीक्षण किया और वह 50 प्रतिशत मामलों में प्रभावकारी पाया गया। खाये जाने वाले गर्भरोधक के रूप में इस औषधि (मेटैक्सिलो-हाइड्रोक्विनोन) के प्रयोग के बारे में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की विशेषज्ञ समिति ने 5 जनवरी, 1965 को औरंगाबाद में हुई अपनी बैठक में पुनरीक्षा की और उन्होंने यह सिफारिश की है कि इसे खाये जाने वाले गर्भरोधक के रूप में आम जनता को बेचने की इजाजत न दी जाये। परीक्षणों से सम्बन्धित परीक्षकों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे अब तक किये गये परीक्षणों की पुनरीक्षा करें। इस पर आगे क्या कदम उठाये जायेंगे यह इन पुनरीक्षित रिपोर्टों पर निर्भर करेगा।

World Bank Loans to Coal Industry

1830. { Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Gulshan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that World Bank has refused to extend the time limit for giving loans to the Coal Industry;

(b) if so, the amount of loans given by the World Bank and the amount utilised out of it; and

(c) the reasons for not extending the time limit by the World Bank?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) and (b) The World Bank has so far extended two loans totalling \$54.5 million (Rs. 26 crores) for the Coal Industry. One of these loans is to be utilized by September 30, 1965 and the other by January 31, 1967. The amount drawn from the two loans upto the end of February, 1965 was \$19 million (Rs. 9 crores). The World Bank has not been requested so far, for further extension of time limit on these loans.

(c) Does not arise.

चेचक और हैजे का उन्मूलन

1831. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में उड़ीसा में कितने व्यक्तियों को चेचक और हैजे का रोग हुआ ;
और

(ख) उसी अवधि में उड़ीसा में उभर्युक्त रोगों के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) उड़ीसा में गत 6 महीनों में चेचक और हैजा से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 220 और 357 थी ।

(ख) गत 6 महीनों में उड़ीसा में चेचक और हैजा से हुई मौतों की संख्या क्रमशः 52 और 174 थी ।

महालेखापाल, उड़ीसा

1832. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भुवनेश्वर में महालेखापाल, उड़ीसा, के अधीन सभी श्रेणियों के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) जनवरी, 1965 के अन्त तक उक्त कार्यालय के कितने कर्मचारियों को पारिवारिक क्वार्टर दिये गये थे ?

वित्त मंत्री (श्री ति० ति० कृष्णमाचारी) : (क) 832 ।

(ख) 408 ।

चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा

1833. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में "चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण" शीर्षक के अन्तर्गत केन्द्र समर्थित योजनाओं के लिये उड़ीसा सरकार को कुल कितनी धनराशि दी गई थी ; और

(ख) उस अवधि में राज्य ने उस धन राशि का किस प्रकार उपयोग किया ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राज्य के मेडिकल कालेजों के विस्तार के लिए 'आपत्कालीन योजना' के अन्तर्गत, उड़ीसा सरकार को 1964-65 में 8.50 लाख रुपये का अस्थायी अनुदान दिया गया है। इसका समायोजन उनके द्वारा किये गये वास्तविक खर्च के आधार पर 1965-66 में अन्तिम रूप से कर दिया जायेगा।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी षडयंत्र

1834. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री चाण्डक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पुलिस ने एक नये विदेशी मुद्रा सम्बन्धी षडयंत्र का पता लगाया है जिसके अन्तर्गत लगभग 300 झूठे प्रार्थना पत्रों पर, विदेशी उच्च चिकित्सा शिक्षा के लिए दिये जाने हेतु, विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई और जिसमें रिजर्व बैंक के कुछ पदाधिकारियों का हाथ था ;

(ख) यदि हां, तो जांचका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). अगस्त 1963 में कलकत्ता पुलिस ने एक केस पकड़ा जिसमें ऐसा पता चलता है कि कुछ व्यक्तियों के एक गिरोह ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अभिप्राय से विदेश जाने वाले अस्तित्वहीन "डाक्टरों" के नामों पर विदेशी मुद्रा परमिटों को हासिल किया और उन परमिटों के आधार पर विदेशी मुद्रा भेजी। रिजर्व बैंक के कुछ कर्मचारियों

सहित 26 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। मामले में जांच पड़ताल चल रही है और जांच पड़ताल पूरी होने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी। लेकिन कलकत्ता पुलिस द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी षडयंत्र का कोई नया मामला नहीं पकड़ा गया है।

राष्ट्रीय रक्षा के लिये रक्तदान

1835. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

- (क) राष्ट्रीय रक्षा के लिये 1964-65 में देश में कितना रक्त इकट्ठा किया गया; और
(ख) इस प्रयोजन के लिये देश में कितने व्यक्तियों के नाम सूची में दर्ज किये गये ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राज्य सरकारों से सूचना मंगवाई जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जवानों को स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए फरवरी, 1965 तक जिन व्यक्तियों ने अपने नाम रजिस्टर कराये हैं, उनकी संख्या 4,27,923 है।

इडिक्की परियोजना

1836. श्री अ० क० गोपालन : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या केरल में इडिक्की परियोजना का काम रोक दिया गया है ;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;
(ग) इस परियोजना के लिए कनाडा के साथ करार करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

और

(घ) काम पून : कब आरम्भ होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऋण देने वाले प्राधिकार परियोजना की तकनीकी संभाव्यता की जांच जैसी औपचारिकताओं पर प्रायः कुछ समय लगाते हैं। इस बीच, कनाडा सरकार ने ऋण के लिये इस परियोजना को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है।

(घ) प्रश्न 1. में उठता।

इडिक्की परियोजना, केरल

1837. श्री अ० क० गोपालन : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में इडिक्की परियोजना के लिए 3000 परिवारों को उस क्षेत्र से हटाने की योजना है ;

(ख) क्या इस उपयुक्त निष्कासन के भाग के रूप में वेल्लियाभट्टम से 200 परिवारों को हटाने के लिये भी कार्यवाही की गई है ;

(ग) 30 जनवरी, 1965 को बजहाथोप से 100 व्यक्तियों के 25 परिवारों को हटाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके पुनर्वास के लिये उन्हें क्या सुविधायें दी गई हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार 4544 जनसंख्या के 759 परिवार जलप्लावन के कारण हटाये जायेंगे ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) राज्य सरकारों ने विस्थापित परिवारों को निम्नलिखित सुविधायें दी हैं ।

प्रत्येक विस्थापित परिवार को जिसने 1 जनवरी, 1960 से पहले सरकारी जमीन पर बिना अधिकार के कब्जा जमाया हुआ था, हटाये जाने पर पुनर्वास के लिये निश्चित स्थान में एक एकड़ जमीन दी जायेगी । अगर विस्थापित परिवार पट्टेदार होगा तो उसे उसकी पट्टे की जमीन के बराबर ही जमीन दी जायेगी किन्तु पांच एकड़ से अधिक नहीं । उनमें से प्रत्येक परिवार को धन के रूप में अनुदान, जो कि 100 रुपये से अधिक नहीं होगा, दिया जाएगा और निशुल्क परिवहन, आहार तथा डाक्टरी सुविधायें भी प्रदान की जाएंगी । इसके अतिरिक्त उनको मकान बनाने की कीमत का 50 प्रतिशत तथा कृषि सुधार में लगी लागत का 25 प्रतिशत भाग अनुदान के रूप में दिया जायेगा ।

Raids in Ujjain

1838. { **Shri Hukam Chand Kachhavaia:**
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Brij Raj Singh:
Shri Gauri Shankar Kakkar:
Shri Rameshwaranand:
Shri Y.D. Singh:
Shri S.M. Banerjee:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether some raids were recently organised in Ujjain to recover black money ; and

(b) if so, the details thereof and the amount of money recovered as a result of these raids ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Yes, Sir.

(b) Raids were made involving six parties of Ujjain. Cash to the tune of Rs. 1,03,864, not accounted for in the books, was seized.

दिल्ली में बिना छत्ते पानी की कमी

1839. { **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
श्री चन्द्रभान सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :

क्या निर्माण और आवास मंत्री 26 नवम्बर, 1964 के तारकित प्रश्न संख्या 211 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बिना छने पानी की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) गर्मियों में विशेष रूप से शहर की सीमा के बाहर स्थित नयी सरकारी बस्तियों और अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर बिना छने पानी की भारी कमी है ।

(ख) इस कमी को पूरा करने के लिए यमुना नदी से जितना भी अधिक से अधिक हो सकता है उतना पानी लेने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और पम्पों को जहां तक संभव है अधिकतम समय तक चलाया जा रहा है । नदी का बांध तैयार हो जाने पर जो कि निर्माणाधीन है, यह उम्मीद की जाती है कि भविष्य में बिना छने पानी की कमी नहीं रहेगी ।

Export Trade

1840. Shri Shree Narayan Das : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the State Bank of India has formulated any new scheme for the expansion of its services in the field of export trade ; and

(b) if so, the broad outlines thereof and whether any grant has been made in this behalf so far ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) Yes.

(b) The scheme provides for the import, in the case of approved units, of raw materials in advance, in anticipation of the estimated entitlements under the various export promotion schemes on the basis of approved exports. The cost of the imports will be met, if possible, by loans from suitable institutions outside India which will be guaranteed by the Bank. The loans will be repaid from the proceeds of exports. The scheme is still in an experimental stage and only one application from a company, involving imports financed from foreign loans not exceeding Rs. 30 lakhs at any one time, has been approved.

पाजासी परियोजना, केरल

1841. श्री अ० क० गोपालन : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पाजासी परियोजना पर काम कब आरम्भ हुआ ;

(ख) क्या वह अब बन्द कर दिया गया है ;

(ग) वह कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(घ) इसमें देर का क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) परियोजना पर कार्य 1963-64 में आरम्भ किया गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) चतुर्थ योजना के अन्त तक ।

(घ) उपलब्ध धन राशि को अधिकतर उन परियोजनाओं के पूरा करने में लगाया जा रहा है जो कि निर्माण की प्रौढ़ावस्था में हैं, ताकि उनसे यथाशीघ्र लाभ प्राप्त होने आरम्भ हो जाएं । पाजासी परियोजना पर जो कि अभी प्रारम्भिक अवस्था में है, कार्य की गति को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बढ़ा दिया जाएगा ।

शराब पीने की आदतों का सर्वेक्षण

1842. श्री गोकुलानन्द महन्ती : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सामाजिक कार्य स्कूल 1964-65 में दिल्ली में शराब पीने की आदतों का नमूना सर्वेक्षण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उससे क्या निष्कर्ष निकले ?

योजना मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). 1963-64 के दौरान दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क ने एक सर्वेक्षण किया था । सर्वेक्षण के निष्कर्ष सभापटल पर रखे जाते हैं । [पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 4123/65]

T. B. Clinics

1843. { **Shri Kamble :**
 { **Shri Dighe :**

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) the number of T.B. clinics established at present for T. B. patients throughout the country (State-wise) ;

(b) whether the number of patients has shown a downward trend after the opening of such clinics ; and

(c) if so, the percentage of patients who have so far been cured of this disease during the current plan period ?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) At the end of the year 1964, there were 414 T.B. Clinics in the country. A statement showing the State-wise distribution of the T.B. Clinics is attached.

(b) and (c). The required information is being collected and will, when available, be placed on the table of the Sabha. [**Placed in the Library.** See No. LT 4124/65]

महालेखापाल कार्यालय, पंजाब के कर्मचारी

1844. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महालेखापाल कार्यालय, पंजाब के कुछ कर्मचारियों को (जो पहले पेप्सू सरकार के कर्मचारी थे और अब महालेखापाल के कार्यालय में रख लिये गये हैं) वह लाभ दिये गये हैं जो उन्हें महालेखापाल कार्यालय, पंजाब में लिये जाने से पहले प्राप्त थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कर्मचारियों तथा महालेखापाल का कार्यालय, पंजाब के अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बीच छुट्टी सम्बन्धी यात्रा रियायत, अधिक महंगाई भत्ता, बच्चों की शिक्षा के लिये भत्ता आदि के मामलों में भेदभाव किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस वर्तमान भेदभाव को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० ति० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). भेदभाव करने का सवाल ही नहीं है । इन कर्मचारियों ने खुद विलयन से पहले की अपनी शर्तों को बनाये रखना पसंद किया है ।

आयात अधिकार योजना

1845. { श्री मी० ह० मसानी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात सम्बन्धी प्रस्तावित कर-ऋण प्रमाणपत्रों के जारी होने से इस समय चालू आयात अधिकार योजनाओं के काम पर कोई प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार से ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). निर्यातों से सम्बन्धित कर ऋण प्रमाण-पत्र देने के लिए एक योजना अभी बनानी है । निर्यातों की उन्नति के लिए चालू आयात अधिकार योजनाएँ विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं । अभी यह नहीं कहा जा सकता कि निर्यातों के लिए प्रस्तावित कर ऋण प्रमाण-पत्र आयात अधिकार योजनाओं को कहां तक प्रभावित करेंगे ।

बोनस शेयर

1846. { श्री मी० ह० मसानी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त स्कन्ध समवायों द्वारा शेयर प्रीमियम लेखों के अतिरिक्त रक्षित निधि से वर्ष 1964-65 में कोई बोनस शेयर जारी किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो जारी किये गये शेयरों से कितना कर वसूल हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) अब तक कम्पनियों से जो रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, उनके अनुसार, मिश्रित पूंजी कम्पनियों (जॉइन्ट स्टॉक कम्पनियों) ने 1964-65 में शेयर प्रीमियम लेखों से भिन्न रक्षित निधियों से बोनस शेयर जारी करके 4,56,237 रुपया इकट्ठा किया ।

(ख) अभी तक उपयुक्त बोनस शेयरों पर कर नहीं लगाया गया है, क्योंकि कर-निर्धारण वर्ष 1965-66 से इन के कर का निर्धारण होगा ।

बम्बई में सोने का तस्कर व्यापार

1847. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग ने 11 मार्च, 1965 को अथवा उसके आस-पास घोड़ बन्दर के समीप एक कार से जो निषिद्ध सोना तथा हाथ की घड़ियां पकड़ी हैं वह इस वर्ष अब तक पकड़े गये माल से सबसे अधिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या बाद में की गयी जांच से यह पता चला है कि यह काम अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापारियों के एक सु-संगठित गिरोह का है ?

वित्त मंत्री (श्री त्रि० त० कृष्णमाचारी) : (क) 11 मार्च, 1965 को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पदाधिकारियों ने बम्बई में घोड़ बन्दर के निकट एक एम्बैसेडर कार पकड़ी और विदेशी मार्का का 4000 तोला सोना, 6930 विदेशी हाथ-घड़ियां और 10,000 रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद की। पकड़े गये माल और कार का कुल मूल्य लगभग 11,70,000 रुपये है।

(ख) मामले की अभी जांच-पड़ताल हो रही है और इस समय कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती।

केरल भूमि सुधार अधिनियम

1848. श्री अ० ब० राघवन् : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल भूमि सुधार अधिनियम काश्तकारों को योजना आयोग की कल्पना के अनुसार स्वामित्व अधिकार देने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग की कल्पना के अनुसार भूमि सुधार करने के लिये उस अधिनियम में कोई संशोधन करने की कोई योजना है;

(ग) केरल कृषि सम्बन्ध अधिनियम के अन्तर्गत, उसके रद्द किये जाने से पहले, जू-स्वामियों के अधिकार खरीदने के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और केरल भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) केरल भूमि सुधार अधिनियम के अधीन गठित भूमि न्यायाधिकरणों को बनाये रखने में आज तक कितना व्यय हुआ है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) काश्त करने वाले काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार देने के लिए केरल भूमि सुधार अधिनियम में, दो प्रकार की व्यवस्था की गई है :—

(1) काश्तकार, कानून में निर्धारित मुआवजा देकर स्वामित्व खरीद सकते हैं। परन्तु इसके लिए उन्हें आवेदन पत्र देना होगा।

(2) सरकार द्वारा स्वयं सूचित तिथि के बाद मुआवजे की अदायगी करने पर, स्वामित्व अधिकार हस्तान्तरित किये जा सकते हैं।

पूर्व व्यवस्था 1 अप्रैल, 1964 से लागू की गई थी। आजकल भूमि ट्रिव्यूनल उचित किराये के निर्धारण का काम कर रहे हैं। स्वामित्व के हस्तान्तरण के लिये मुआवजा उचित किराये के गुणजों के अनुसार है, अतः स्वयं कार्रवाई की व्यवस्था तभी लागू की जा सकती है जबकि किरायों का निर्धारण हो जाय।

(ख) अधिनियम को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

दिल्ली में आवास

1849. श्री शिव चरण गुप्त : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962-63, 1963-64 तथा 1964-65 में दिल्ली में निम्नलिखित योजनाओं के अधीन कितने रुपये के ऋण दिये गये तथा 1965-66 के लिये कितने का उपबन्ध किया गया है :

(एक) निम्न आय वर्ग आवास योजना; और

(दो) मध्यम आय वर्ग आवास योजना; और

(ख) उक्त प्रत्येक योजना के अधीन तथा दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली विकास प्राधिकरण और भारत सरकार द्वारा कितने मकान बनाये गये ?

निर्माण और आवासमन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4125/65]

हैजे का उन्मूलन

1850. { डा० रानेन सेन :
श्री बीनेन भट्टाचार्य :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय भेषज अनुसन्धान संस्था और पश्चिम बंगाल सरकार ने संयुक्त रूप से कलकत्ता में उस नगर से हैजे का उन्मूलन करने की एक विशेष परि-योजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० मुशीला नायर) : (क) और (ख). भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्, विश्व स्वास्थ्य संगठन और पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कलकत्ता में हैजा वैक्सीनों का एक नियंत्रित क्षेत्र परीक्षण कर रही है। गत वर्ष 3 चुने हुए वार्डों में 51,000 व्यक्तियों को 5 वैक्सीनों के टीके लगाये गये थे। यह प्रयोग इस वर्ष भी जारी है। यह परीक्षण मुख्यतया चिकित्सा तथा सहायक कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की विधि का अध्ययन करने

तथा हैजा की रोक थाम विभिन्न वैक्सीनों की प्रभावकारिता जानने के लिए किया गया था। इस क्षेत्र अनुसन्धान से यादृच्छिकीकरण की सार्थकता, अनुपरीक्षण का टैक्नीक तथा कलकत्ता राजधानी क्षेत्र में हैजा नियंत्रण से सम्बन्धित अस्पतालों, क्षेत्र कार्यकर्ताओं तथा प्रयोगशाला सेवाओं के बीच संगठनात्मक सहयोग स्थापित करने के बारे में जानकारी मिलेगी।

पूर्वलिखित विषयों के बारे में परस्पर मूल्यवान तुलनात्मक जानकारी प्राप्त हुई है। प्रारम्भिक परीक्षणों के अन्तर्गत एक भारतीय वैक्सीन और एक विदेशी वैक्सीन अपेक्षतया अधिक प्रभावकारी पायी गई है। एक या एक से अधिक हैजा वैक्सीनों के पक्ष में स्पष्ट प्रमाण प्राप्त करने के विचार से इस परीक्षण को 6 अतिरिक्त वाडों में लगभग 1,50,000 व्यक्तियों पर टीका लगा कर अपेक्षया बड़े पैमाने पर दोहराया जा रहा है। इस महामारी के चरम प्रकोप के समय और उसके कुछ महीनों बाद टीका लगाये गये व्यक्तियों के पूर्ण अनुपरीक्षण के लिए इस प्रायोजना को लगभग सितम्बर 1965 तक जारी रखने का विचार है।

आशा है कि इन अध्ययनों के परिणामों से कलकत्ता में हैजा-नियंत्रण का एक निश्चित कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी।

कोठागुडियम तापीय कारखाना

1852. श्री र० ना० रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोठागुडियम तापीय कारखाने के लिये विश्व बैंक से अब तक कितना ऋण मिल चुका है; और

(ख) इस कारखाने पर अब तक कितनी रकम खर्च हो चुकी है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के 200 लाख डालर के ऋण में से अभी तक 33.5 लाख डालर लिये गये हैं।

कस्बों और नगरों के लिये वृहत् योजनायें

1853. श्री शिव चरण गुप्त : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में सारे देश में कस्बों और नगरों के लिये वृहत् योजना तैयार करने के लिये क्या व्यवस्था की गई थी;

(ख) 1961-62, 1962-63 और 1963-64 में कितनी धन राशि का उपयोग किया गया और 1964-65 के लिये कितनी व्यवस्था की गई है;

(ग) प्रत्येक राज्य को 1963-64 तक कितनी राशि दी गई थी और 1964-65 के लिये कितनी व्यवस्था की गयी है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में किन कस्बों तथा नगरों के लिये वृहत् योजनायें तैयार की गई हैं या तैयार की जा रही हैं ?

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) केन्द्रीय सेक्टर में 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी।

(ख)	1961-62	कोई धन राशि मंजूर नहीं की गई ।
	1962-63	28.18 लाख रुपये
	1963-64	22.80 लाख रुपये
	1964-65	70.00 लाख रुपये (बजट प्राक्कलन)

(ग) एक विवरण (परिशिष्ट-1) सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4126/65]

(घ) शहरों तथा संघ क्षेत्रों के नाम और विकास योजना (मास्टर प्लान) की वर्तमान स्थिति सम्बन्धी एक विवरण (परिशिष्ट-2) सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4126/65]

श्रीसेलम परियोजना

1854. { श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने श्रीसेलम परियोजना का व्यय पूरा करने के लिये विदेशी मुद्रा मांगी थी; और

(ख) कितनी राशि मांगी थी तथा कितनी मंजूर की गई और कब ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) मांगे गये धन की राशि 2 करोड़ रुपये है जिस के प्रति अभी तक कोई स्वीकृति नहीं दी गई है ।

सुनार

1855. { श्री गोपालदत्त मैगी :
श्री अब्दुल गनी गोनी :
श्री समनानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियंत्रण आदेश से भारत के प्रत्येक राज्य में कितने सुनारों पर प्रभाव पड़ा;

(ख) ऐसे सुनारों की (राज्यवार) संख्या कितनी है जिन्हें पुनर्वास के लिये ऋण अथवा अनुदान दिये गये; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये राज्यवार अब तक कुल कितनी धनराशि नियत की गई तथा दी गई ?

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) यह अनुमान लगाया जाता है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश के परिणामस्वरूप करीब 2,70,000 सुनार प्रभावित हुए थे । **इनमें से

**प्रभावित सुनारों की कुल संख्या के राज्यानुसार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु 2,70,000 के आंकड़े, जैसा कि स्वर्ण नियंत्रण विधेयक की पृष्ठ भूमिका पर टिप्पणी में संसद् को प्रति-वेदित किया गया है, 1961 की जनगणना में सुनारों, चांदी का काम करने वालों और स्वर्ण व्यवसायियों की संख्या से लगाये गये अनुमान से प्राप्त किये गये हैं ।

करीब 2,28,507 ने सुनारों के रूप में कार्य करने के लिये प्रमाणपत्रों के लिये आवेदन किया है और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में समर्थ हुए हैं।

(ख) और (ग). सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4127/65]

जिला प्रशासन का अध्ययन

1856. { श्री दे० जी० नायक :
श्री छोट्टभाई पटेल :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कागजी कार्रवाई और देर कम करने के लिए योजना आयोग ने जिला प्रशासन के अध्ययन की एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अध्ययन किया गया था और उससे क्या परिणाम निकले ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). 1962 में योजना आयोग ने गुजरात सरकार के सहयोग से सावरकंठा जिले में जिला प्रशासन के कार्य के अध्ययन के लिए एक स्कीम बनाई थी। यह अध्ययन योजना आयोग ने पूरा कर लिया है। इस क्षेत्रीय अध्ययन परियोजना की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(1) "सोवियट-लैंड" पत्रिका में प्रकाशित भारत का मानचित्र जिसमें अक्सार्ई चिन को चीन का भाग दिखाया गया

श्री बूटा सिंह (मोगा) : श्रीमान्, मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि वह उस पर वक्तव्य दें :--

"सोवियट-लैंड" पत्रिका के फरवरी, 1965 के अंक में प्रकाशित एक मानचित्र जिसमें अक्सार्ई चिन को चीन का भाग दिखाया गया है।"

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सरकार ने भारत तथा पड़ोसी देशों के उस मानचित्र को देखा है जो भारत स्थित रूसी दूतावास के सूचना विभाग ने "सोवियट-लैंड" पत्रिका के फरवरी, 1965 के अंक में "निशस्त्रीकरण और विकासशील देश" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित किया। यह मानचित्र एक खाके के रूप में है जिसमें उस खनिज सम्पत्ति तथा संसाधनों का वितरण दिखाया गया जिनका पता लग चुका है। यह स्पष्ट है कि इस मानचित्र के प्रकाशित करने का आशय भारत तथा

अन्य देशों की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को दिखाना नहीं था, तथापि इस में दिखाई गई भारत की सीमा उन भारतीय मानचित्रों के अनुरूप नहीं है जिनमें मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय सीमा दिखाई गई है ।

1961-62 में रूस सरकार का ध्यान रूस में प्रकाशित कुछ उन अन्य मानचित्रों की ओर दिलाया गया था जिनमें भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा गलत दिखाई गई थी । रूस सरकार ने उसके उत्तर में मामले की जांच करने के लिए कहा था । हमने एक बार फिर रूस सरकार का ध्यान फरवरी, 1965 के "सोवियट-लड" पत्रिका में प्रकाशित मानचित्र की ओर दिलाया है ।

सभा को विदित है कि भारत और रूस सरकार के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध है और उसने भारत में आर्थिक विकास तथा भारतीय सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए हमें पर्याप्त सहायता दी है ।

श्री बूटा सिंह : यह पत्रिका बम्बई में छपी जाती है और वहां से प्रकाशित की जाती है । हमारे देश में कानून के अनुसार यह दण्डनीय अपराध है । क्या सरकार ने इस पत्रिका के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक कानूनी मामला है । मैं इस मामले की जांच करवाऊंगा ।

श्री सोलंकी (कैरा) : क्या सरकार को विदित है कि वही मानचित्र फिर "दि मार्च ऑफ दि नेशन" नाम की पत्रिका में पुनः प्रकाशित किया गया था । जब रूस सरकार का इस मानचित्र सम्बन्धी बड़ी गलती की और स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू का ध्यान दिलाया गया था तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि भविष्य में इस प्रकार की गलतियां नहीं होने दी जायेंगी क्या वह आश्वासन वर्तमान सरकार के ध्यान में है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही कह दिया है कि 1961-62 में रूस सरकार का ध्यान उन मानचित्रों की ओर दिलाया गया था जिनमें भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा गलत दिखाई गई थी । मैंने यह भी कहा है कि हम इस मामले पर रूस सरकार से बातचीत कर रहे हैं ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : क्या सरकार को विदित है कि इस मानचित्र की एक प्रति क्रेमलिन में भी प्रदर्शन के लिए रखी गई है ? यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं नहीं कह सकता कि इस मानचित्र की कोई प्रति सरकारी तौर पर क्रेमलिन में प्रदर्शनार्थ रखी गई है । किन्तु मैंने पहले ही यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि रूस में बने हुए कुछ अन्य मानचित्रों के बारे में हमने विरोध प्रकट किया है ।

श्री कपूर सिंह : क्या उनका विचार इस बात का पता लगाने का है कि क्रेमलिन में वास्तव में इस प्रकार का कोई मानचित्र प्रदर्शनार्थ रखा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां । वह अवश्य इस बात का पता लगायेंगे ।

श्री रंगा (चित्तूर) : जब चीन को हमारी सरकार मित्र राष्ट्र कहती थी तब भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। यह बात समझ में नहीं आती कि हमारी सरकार रूसी सरकार का इस बात की ओर केवल ध्यान ही क्यों दिलाना चाहती है सरकार को इस प्रकार के परिचालित मानचित्रों को वापस लेने के बारे में आश्वासन देना चाहिए। हमारे देश में ऐसे मानचित्रों को केवल अंग्रेजी संस्करण में ही नहीं अपितु अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी परिचालित किया गया है, क्या सरकार इस मामले में उदासीन न रहकर उचित कार्यवाही करेगी ताकि रूसी सरकार भविष्य में राजनैतिक दृष्टि से इस प्रकार की गलतियों की पुनरावृत्ति न करे?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सरकार इस मामले पर रूसी सरकार से बातचीत कर रही है। इस मामले में सरकार उदासीन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या रूसी सरकार ने उन्हें कुछ आश्वासन दिया है?

श्री स्वर्ण सिंह : हम इस मामले पर उनसे पुनः बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने हमारे पहले पत्र का उत्तर नहीं दिया है।

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेश्वर) : रूसी सरकार और हमारी सरकार के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार रूसी सरकार से यह कहने का है कि वह उस मानचित्र में आवश्यक शुद्धि करने के बाद दूसरा मानचित्र प्रकाशित करे?

अध्यक्ष महोदय : इसी मामले पर वे बातचीत कर रहे हैं।

Shri Gulshan : May I know whether the hon. Minister proposes to proscribe the circulated copies of the magazine in which the map was published ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम इस मामले की कानूनी तौर पर जांच करेंगे।

(2) शेख अब्दुल्ला और चीन के प्रधान मन्त्री के बीच मुलाकात के समाचार

अध्यक्ष महोदय : मुझे आज फिर शेख अब्दुल्ला के बारे में स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाले विषयों की सूचनाएं मिली हैं। यह दैनिक कार्य हो गया है। श्री हेम बहग्रा।

श्री हेम बहग्रा (गोहाटी) : श्रीमान्, मैं वैदेशिक-कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और मैं अनुरोध करता हूँ कि वह इस पर वक्तव्य दें :—

“अल्जीयर्स में हुए शेख अब्दुल्ला और चीन के प्रधान मन्त्री श्री चाउ-एन-लाई की मुलाकात के समाचार”

श्री स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, हमें अभी तक अपने दूतावास से सरकारी तौर पर कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। हम उनसे सम्पर्क बनाये हुए हैं। अतः मैं इस विषय पर कल वक्तव्य दे सकूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री महोदय का कथन है कि उन्हें अभी तक राजदूत से सरकारी तौर पर सूचना नहीं मिली है । यह समाचार केवल अखबारों में ही नहीं निकला है अपितु आकाशवाणी से भी कल दो बार प्रसारित हो चुका है । इसका आशय देशद्रोही शेख अब्दुल्ला को केवल संरक्षण देना है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaia (Devas) : We raised this question yesterday also.

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : शेख अब्दुल्ला की श्री चाउ-एन-लाई से मुलाकात के समाचार को सरकार अत्यधिक गम्भीर मामला समझती है । मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह वैदेशिक कार्य मंत्री को इस सम्बन्ध में कल और अधिक विस्तृत रूप से वक्तव्य देने की अनुमति दे । इस सम्बन्ध में हमें आगे क्या कार्यवाही करनी पड़ेगी, इस पर भी हम विचार करेंगे ।

श्री हेम बहग्रा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमें यह बताया गया था कि अफ्रीका और अन्य देशों में नियुक्त हमारे राजनयिक कर्मचारियों को सरकार द्वारा शेख अब्दुल्ला की गतिविधियों पर निगरानी रखने तथा उनके (शेख) कार्यों की सूचना सरकार को देते रहने के बारे में हिदायत दी गई है । अब श्री चाउ-एन-लाई और शेख अब्दुल्ला के मुलाकात के समाचार पेंकिंग रेडियो और हमारे आकाशावणी से भी प्रसारित किये गये हैं । राजनयिक कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रहे हैं । इस असफलता पर सरकार तथा प्रधान मंत्री का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : पहले हमें इनका वक्तव्य सुनना है । वक्तव्य सुनने के बाद ही मालूम होगा कि हम असफल रहे हैं अथवा नहीं और ये सब प्रश्न भी तभी उठेंगे ।

श्री दाजो (इन्दोर) : अध्यक्ष महोदय, ध्यान दिलाने वाली सूचना अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय से सम्बन्धित होती है और आप शीघ्र ही उसकी प्रतियों को सम्बन्धित मंत्रालयों को भेज देते हैं । साधारणतया अन्य सभी मंत्रालय उसी दिन उत्तर दे देते हैं । केवल वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ही ठीक समय पर उत्तर नहीं देता है । इस सम्बन्ध में पहले ही दो दिन का विलम्ब हो गया है और इस मामले पर और अधिक विलम्ब होने पर उसका महत्व ही समाप्त हो जाता है । प्रधान मंत्री महोदय भी बीच में बोले हैं किन्तु इसका कारण क्या है कि हर समय वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ठीक समय पर अपने उत्तर नहीं दे पाता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को पहले बता चुका हूँ कि ध्यान दिलाने वाली सूचना मिलते ही मैं उसकी प्रतियां तथ्यों की जानकारी के हेतु शीघ्र ही भेज देता हूँ और मैं अधिक से अधिक 48 घंटे तक प्रतीक्षा कर सकता हूँ । यदि 48 घंटे के अन्दर मुझे सूचना नहीं मिलती तो मैं उसे आदेश पत्र में रख देता हूँ । जब विलम्ब हो जाता है, तो मैं और अधिक समय तक उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना उसे सभा की कार्य सूची में शामिल कर देता हूँ । यही मैं कर सकता हूँ ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, the ruling given by you is acceptable to us. But we have one objection. Had the statement been made today it would have enabled the House to suggest that the passport issued to Sheikh

Abdullah might be cancelled, if permissible under rules and he could further be asked to come back. In case the hon. Minister is prepared to do so, he might make the Statement tomorrow or even day after tomorrow.

Mr. Speaker: If the hon. Member goes through the rules, he will come to know that the Minister may ask for time and he has a night to make a statement at a later hour or date. I cannot deny his right.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): Sir, the Chinese Embassy in India has been supporting the plebiscite front and the Government of China which once stated that Kashmir issue was an internal matter of India, is today in favour of Sheikh Abdullah and Pakistan. Sheikh Rashid, the nephew of Sheikh Abdullah has been hatching a deep-laid conspiracy in consultation with Pakistan and China. It appears that India will be losing Kashmir. In view of the situation which is growing more serious and adjournment motion should be admitted.

Mr. Speaker : Adjournment Motion is also pending. I will hear the statement first and then decide whether really there has been failure on the part of the Government.

Shri Prakash Vir Shastri : Government should tender its resignation, particularly the Minister of Foreign Affairs must be asked to submit his resignation.

Mr. Speaker : This falls within your rights, however, I will read out the relevant rule. Rule 197 reads thus :

“.....to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date.”

“किसी भी अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर मंत्री एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा अथवा बाद के किसी समय या तिथि को वक्तव्य देने के लिए समय मांग सकेगा ।”

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Sir, the matter is of urgent importance. The Prime Minister or the Minister of Foreign Affairs may make a statement by 5 O'clock today or tomorrow itself. The incident which has taken place might lead to some serious consequences. I will, therefore, request the Prime Minister to apprise the House of the proposed steps, if any, to meet the situation in view. I will further add that the Adjournment motion may be admitted.

Shri S.M. Banerjee : Sir, you have converted the Adjournment Motion into Call Attention Notice, and you have been pleased to admit that.

Mr. Speaker : Under Rules, no such Adjournment Motion may be allowed when the demands for Grants relating to the Ministry of External Affairs are being discussed in the House. In spite of that I have kept the Adjournment Motion in pending keeping in view the urgency and importance of the matter.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों से सम्बन्धित मामलों के उत्तर देने के लिए आपने सरकार के लिए जो 48 घंटे का समय नियत किया हुआ है उस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। हाल ही हमने देखा है कि सदस्यों द्वारा दिये गये अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचनायें, जो कभी-कभी स्थगन प्रस्तावों के स्थान पर स्थानापन्न रूप में सूचनायें होती हैं, और जो वास्तव में अविलम्बनीय महत्व के विषयों से सम्बन्धित होती हैं, सरकार उन सूचनाओं के साथ उस आग्रह के भाव से व्यवहार नहीं करती है अथवा सरकार उस आग्रह की भावना से प्रेरित नहीं होती है। अतः मेरा सुझाव है कि इस अवधि को, उन विशेष मामलों में छोड़कर जिनके लिए आप 48 घंटे का समय आवश्यक समझें, घटाकर 24 घंटे कर दिया जाये।

श्री श्याम लाल सराफ (जम्मू तथा काश्मीर) : यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है जिसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। मेरे विचार में एक गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय षड़यंत्र रचा जा रहा है। समचारपत्रों के अनुसार शेख अब्दुल्ला ने लि मोन्डे, पेरिस से कहा है कि उनका विचार अपने देश अर्थात् काश्मीर लौटने का है। उनका आशय भारत से नहीं था। अतः प्रश्न की गहराई पर विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि वैदेशिक-कार्य मंत्री को समय दिया जाये ताकि वह प्रश्न पर भली भांति विचार करके और स्थिति का गहन अध्ययन करके इस सम्बन्ध में विस्तृत वक्तव्य दे सकें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें पहले ही समय दे दिया है।

इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम) : मंत्री महोदय वक्तव्य कब देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : कल, प्रश्न काल के पश्चात्।

श्री स्वर्ण सिंह : जी, हां।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620-क की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 27 फरवरी 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 297 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखियें संख्या एल० टी० 4114/65]

पंचायती राज निर्वाचन सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्डे) : मैं श्री सु० कु० डे० की ओर से पंचायती राज निर्वाचन, 1965 सम्बन्धी समिति प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखियें संख्या एल० टी० 4115/65]

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नसक अधिनियम, सभा-शुल्क अधिनियम और आय-कर अधिनियम

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रामेश्वर साहु) : मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

- (1) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत जी० एस० आर० 290 दिनांक, 27 फरवरी, 1965, जिसके द्वारा सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) नियम, 1960 में कुछ और संशोधन किये गये, की एक प्रति [इस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4116/65]
- (2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, जी० एस० आर० 294 दिनांक 27 फरवरी, 1965 की एक प्रति । [इस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4117/65]
- (3) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 के धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 13 मार्च, 1965 की अधिसूचना, संख्या जी० एस० आर० 420 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति । [इस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 4118/65]
- (4) आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम 1965, जो दिनांक 9 मार्च, 1965 के अधिसूचना संख्या एस० आ० 860 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति । [इस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4119/65]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश प्राप्त हुआ है :—

“राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश मिला है कि राज्य सभा अपनी 31 मार्च, 1965 की बैठक में लोक-सभा द्वारा 19 मार्च, 1965 को पास किये गये सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) जारी रखना विधेयक, 1965 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई ।”

अनुदानों की मांगें --जारी

अध्यक्ष महोदय : अब वैदेशिक कार्य मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा जारी रहेगी । 5 घंटों में से 1 घंटा और 15 मिनट बीत चुके हैं और 3 घंटे और 45 मिनट बाकी हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : समय को एक घंटा बढ़ा दिया जाय ।

श्री विद्या चरण शुक्ल (महासमद) : इस वर्ष हमें वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के कार्य का पुनरीक्षण अवश्य करना चाहिये क्योंकि एक महान व्यक्ति जो उस कार्य को संभाले हुये थे अब नहीं रहे । श्री स्वर्ण सिंह को पहला विदेश मंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त है ।

हमारी तटस्था की नीति पर निरन्तर आक्षेप किये जाते हैं। यह नीति हमारी परम्परा से सम्बन्धित है और इसे सम्पूर्ण देश का समर्थन प्राप्त है। हमारी प्रगति तभी हो सकती है यदि हम गुटबन्दी से पृथक रहें। किसी भी गुट से सम्बन्ध स्थापित करने से जो लाभ होगा वह बिल्कुल अस्थायी होगा।

राष्ट्रमंडल का सदस्य हमें रहना चाहिये अथवा नहीं, इसका हमें ठंडे दिमाग से विश्लेषण करना चाहिये। मेरे विचार में इसका सदस्य रहने से हमें कोई लाभ नहीं बल्कि इसकी सदस्यता से हमें कई प्रकार के अलाभ ही हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह हमारी तटस्था की नीति के भी विरुद्ध है। यदि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य न होते तो यूरोपियन साझा मण्डी से हमारा आयात निर्यात व्यापार बहुत अच्छा होता।

राष्ट्रमंडल के राजनैतिक लाभ भी नहीं के बराबर हैं। काश्मीर के और अन्य मामलों में ब्रिटेन और अमरीका सदैव पाकिस्तान का साथ देते हैं।

माननीय विदेश मंत्री को हमें इस सम्बन्ध में भारत सरकार के विचारों से अवगत करा देना चाहिये क्योंकि यह प्रश्न हमेशा हमें खटकता रहता है कि हमें ऐसे वर्ग का सदस्य रहना चाहिये कि नहीं जिससे हमें कोई लाभ तो है नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में इससे कुछ बाधाएँ ही आती हैं।

मेरे विचार में शेख अब्दुल्ला को विदेश यात्रा के लिये पासपोर्ट देने के लिये जो निणय लिया गया था वह बहुत ही उपयुक्त है। विदेश यात्रा के दौरान अपने आचरण से उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया और विशेषतया काश्मीरियों को पता चल गया कि शेख अब्दुल्ला पर कितना विश्वास किया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब वह वापिस आयेंगे तो काश्मीर में उनका प्रभाव और आदर बहुत कम हो जायेगा।

अपनी विदेश यात्रा के लिये प्रधान मंत्री ने जो रूस को चुना है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूँ क्योंकि इस देश ने हमारी हर मामले में सहायता की है और विशेषतया काश्मीर के मामले में रूस ने हमारी सुरक्षा परिषद् में बहुत सहायता की थी। प्रधान मंत्री की रूस यात्रा से हमारे सम्बन्ध और भी दृढ़ हो जायेंगे। मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री यूगोस्लाविया की यात्रा के लिये भी शीघ्र ही कोई तिथि निश्चित करेंगे क्योंकि इस देश से भी हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं। हमें नागाओं से बातचीत आरम्भ करने से पहले यह स्पष्ट कर देना चाहिये था कि जो भी समझौता होगा वो भारत के संविधान के अनुसार होगा। परन्तु हमने इस बात को स्पष्ट नहीं किया। यदि अब समझौते की बातचीत असफल रही तो नागालैण्ड में पहले से अधिक रक्तपात होगा और लोगों को अधिक दुःख उठाने पड़ेंगे। दूसरी गलती यह हुई कि राजनैतिक समझौते के लिये हमने असैनिक अधिकारी को नियुक्त किया है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता जिसका राजनीति से सम्बन्ध हो तो वह बातचीत अच्छी प्रकार कर सकता था।

इस वार्तालाप के दौरान कुछ बहुत ही अरुचिकर पूर्वोदाहरण स्थापित किये गये हैं। एक राज्य के मुख्य मंत्री को एक असैनिक अधिकारी के अधीन काम करना पड़ा; दूसरे, एक विदेशी श्री माइकेल स्कॉट को हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने दिया गया। किसी भी स्वाधीन देश में किसी विदेशी को इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाता। इस सब के बावजूद मुझे आशा है कि किसी प्रकार का समझौता हो जायेगा।

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

मुझे संनद्ध-सदस्यों के एक दल, जो नागालैण्ड गया था, की रिपोर्ट पढ़ कर बहुत हैरानी हुई। इसमें उन्होंने जानबूझ कर या गलती से नागा संघीय सरकार का जिकर किया है। इसे उद्धरण चिन्ह (इंवर्टेड कोमाज़) में नहीं दिया गया; यह इस प्रकार दिया गया है जैसे कि यह नागा संघीय सरकार ही हो। हमने कभी भी नागा संघीय सरकार को मान्यता नहीं दी। इस प्रश्न पर कि नागालैण्ड प्रशासन का कार्य गृह मंत्रालय को सौंप दिया जायेगा अथवा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के पास रहेगा, शीघ्र ही कोई निर्णय होना चाहिये। नागालैण्ड की स्थिति तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि नागाओं ने यह आग्रह किया था कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री इस मामले को स्वयं सुलझायें; परन्तु नेफा को क्यों विदेश मंत्रालय के अधीन रखा गया है? यह कार्य गृह मंत्रालय को सौंप दिया जाना चाहिये क्योंकि इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत उल्टा पड़ता है।

अफ्रीका के मामले में हम उतना ध्यान नहीं दे रहे जितना देना चाहिये। कीन्या ने, जिससे हमारे बहुत अच्छे सम्बन्ध थे और जहां बहुत से भारतीय रहते हैं, चीन में अपना दूतावास खोला है परन्तु उसने भारत में दूतावास खोलना उचित नहीं समझा। इससे हमें अफ्रीका की विचारधारा का अन्दाज़ लगा लेना चाहिये।

परन्तु इन सब कठिनाईयों के बावजूद, सरदार स्वर्ण सिंह ने इस कार्य को बहुत अच्छी प्रकार निभाया है और उन्हें देश के सभी समझदार व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त है।

श्री ही० ना० मुकुर्जी (कलकत्ता-मध्य) : कुछ वर्ष पूर्व विश्व सम्बन्धी मामलों में हम काफी दिक्कतें लेते रहे थे। परन्तु अब हम इस मामले में इतना पिछड़ गये हैं कि हमें अपनी वैदेशिक नीति के मूलभूत सिद्धान्तों में विश्वास नहीं रहा। यह हर्ष का विषय है कि सरकार गुट-निरपेक्षता की नीति का अभी भी पालन कर रही है और हमारी प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं तथा विकास के लिये यह नीति आवश्यक भी है। सामाजवादी संसार तथा पश्चिमी देशों से हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं और हमें दोनों गुटों से सहायता मिलती है। परन्तु इस सहायता से हमें अपनी नीति से विचलित नहीं होना चाहिये क्योंकि जब भी हमें पश्चिमी देशों से सहायता मिलती है तो हम सचाई के पथ से डिग जाते हैं, जैसा कि वियतनाम के प्रति हमारे रवैये से स्पष्ट है। हमारी सरकार का यह विचार है कि क्योंकि हम अमरीका पर सहायता के लिये निर्भर हैं, इस लिये हम विश्व के मामलों में अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति नहीं रख सकते।

यह स्पष्ट है कि अमरीका वियतनाम में 60 लाख डालर प्रति वर्ष व्यय कर रहा है और सायगोन में कठपुतली सरकार स्थापित कर रहा है और हजारों सैनिक ला रहा है। मैंने यह पाया है कि श्री मसानी वियतनाम में अमरीकी कार्यवाहियों का समर्थन कर रहे हैं; परन्तु वह इतिहास के चक्र को रोक नहीं सकते। श्री मसानी के विचार में वियतनाम में अमरीका जिस प्रकार की गैस का प्रयोग कर रहा है वह जहरीली नहीं है। परन्तु 26 मार्च, के "न्यू स्टेट्समैन" में जो साम्यवादी समर्थक नहीं है, और 25 मार्च, 1965 के "न्यू यार्क टाइम्स" में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वियतनाम में जिस स गैस का प्रयोग हो रहा है वह जहरीली है और बच्चों, बूढ़ों तथा बिमारों के लिये घातक भी है। एक स्वाधीन देश के विरुद्ध जहरीली गैस का प्रयोग किया जा रहा है और अघोषित युद्ध चल रहा है फिर भी संयुक्त राष्ट्र चुपचाप बैठा है। यह ऐसी स्थिति है जिसके बहुत घोर दुष्परिणाम निकल सकते हैं। भारत को इस स्थिति को रोकने के लिये कुछ करना चाहिये। बहुत कुछ कहने सुनने के उपरान्त विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री ने कुछ शब्द कहे। लेकिन एसी चीज़, जिसे "न्यू यार्क टाइम्स" ने भी अमानुषिक कहा है, उसकी निन्दा करने में हम हिचकिचा रहे हैं।

हमें अमरीका से कहना चाहिये कि वह वियतनाम से अपनी सेना हटा ले। जहां कहीं भी मानवता के विरुद्ध अत्याचार हुये हैं, हमने उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई, चाहे वो चीन हो अथवा स्पेन हो। अतः भारत को इस कर्तव्य से चूकना नहीं चाहिये।

यह अच्छी चीज़ है कि भारत ने इस मांग के लिये अन्य गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का साथ दिया है कि वियतनाम की समस्या को बिना पूर्व शर्तों के बातचीत द्वारा सुलझाया जाना चाहिये। परन्तु इस बैलग्रेड सम्मेलन में भारत का भाग उतना प्रभावपूर्ण नहीं रहा जितना होना चाहिये था। हमें यू० ए० आर० और यूगोस्लाविया से अपने मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखना चाहिये। इस सम्बन्ध का स्वर्गीय पंडित नेहरू ने निर्माण किया था। यह भी सुना गया है कि काहिरा और बैलग्रेड से निरन्तर परामर्श करने की प्रथा अब प्रायः समाप्त हो गई है। राष्ट्रपति नासर के प्रति हमारे मैत्रीपूर्ण रवैये के बावजूद हम उन्हें शेख अब्दुल्ला को अधिक महत्व न देने से नहीं रोक सके। हम अपने गुट-निरपेक्ष मित्रों को खो रहे हैं। जब फ्रांस के प्रधान मंत्री अपने विदेश मंत्री के साथ भारत यात्रा पर यहां आये, तो हमने चीन और पाकिस्तान सम्बन्धी अपने झगड़े के सम्बन्ध में उनसे कोई वार्ता नहीं की।

चीन के सम्बन्ध में, सिवाय मामले को कालम्बो प्रस्तावों पर छोड़ कर, हमने और कोई प्रयत्न नहीं किया। फ्रांस के प्रधान मंत्री शायद इस मामले में कोई सहायता कर सकते थे। परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ नहीं पता कि सरकार इस ओर क्या प्रयत्न कर रही है।

विश्व के अपने भाग में आणविक-हथियारों से रहित क्षेत्र बनाने के लिये हमने कोई प्रयत्न नहीं किया। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन राष्ट्रों को, जिनके पास आणविक हथियार हैं, प्रार्थना की थी कि व उन राष्ट्रों की सुरक्षा का दायित्व लें जिनके पास आणविक हथियार नहीं हैं। परन्तु कुछ राष्ट्रों ने इसका गलत अर्थ निकाला है। यही प्रस्ताव अफ्रीका और एशिया के राष्ट्रों के लिये अधिक स्वीकार्य होता यदि उन्होंने इस बात पर वल दिया होता कि अणु अस्त्र रखने वाले राष्ट्र स्वच्छा से निःशस्त्रीकरण करें।

पाकिस्तान द्वारा निरन्तर गोलीबारी करने के बावजूद हम अपनी सहनशीलता को छोड़ना नहीं चाहते। यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संधी वर्तलाप होने वाला है। हमें सीटो से इस मामले पर विरोध प्रकट करना चाहिये कि पाकिस्तान ने कूच बिहार में सीटो के हथियारों का प्रयोग किया है। नागालैण्ड में भी अमरीकी निशान वाले हथियार पाये गये हैं।

यह भारत का दुर्भाग्य है कि यह उन सब राष्ट्रों की नजरों में पगिर गया जो इसके कभी सच्चे मित्र थे। शेख अब्दुल्ला, जिसने पहले कुछ अच्छे कार्य किये थे, अब भारत के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें इस कार्य के लिये पासपोर्ट और मुक्तहस्त से विदेशी मुद्रा भी दी है। ब्रिटन में उनकी गतिविधियों के विरुद्ध मुझे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु काहिरा और अल्जीयर्स में भारत के विरुद्ध ज़हर उगलना मुझे अच्छा नहीं लगा। आज ही सभा में जब यह प्रश्न उठाया गया तो सरकार यह नहीं बता सकी कि शेख अब्दुल्ला को पासपोर्ट देने का राजनैतिक निर्णय क्यों लिया गया। मैं इसके बारे में आज ही उत्तर चाहता हूं। क्या उन्होंने यह समझ कर पासपोर्ट दिया था कि वो भारत का यश-मान करेंगे? यदि सरकार को पता था कि वो भारत के विरुद्ध प्रचार करेगा तो सरकार ने उसको सोकने के लिये क्या कार्यवाही की है? क्या हमने राष्ट्रपति नासर से इस सम्बन्ध में कोई बातचीत की थी? मैं इस मामले में आज और अभी सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि उसने शेख अब्दुल्ला को पासपोर्ट क्यों दिया। विश्व में हम उपाहस का विषय बन गये हैं कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट दिया है जो अपने आप को पहले दर्जे का काश्मीरी मुस्लिम नागरिक बताता है।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

अमरीका में हमारे राजदूत ने श्री लाल बहादुर शास्त्री के आणविक सम्बन्धी गारंटी का बहुत गलत प्रचार किया। विदेश सचिव, श्री शुक्ल जिनको नागालैण्ड के विद्रोहियों से वार्ता करने का प्रभार दिया गया था, उनको राष्ट्रपति का सचिव बना दिया गया है; परन्तु यह पता नहीं क्यों ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में कुछ प्रगतिशील व्यक्तियों से आर्थिक विषयों को लेकर अन्य लोगों को दिया जा रहा है। इसी कारण जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंडल की यहां बैठक हुई तो वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधिकारियों को बहुत दुःख हुआ।

टोक्यो में स्थित हमारे दूतावास ने, ओलम्पिक खेलों के दौरान हमारे दल की सुविधा की ओर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया; यहां तक कि हाकी टीम, जिसने स्वर्ण पदक जीता था, उसको चाय तक के लिये नहीं बुलाया।

संसद् सदस्य जो विदेश यात्रा के लिये जाते हैं हमेशा हमारे दूतावासों की बुराई करते हैं। जब पूर्वी जर्मनी गणतन्त्र गणराज्य के राष्ट्रपति काहिरा गये तो हमारे वहां के राजदूत लीबिया यात्रा पर गये हुये थे और हमारे कार्यवाहक दूत को उनके आगमन के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं था।

हमारा व्यवहार जर्मन डिमोक्रटिक रिपब्लिक से ठीक नहीं रहा है। इस देश से हमारे कई प्रकार के करार हैं। हमारा व्यापार पिछले 10 साल में बढ़ा है। इस देश ने हमारे साथ रुपये में भगतान सब से पहले आरम्भ किया था। वहां के नेताओं ने भारत की यात्रा भी की है। अनौपचारिक रूप से हमारा बहुत आदान प्रदान है परन्तु हमारे राजनैतिक सम्बन्ध नहीं हैं। यह बहुत विचित्र मालूम होता है। इस प्रकार करना हमारे लिये उचित नहीं है। हमें अपने देश का मान विदेशों में बढ़ाना है। अल्जीयर्स में दूसरा अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन होने जा रहा है। उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी चाहिये। सरकार को इस ओर अभी से ध्यान देना चाहिये। आज संसार में बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हमें ऐसी स्थिति में बहुत सतर्क रहना है और सरकार के नेताओं को स्वयं ध्यान देना होगा। यह कार्य सरकारी अधिकारियों पर छोड़ा नहीं जा सकता।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : इस वर्ष के वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट में बहुत से अच्छे अच्छे परिवर्तन किये गये हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है। मैं इस कार्य की सराहना करता हूँ और सम्बन्धित व्यक्तियों को बधाई देता हूँ। आज विश्व में बहुत सी समस्याएँ हैं। दक्षिण-पूर्वी एशिया में बहुत गड़बड़ है। आज भारत का पहले की भांति प्रतिष्ठित स्थान नहीं है। भारत की प्रतिष्ठा को चीन के आक्रमण से बहुत क्षति पहुंची है। मेरी इस बात का प्रमाण हमारी काहिरा सम्मेलन में असफलता से भी मिलता है। वहां पर हमारे प्रधान मंत्री के चीन को एक प्रतिनिधिमण्डल भजने सम्बन्धी प्रस्ताव को बहुत कम समर्थन मिला था। इस बारे में मुझे प्रधान मंत्री से एक शिकायत करनी है। अपने इस प्रस्ताव को इन्होंने बिल्कुल गोपनीय रखा था। शायद वैदेशिक-कार्य मंत्री को भी इसकी सूचना नहीं थी। समाचार पत्रों के सम्पर्क अधिकारी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। उचित तो यह था कि प्रधान मंत्री अनौपचारिक रूप से इसके बारे में सूचना दे देते।

हम छोटे देशों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते जिसके फलस्वरूप हमें हानि उठानी पड़ती है। हमें दक्षिण पूर्वी एशिया की घटनाओं की ओर आवश्यक ध्यान देना है। आज इस क्षेत्र में हमें कोई पूछता नहीं है। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने हमारे देश से इस बारे में सलाह नहीं की जब

कि उन्होंने फ्रांस, चीन और रूस से सलाह ली थी। अमरीका वियतनाम में घातक गैस का प्रयोग कर रहा है। हमें इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी है और इस आशय का संसार में जनमत तैयार करना है।

आज चीन और इंडोनेशिया दक्षिण-पूर्वी एशिया में तनाव बढ़ा रहे हैं। और इसमें उनको सफलता भी मिल रही है। हमारी सरकार को इस बारे में ढील की नीति त्याग देनी चाहिये और सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिये। जब ब्रिटेन ने स्वेज़ नहर पर आक्रमण किया था तो उस समय हमने कड़ा विरोध व्यक्त किया था। आज मलेशिया के समर्थन में हम ने एक शब्द भी नहीं कहा। चीन के भारत पर आक्रमण के समय मलेशिया के प्रधान मंत्री ने हमारे प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी और चीन की निन्दा की थी। इज़राइल को हमने मान्यता प्रदान नहीं की क्योंकि वहां धर्म के आधार पर सरकार बनी हुई है। क्या पाकिस्तान में सरकार धर्म के आधार पर नहीं है? हमें अपनी नीति को एक जैसा बनाना चाहिये।

चीन तो हमें बदनाम करना चाहता है। उसकी कोलम्बो प्रस्तावों में कोई रुचि नहीं है। चीन और पाकिस्तान का समझौता हमारे लिये खतरे की चीज़ है। हमें ऐसी स्थिति में विशेष रूप से सतर्क रहना है। हाल ही में चीन ने शेख अब्दुल्ला को निमंत्रण भेजा है। यह सब पाकिस्तान की चालें हैं। अब इस बात का सन्देह है कि चीन लद्दाख पर फिर आक्रमण न कर दे। पाकिस्तान भी सीमा पर गड़बड़ कर रहा है। इन सब घटनाओं पर ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक बात है। मेरी जानकारी है कि शेख अब्दुल्ला का इरादा सिक्किम में जाकर काश्मीर की अस्थायी सरकार बनाना है। इसमें चीन उन को सहायता देगा। पेरिस में शेख अब्दुल्ला द्वारा दिये गये वक्तव्य से यह बात सिद्ध होती है।

काठमांडू स्थित हमारे राजदूत ने नेपाल के विदेश मंत्री द्वारा चीन के विदेश मंत्री को दिये गये भोज में शामिल होकर अच्छी बात नहीं की है। इस विषय पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। जब हमारे राजदूत अन्य स्थानों पर इसी प्रकार के भोजों में शामिल हुए थे तो आपत्ति की गई थी। इससे देश की मान हानि होती है। यह बात राष्ट्र के हितों के विरुद्ध है। मेरे विचार में सरकार को इन असफलताओं पर त्याग पत्र दे देना चाहिये। कांग्रेस पार्टी को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। आज भी हमें चीन से खतरा बना हुआ है। उसने हमारे 14,500 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्ज़ा कर रखा है। हम उससे बातचीत कैसे कर सकते हैं। हमें वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना होगा और उसी के अनुसार अपनी नीति निर्धारित करनी होगी। हाल ही में अमरीका के विमान उठाने वाले पोत (एयरक्राफ्ट कैरियर) के बारे में बहुत बातें हुई हैं। यदि हम अक्टूबर, 1962 के चीन के आक्रमण के दिनों की स्थिति पर विचार करें तो पता चल जायेगा कि उस समय कैसी गम्भीर स्थिति थी। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू जी उन दिनों बहुत चिन्तित थे। मैंने श्री कामत के साथ उनसे भेट की थी। हम ने सुझाव दिया था कि हमें सभी देशों को इस आक्रमण के बारे में लिखना चाहिये और चीन से कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ लेने चाहिये। तो प्रधान मंत्री ने कहा था कि इस प्रकार यह एक घोषित युद्ध हो जायेगा। ऐसी स्थिति में हमें सब कुछ करना उचित था। परन्तु हमने अमरीकी जहाज़ नहीं मंगाये थे जिनके बारे में इतनी बात की जा रही है। यदि श्री नेहरू ने ऐसा किया भी था तो देश के हित को ध्यान में रख कर किया होगा। हमें कोलम्बो प्रस्तावों को अब कोई महत्व नहीं देना चाहिये क्योंकि चीन ने उनको अस्वीकार कर दिया है। यदि हमारे नेता चाहें तो हम चीन को पीछे खदेड़ सकते हैं। हमें अपनी नीति में समय के अनुसार परिवर्तन करना चाहिये।

श्रीमती रेगुलाराय (माल्दा) : एक देश की विदेश नीति वहाँ के लोगों की भावनाओं और विचारों पर आधारित होती है। आदि काल से गांधी जी के समय तक हमारा देश अहिंसा प्रिय देश रहा। हमारे एक महान नेता ने हमारी नीति की नींव रखी थी। हमें इन वर्षों में बहुत प्रकार के अनुभव हुए हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
[**MR. DEPUTY SPEAKER in the chair**]

चीन ने जब हमारे देश पर आक्रमण किया था तो वह भी एक नया अनुभव था। इससे हमारी आंखें खुल गई हैं। आज वियतनाम में बहुत गड़बड़ हो रही है। चीन विश्व शान्ति का शत्रु बना हुआ है। ऐसी स्थिति में चीन वियतनाम में शान्ति भंग करा रहा है। अमरीका और रूस का विचार भी यही है। हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध में ठीक रवैया अपनाया है। जो देश चीन के विस्तारवाद के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं हमें उनके रास्ते में बाधा नहीं डालनी चाहिये। आज रूस उत्तरी वियतनाम में बहुत रुचि रखता है। और वहाँ चीन भी रूस के हस्तक्षेप के विरुद्ध है। संसार में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट में पहले वाली शत्रुता नहीं रही। नये नये गठजोड़ बन रहे हैं। आज चीन विश्व के लिये खतरा बना हुआ है। जब से इसने अणु विस्फोट किया है तब से यह खतरा और बढ़ गया है। वियतनाम के बारे में हमारी सरकार ने बहुत अच्छी नीति अपनायी है।

पाकिस्तान भी गड़बड़ कर रहा है। पूर्वी सीमा पर ऐसी घटनायें अब बढ़ती जा रही हैं। चीन और पाकिस्तान में गठजोड़ हो जाने पर पाकिस्तान के आक्रमण अधिक हो गये हैं और उसने चीन के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिये हैं। हमारी सरकार ने अमरीका सरकार से विरोध प्रकट किया है कि पाकिस्तान ने अमरीकी हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध किया है। कूच बिहार क्षेत्र में सीमा की सुरक्षा पश्चिमी बंगाल की पुलिस करती है। राज्य सरकार के संसाधन सीमित हैं। इस बारे में केन्द्रीय सरकार को असम तथा पश्चिमी बंगाल सरकारों को राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिये सहायता देनी चाहिये। हमें अपनी स्थल सेना को संख्या में वृद्धि करनी चाहिये। एक तो इससे बेकार लोगों को रोजगार मिलेगा तथा दूसरे हम अपनी सीमा की भली प्रकार सुरक्षा कर सकेंगे।

चीन के अणु विस्फोट के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने बहुत अच्छी नीति अपनायी है। यदि हम भी बम बनाना शुरू कर दें तो सभी देश इसके निर्माण का प्रयत्न करने लगेंगे ऐसी स्थिति में बहुत गम्भीर समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं और सर्वनाशका भय हो सकता है। हमें अणु शक्ति को शान्तिमय प्रयोजनों के लिये प्रयोग करना है।

विदेशों में हमारे प्रचार में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। जब चीन ने आक्रमण किया था तो हमारे इस विभाग ने विदेशी टेलीविजन वालों को स्थिति के चित्र लेने के मामले में ढील दिखायी थी। इसके फलस्वरूप अब हम संसार को दिखा नहीं सकते कि चीन ने वास्तव में हम पर आक्रमण किया था। हमें भारत की नीतियों को अफ्रीकी देशों में ठीक प्रकार से प्रस्तुत करना है और चीन के झूठे प्रचार का खंडन करना है।

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : हमें अपने देश की विदेश नीति निर्धारित करते समय अपने हितों का ध्यान रखने के साथ-साथ अन्य परिस्थितियों का भी ध्यान रखना है। आज संसार के देश दो गुटों में बटे हुए हैं। आज अफ्रीका और एशिया में नये राष्ट्र पैदा हो रहे हैं। उनकी स्थिति

अभी स्थिर नहीं हुई है। बहुत से देशों में झगड़े चल रहे हैं। बहुतों में तो सीमा के प्रश्न पर झगड़े हैं। आर्थिक क्षेत्र में भारत की स्थिति अच्छी नहीं। हम कच्चे माल को कम मूल्य पर निर्यात करते हैं और विदेशों से मशीनरी तथा अन्य जानकारी अधिक मूल्य पर प्राप्त करते हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaia : There is no quorum in the House, Sir.

श्री जोशीम आलवा : इन माननीय सदस्य को एक बार सदन से निकाला गया था। यह गणपूर्ति के बारे में चिंतित हैं। यदि यह इस प्रकार करते रहे तो हमें इनके स्थायी रूप से निकाले जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaia : It is our right. The hon. Member should withdraw his remarks.

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ असंसदीय नहीं है। यह तथ्य है।

Shri Prakash Vir Shastri : He should not have said that.

श्री खाडिलकर : कोई माननीय सदस्य यह नहीं कह सकता कि अन्य सदस्य को स्थायी रूप से सदन से निकाल दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में कोरम है। श्री बाकर अली मिर्जा अपना भाषण जारी रखें।

श्री बाकर अली मिर्जा : हमें अमरीका से लगभग 80,000 लाख डालर सहायता मिल रही है। इसमें से एक तिहाई शस्त्रास्त्र सहायता के रूप में मिल रही है। परन्तु हमें इतने से संतोष नहीं है और हम चाहते हैं कि हमें और सहायता मिले। इसीलिए हम योरोप के प्रत्येक देश का दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि केवल हथियार मिल जाने से हमारी समस्याएँ नहीं हल हो जायेंगी। हमें अपनी सीमा सम्बन्धी समस्याओं तथा झगड़ों को सुलझाने के लिए कोई और रास्ता ढूँढना चाहिए और मेरे विचार से यह रास्ता सबसे अच्छा यह होगा कि 'हिग' के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समान ही कोई संस्था बनाने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे सभी अफ्रेशियाई देशों के सीमा सम्बन्धी झगड़े शान्ति से तथा आसानी से सुलझाये जा सकें। हमारे वैदेशिक-कार्य मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह अल्जीयर्स में इस प्रकार की संस्था बनाने पर जोर देंगे ऐसा मैं समझता हूँ।

श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार का किसी भी मामले में निर्णय अन्तिम नहीं होता है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अमरीका में बाल्टर लिपमैन ने जॉन्सन प्रशासन के बारे में भी ऐसा ही लिखा था इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि यह बीमारी केवल हमारी सरकार को ही नहीं है अपितु अन्य विकसित देशों को भी लगी हुई है। स्वर्गीय श्री नेहरू के बारे में भी कहा जाता था कि उनका कोई भी निर्णय अन्तिम निर्णय नहीं होता है। मेरे विचार से तो लोकतंत्रीय पद्धति की सरकार में कोई भी निर्णय अन्तिम नहीं होता है। श्रीमती पंडित एक योग्य राजनीतिज्ञ हैं और उन्हें इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिये थे।

विएतनाम पिछले 20 वर्षों से युद्ध-स्थल बना हुआ है। अमरीका चाहता है कि उत्तर विएतनाम दक्षिण विएतनाम के मामलों में हस्तक्षेप करे तथा वियतकांग की गतिविधियाँ बन्द करे जिससे यह साम्यवादियों के हाथों में न चला जाये। ब्रिटेन भी चाहता है कि वहाँ पर अमरीकी

[श्री बाकर अली मिर्जा]

बने रहें जिससे आवश्यकता पड़ने पर मलेशिया में उनकी सहायता ली जा सके। परन्तु हमें इस पर विचार करना चाहिए कि क्या हो ची मिन्ह विएतकांग की गतिविधियों को अमरीका के कहने के अनुसार रोक सकता है। मैं समझता हूँ ऐसा सम्भव नहीं है क्योंकि हो ची मिन्ह एक वृद्ध है और विएतकांग के सभी नवयुवक आज की पीढ़ी के लोग चीन के प्रति निष्ठावान हैं। जबकि हो ची मिन्ह विएतनाम को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाये रखना चाहता है। नये नवयुवक उसको चीन की कठपुतली बनाना चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ कि वह दिन दूर नहीं है जब हम उत्तर तथा दक्षिण विएतनाम को मिला हुआ एक विएतनाम देखें तथा जिस पर चीन तथा रूस दोनों का प्रभाव होगा।

श्री महेश दत्त मिश्र (खण्डवा) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय नेहरू ने जो यह तटस्थता की हमारी विदेश नीति हम को दी वह हमारे देश की शांतिप्रियता की द्योतक है तथा इसकी जड़ें हमारे जनजीवन में बड़ी गहराई तक पहुंची हुई हैं। यदि हम अपने पिछले 17 वर्षों के इतिहास को देखें तो हमें स्पष्टतया मालूम हो जाता है कि इस नीति से हमें बड़ा लाभ हुआ है। संसार में हमारा अपना एक स्थान बन गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारी बात ध्यान से सुनी जाती है तथा मुझे प्रसन्नता है कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्य संख्या बढ़ती जा रही है। अफ्रीका और एशिया के राष्ट्र हमारी तटस्थता की नीति के परिणामस्वरूप अपना सिर ऊंचा किये हुए हैं। बहुत से देशों ने इस नीति को अपनाया है तथा वह इसको सफल बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसलिए मेरा अपना विचार है कि हमें अपनी तटस्थता की नीति पर दृढ़ रहना चाहिए जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ भी शक्तिशाली हो सके।

श्री नेहरू के देहावसान के बाद देश में कुछ लोगों ने दबाव डाला कि हमें अपनी नीति बदलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें इस प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए तथा स्वर्गीय नेहरू की नीति पर दृढ़ता से कायम रहना चाहिए। इसके साथ साथ हमें आर्थिक दृष्टि से भी अपने को मजबूत बनाना चाहिए जिससे हमारी नीति पर किसी का दबाव न पड़ सके।

हमारी नीति के महत्त्व को अमरीका ने समझा है। पहले अमरीका तटस्थता को बुरी नज़र से देखता था परन्तु अब उसका कहना यह है कि भारत तथा रूस की मित्रता से केवल भारत की ही नहीं अपितु अमरीका की भी भलाई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अमरीका हमारी नीति को अच्छा मानता है।

आज इस देश में काफी असंतोष है कि विएतनाम में नपाकम गैस का प्रयोग किया गया है। सभी का यही कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। परन्तु इसको रोकने के बारे में कोई प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी नहीं है। आज हम देखें तो हमें मालूम हो जाता है कि जितने भी खतरनाक हथियार वहाँ एशिया के लोगों पर इस्तेमाल किये गये हैं तथा संभवतया अब अफ्रीका की जनता पर भी उनका प्रयोग हो। इस प्रकार एक वर्णभेद इस बारे में भी स्पष्टतः नज़र आ जाता है और हम ऐसा होना तभी रोक सकते हैं जब संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाया जाये और वहाँ पर अफ्रीशिया के देशों की तटस्थता की नीति का दृढ़ तथा निश्चित रूप में क्रियान्वयन हो सके।

शेख अब्दुल्ला के बारे में मेरा विचार है कि यदि कोई भारत में नहीं रहना चाहता तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वह चाहे जहाँ रह सकते हैं। परन्तु काश्मीर भारत का अंग है और वह अंग बना रहेगा।

अन्त में मैं सरदार स्वर्ण सिंह को बधाई देता हूँ कि उन्होंने तटस्थता की नीति को इतनी अच्छी तरह से तथा दृढ़ता से आगे बढ़ाया है ।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (गया) : श्री मेलेन्कोव पूर्व जर्मनी के प्रश्न पर अमरीका से समझौता चाहते थे तो उनको पदच्युत कर दिया गया । श्री ह्युश्चेव ने कहा कि वह चाहते हैं कि रूस को दक्षिण-पूर्व एशिया से हट जाना चाहिए तो इनको भी अपने पद से हटना पड़ा । इस प्रकार एक दृष्टि से विएतनाम के प्रश्न पर यदि भारत सरकार अमरीका का समर्थन करे तो ठीक काम करेगी क्योंकि एक तरह से अमरीका का प्रभुत्व दक्षिण-पूर्व एशिया पर माना गया है और रूस का प्रभुत्व अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया पर माना गया है । परन्तु यदि दूसरी दृष्टि से अर्थात् इंग्लैंड और फ्रांस के विचारानुसार देखा जाये तो मालूम होता है कि वे नहीं चाहते कि अमरीका दक्षिण-पूर्व में रहे और रूस अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया में रहे ।

रूस तथा अमरीका दोनों भारत के मित्र हैं और चाहते हैं कि भारत अणु बम बना कर शक्तिशाली बने जिससे चीन को अमरीकी तथा रूसी दो प्रकार के प्रभावों में विभक्त किया जा सके । दोनों के लिए चीन एक समस्या बना हुआ है परन्तु दोनों में कोई भी चीन पर अणु बम नहीं डाल सकता और न ही किसी अन्य आधुनिक हथियार का इस्तेमाल कर सकता है । परन्तु यदि चीन ने भारत पर दोबारा आक्रमण किया तो रूस तथा अमरीका दोनों ही चीन पर अणुबम डाल सकते हैं क्योंकि वह भारत को एक तटस्थ तथा विसैन्यीकृत देश रखना चाहते हैं ।

आज ऐसा मालूम होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल अफेशिया क्षेत्र ही समस्या बना हुआ है । पाकिस्तान अमरीका का मित्र है । यदि भारत भी इसमें शामिल हो जाये तो चीन-रूस आपस में अवश्य मिल जायेंगे । पाकिस्तान चीन का मित्र है भारत पाकिस्तान के मिल जाने पर रूस तथा अमरीका को अफेशिया से हटना पड़ेगा । पाकिस्तान रूस का मित्र बन जाये और भारत-पाकिस्तान मिल जायें तो चीन-अमरीकी गुट बन जायेगा । यदि अफ्रीकी एशिया का निरस्त्रीकरण किया जाये तो इन देशों में रूस तथा अमरीका दोनों का प्रभाव बढ़ जायेगा । इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि सभी गतिविधियों तथा समस्याओं का क्षेत्र अफेशिया ही बना हुआ है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

श्री फ्रेंक एथनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दक्षिण-पूर्व एशिया की गतिविधियों के कारण भारत को उत्पन्न खतरे के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ । मैं चाहता हूँ कि इस समय आवश्यकता यह है कि भारत को निर्णयात्मक तथा सुरक्षात्मक नीति का अनुसरण करना चाहिए ।

आज दक्षिण-पूर्व एशिया पर विचार करते समय कुछ ऐसा मालूम होता है कि चीन कठोर, निर्दयतापूर्ण, असिद्धान्तवादी बृहद् एशिया बनाना चाहता है । यह हमारा सौभाग्य है कि हमारा देश इस खतरे से बचने के लिए सुदृढ़ है । हमारे पास धन, जन, आदि सभी प्रकार के साधन हैं । परन्तु कमी यदि कोई है तो केवल एक दृढ़ निश्चय की है और यह कमी शास्त्री सरकार को नेहरू सरकार से पैतृक सम्पत्ति के रूप में मिली है ।

मैंने स्वर्गीय प्रधान मंत्री की तटस्थता की नीति की आलोचना की क्योंकि इसकी आड़ में अन्तिम दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है । इसकी आड़ में हम कभी इस तरफ कभी उस तरफ नज़र आते हैं और इस प्रकार हमें अस्थिर विचारों वाला देश समझा जाने लगा है ।

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

सभा में 19 नवम्बर, 1962 को स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा बड़ी मात्रा में अमरीकी सहायता मांगने के बारे में हंगामा हुआ। मैं नहीं समझता कि यह हंगामा क्यों खड़ा किया गया। मेरे विचार से उन्होंने उस समय ठीक काम किया था और चौदह स्वैडन मांगें, अपनी रक्षा के लिये मांगे। हमें इसके लिए उनकी सराहना करनी चाहिए। परन्तु उसके बाद क्या हुआ। ज्यूही खतरा समाप्त हुआ हम ने अमरीका से हथियार मांगने में ढील कर दी। मेरा तटस्थ नीति के बारे में यही विरोध है कि हम इस तटस्थता में इतना खो गये हैं कि हम ने अपना भला बुरा सोचना भी बन्द कर दिया है।

तटस्थता की नीति का परिणाम देखिये। हम ने इसी के कारण तिब्बत खो दिया। इसी के कारण नेफा में हमें नीचा देखना पड़ा। परन्तु फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलीं और हम उसी गलत नीति का अनुसरण करते रहे। श्री मसानी ने कहा कि हमारी बाह्य सीमायें दक्षिण विएतनाम, लाओस, थाईलैंड तथा मलेशिया हैं। मैं इन सभी देशों को भारतीय उपमहाद्वीप का पेट समझता हूँ। यदि चीन ने इन पर एक बार भी कब्जा कर लिया तो निश्चित है कि भारतीय उपमहाद्वीप को भी उसे हड़पने में देर नहीं लगेगी। वह आर्थिक दृष्टि से भारत का गला घोट कर उसे असहाय कर सकता है।

मेरे साम्यवादी मित्रों ने यहां कहा कि अमरीका को नपाम गैस का प्रयोग विएतनाम में नहीं करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि उन्होंने ऐसा ठीक किया। मेरे साम्यवादी मित्रों ने आज लड़ाई के समय नपाम गैस का विरोध किया परन्तु उन्होंने इस बारे में उस समय कोई ज़बान नहीं खोली जब 'नत्स' के विवाह चीन के सैनिकों से ज़बरदस्ती कर दिये गये। तिब्बती लड़कियों के साथ इन सैनिकों ने व्यभिचार किया। तिब्बतियों के बुद्ध-विहारों को नष्ट किया। उन्हें इस बारे में भी अपनी आवाज़ उठानी थी। मुझे प्रसन्नता है कि खम्पा लोग आज भी तिब्बत में लड़ रहे हैं। मेरे विचार से हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारा एक दिन चीन से अवश्य झगड़ा होगा तब अभी से क्यों न तिब्बत में खम्पा लोगों की मदद करके ऐसा काम शुरू कर दिया जाये।

हम ने उस समय भी अपनी ज़बान नहीं खोली जब 'वियतकांग' छापामारों ने चीन के अफसरों के नेतृत्व में, चीन के हथियारों से लैस हो कर दक्षिण विएतनाम पर हमले किये। हम ने 'पाथेट लाओ' द्वारा लाओस में हमला करने पर क्या कहा। हमारी भावनायें उस समय कैसी थीं। मैं सभा में बताना चाहता हूँ कि 'पाथेटलाओ', तथा 'वियतकांग' आदि के विरोध में जो लोग वहां पर लड़ रहे हैं वह हमारी सहायता कर रहे हैं तथा हमें कम से कम मुंह से उनका समर्थन अवश्य करना चाहिए।

चीनी खतरे को सीमित करने के लिये भारत का रूस से भी दोस्ती बनाये रखनी चाहिए और लोकतंत्र देशों के साथ भी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने चाहिये। रूस के साथ दोस्ती बनाये रखना इसलिये भी आवश्यक है कि चीन रूसी राज्यक्षेत्र पर भी नज़र जमाये बैठा है।

चीन ने दक्षिण वियतनाम में स्वैच्छिक सैनिकों को भेजने की धमकी दी है। भारत को भी अपनी नेफा की पराजय का बदला लेने के लिये वहां पर भारतीय युवक भेजने चाहिये। वहां पर उन्हें स्थल तथा वैमानिक युद्ध का प्रशिक्षण भी मिल जायेगा।

नेपाल के साथ हमें अपने सम्बन्ध सुदृढ़ करने चाहिये। चीन नेपाल को सस्ती वस्तुएं भेज कर एशिया के देशों को यह दिखाना चाहता है कि वह आर्थिक दृष्टि से समृद्ध है।

हमें भी इसके लिए प्रत्युपाय करने चाहिये। हमें नेपाली गोरखों की कई बटालियनों तैयार करनी चाहिये जो चीन के नेपाल पर आक्रमण के समय अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकें। हमें लंका तथा मलेशिया से भी अपने संबंध मजबूत करने चाहिये। मलेशिया को यदि सैनिक नहीं, तो कम से कम चिकित्सा यूनिट अवश्य ही भेजे जाने चाहिये। मलेशिया में भारतीय पूंजी तथा सामान का भी स्वागत किया जायेगा।

श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित (फूलपुर) : स्वाधीनता प्राप्त करने के पश्चात् हमने यह घोषणा की थी कि हम किसी भी सैनिक गुट में सम्मिलित नहीं होंगे। यह तटस्थता का श्री गणेश था। बाद में इसके और भी अर्थ लगाये जाने लगे। हमारा स्वतंत्रता संग्राम केवल अपने देश की स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं था अपितु हम सभी पराधीन देशों को स्वतंत्रता आन्दोलन करने के लिए बढ़ावा देना चाहते थे। हमने तटस्थता की नीति अपने हित के साथ-साथ उन के हितों को ध्यान में रख कर ही अपनाई थी। इस नीति पर दृढ़ रहने के कारण हमारी सरकार को बार-बार हानि उठानी पड़ी है। इस नीति के कारण ही संपुक्त राष्ट्र संघ में एशिया तथा अफ्रीका के देश हमारे मित्र बन गये। अफ्रीका के देश हमारे इतने नज़दीक नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें शक हो गया है कि हम तटस्थता की नीति का पालन नहीं कर रहे हैं।

हम अफ्रीका तथा एशिया के देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाना चाहते हैं परन्तु इस समय अफ्रीका के देश हमारा अनुसरण करने को तैयार नहीं हैं। विरोधी दलों के कुछ सदस्यों के इस प्रकार के भाषण भी अफ्रीकी देशों के इस सन्देह को बढ़ावा देने में सहायक हुए हैं कि हमारा तटस्थता में कोई विश्वास नहीं रहा है। हम तटस्थता को नीति के लिए बचन बद्ध हैं और संसार का हित इस नीति का अनुसरण करने में है।

चीनी आक्रमण के समय भारत को जो सहायता मिली उसका तटस्थता से कोई संबंध नहीं है। यह सहायता भारत को उसकी भौगोलिक तथा राजनीतिक स्थिति के कारण मिली है। उस समय भारत को ही खतरा नहीं था अपितु सन् 50 एशिया में लोकतंत्र को खतरा हो गया था।

तटस्थता की नीति सत्तारूढ़ दल द्वारा बहुत सोच विचार के बाद अपनाई गई है और उसे अधिकांश देशवासियों का समर्थन प्राप्त है; इसका स्थान कोई अन्य नीति नहीं ले सकती। यदि इसमें कुछ परिवर्तन करने हैं तो वे संसार के भले के लिए किये जाने चाहिये। भारत जैसे महान देश को केवल अमरीका तथा रूस को प्रतिक्रिया को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिये अपितु उसे अधिक से अधिक देशों का विश्वास प्राप्त करना चाहिये। हमें कुछ आदर्शों को संसार के सामने रखना है जो आगामी वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

श्री रवीन्द्र बर्मा (तिरुवल्ला) : यह बिना किसी सन्देह के सिद्ध हो गया है कि तटस्थता की नीति हमने जानबूझ कर अपने राष्ट्र के हित के लिए अपनाई है और यह भारत की प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए किसी भी देश से सहायता मांगने अथवा प्राप्त करने के मार्ग में बाधा नहीं डालती। ऐसी नीति को जो राष्ट्र के हित में हो किसी प्रकार भी अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल, बर्मा, लंका तथा मलेशिया के साथ हमारे सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ है।

हमारी तटस्थता की नीति तथा पंचशील में विश्वास करना ही काफी नहीं है। हमारी नीति वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिये। हमें यह तथ्य स्वीकार करना चाहिये कि नेक बनने के हमारे भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी संसार में हमारे शत्रु हैं। इस तथ्य की उपेक्षा करने वाली नीति अवास्तविक है। हमारे शत्रु हैं और वे सांठ-गांठ करके काम कर रहे हैं।

पाकिस्तान हमारे विरुद्ध पश्चिमी देशों में प्रचार कर रहा है। चीन अल्प-विकसित देशों में तथा इंडोनेशिया तटस्थ देशों में हमारे विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। इनका उद्देश्य भारत को मित्र विहीन करना है और भारत के अन्दर विध्वंसक तत्वों को बढ़ावा देना है। इसलिये हमारी कूटनीति का मुख्य उद्देश्य विशेषतया अल्प-विकसित तथा तटस्थ देशों में चीन, पाकिस्तान तथा इंडोनेशिया के इन प्रयत्नों को निःप्रभावी बनाना होना चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन सभी देशों को विश्व के सामने अपना दृष्टिकोण रखने तथा विश्व के देशों का समर्थन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसलिये जब हम किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए विचार बनाएं तो हमें इन सब पहलुओं पर विचार करके ऐसा करना चाहिये कि उस सम्मेलन के पीछे क्या उद्देश्य हैं, उसमें कितन-कितन बातों पर विचार किया जायेगा तथा कौन कौन देश उसमें भाग लेने जा रहे हैं। हमें अपने प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों का चयन करने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिये। हमें इस विचार को त्याग देना चाहिये कि चाहे हमें कोई देश अपना समर्थन दे या न दे, हमें उन उस बातों का समर्थन करना ही होगा जो हमारे तथाकथित मित्र हमें करने को कहते हैं। हम केवल इसी बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि सम्मेलन द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में किसी ऐसी समस्या का उल्लेख नहीं है जो इस राष्ट्र के लिए बहुत अधिक महत्व रखती है। या हम इससे संतोष कर लेते हैं कि उस विज्ञप्ति में हमारे शत्रुओं की प्रशंसा नहीं की गई है। भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और हमें प्रत्येक मामले में गुणशील के आधार पर राय देने की अपनी ख्याति को बनाये रखना चाहिये।

अफ्रीका, लेटिन अमरीका तथा एशिया में हमारा प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। चीन, पाकिस्तान तथा इंडोनेशिया के प्रचार का मुकाबला करने के लिए हमें इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये और विशेषकर अफ्रीका तथा लेटिन अमरीका में अपने राजनयिक प्रतिनिधित्व में पर्याप्त वृद्धि करनी चाहिये। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके लिए अपने राजनयिक प्रतिनिधियों के चयन में हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिये ताकि हम चीन, पाकिस्तान तथा इंडोनेशिया के राजनयिक प्रचार का अच्छी तरह प्रतीकार कर सकें। चीन के अपने अफ्रीकी दूतावास में अनुभवी राजनयिक व्यक्ति नियुक्त किये हुए हैं और वहां पर उसका प्रतिनिधित्व भी पर्याप्त है। वह उत्तर में अल्जीरिया, पश्चिम में कांगो (ब्राजाविल), दक्षिण में तंजानिया तथा उत्तर-पूर्व में बुर्डी में अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है। इसके विपरीत इन देशों में हमारा प्रतिनिधित्व न के बराबर है। केवल एक ही राजदूत पांच पांच अफ्रीकी देशों में हमारा प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि हमने अफ्रीका में अपने राजनयिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि की है। देश के हित में यह बिल्कुल उचित नहीं है। लेटिन अमरीका के बारे में भी हमारी स्थिति वैसी ही निराशाजनक है।

(श्री तिरुमलराव पीठासन हुए
SHRI TIRUMAL RAO in the chair)

हमें अन्य देशों के अनुभव से फायदा उठाना चाहिये। और राजनयिक प्रचार के कार्य में गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग भी प्राप्त करना चाहिये। लेटिन अमरीका तथा अफ्रीका से हजारों शिष्टमण्डल प्रतिवर्ष चीन आते हैं जो जनता की राय बदलने में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या हम भी इन देशों को कोई शिष्टमण्डल भेजते हैं अथवा वहाँ से कोई शिष्ट मण्डल भारत बुनाये जाते हैं हमारे लिये जो बहुत ही महत्व के क्षेत्र हैं उनके लिए यदि धन के अभाव के बहाने योग्य राजनयिक प्रतिनिधि नहीं चुने जाते हैं तो उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। वर्तमान स्थिति में एक परिवर्तनशील नीति ही जो योजनावद्ध राजनयिक प्रचार पर आधारित हो विदेशों में हमारे उद्देश्यों को पूर्ति कर सकती है।

श्री दि० ना० सिंह (मुजफ्फरपुर) : हीरोशिमा तथा नागासाकी में एटम बम गिराये जाने के पश्चात् मानवजाति के बचाव के लिये यह आवश्यक हो गया था कि पारस्परिक सहनशीलता द्वारा हिंसा को रोका जाये। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर भारत ने शांति तथा तटस्थता की नीति अपनाई थी। यह नीति काफी सफल सिद्ध हुई है। परन्तु तेजी से बदल रहे युग में हमारी विदेश नीति परिवर्तनशील होनी चाहिये। तभी यह कारगर सिद्ध हो सकती है। समस्याओं के प्रति अपना दृष्टिकोण अपनाने में शांति तथा तटस्थता की नीति हमारे मार्ग में कोई बाधा उपस्थित नहीं करती। इस नीति को कड़ाई से पालन करने की गुंजायश नहीं है। इसके विपरीत यह परिवर्तनशील तथा दूरदर्शी होनी चाहिये।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR DEPUTY SPEAKER in the Chair)

कुछ समय से हमारे देश तथा विदेशों में यह विचार जोर पकड़ता जा रहा है कि हमारी विदेश नीति कमजोर तथा प्रभावहीन होती जा रही है। और यह पहले जितनी गतिशील नहीं रही है। मैं इसके लिये मंत्री महोदय को ही दोषी नहीं ठहराता। विदेशों में प्रचार कार्य की असफलता के कारण भी ऐसा हो सकता है। विदेशों में हमारे दूतावासों का यह कर्तव्य है कि वे हमारी नीति तथा विभिन्न मसलों पर हमारे दृष्टिकोण से वहाँ के लोगों को अवगत करायें। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे दूतावास हमारी नीति को स्पष्ट करने के बारे में अधिक गम्भीर नहीं हैं। लंदन नोटबुक में जेम्स कोले द्वारा इंडिया हाउस के बारे में इसी प्रकार की टिप्पणी की गई है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है और सरकार को इस बारे में अवश्य ही कुछ कदम उठाने चाहिए।

चीन और पाकिस्तान की सांठ गांठ हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। चीन रूस के तथा पाकिस्तान अमरीका के सिद्धांतों की परवाह नहीं करता है और वे दोनों अपने विस्तारवादी इरादों को आगे बढ़ाने के लिये कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसलिये हमें इन सब बातों पर विचार करना चाहिये। पाकिस्तान ने भारत तथा पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने के हमारे प्रयासों की सराहना नहीं की है और उसने उस दिशा में अपनी ओर से कोई कदम नहीं उठाए हैं। इसलिए हमें इस संबंध में नये सिरे से विचार करना चाहिये। हमें अपने उन मित्रों को, जो यह कहते कहते नहीं थकते हैं कि हमें पाकिस्तान से समझौता कर लेना चाहिये, बता देना चाहिये कि आक्रमण आक्रमण है चाहे वह साम्यवादी देश द्वारा किया जाये अथवा गैर-साम्यवादी देश द्वारा। हमें उन्हें यह भी बता देना चाहिये कि हम दूसरों को खुश करने की नीति अपना कर शांति बनाये रखना नहीं चाहते।

कुछ दिनों बाद हमारे प्रधान मंत्री विदेशों की यात्रा पर जा रहे हैं। आशा है कि उनकी यात्रा से हम विदेशों में भारत की सही तस्वीर पेश करने में सफल हो जायेंगे। हमें शांति तथा तटस्थता की

नीति का पालन करते रहना चाहिये । वर्तमान संकट को दूर करने के लिये उसमें केवल थोड़ा फेरबदल करने की आवश्यकता है ।

Shri Prakash Vir Shastri ; (Bijnor) : In the death of Shri Jawaharlal Nehru India has suffered great loss in the international field. The country has not got the right External Affairs Minister who can lead us through the present crisis. The present External Affairs Minister visited Nepal and Burma and also took part in the Conference of non-aligned nations at Cairo immediately after assumption of his office but with little success.

The problem of persons of Indian origin had been pending solution for the last so many years. This problem could have been deferred at least till the elections in that country. The hon. External Affairs Minister should have been told by our High Commissioner there that the Government of Shrimati Bhandaranaike would not remain in office for long. Why so much haste was shown in concluding this agreement and then in implementing it. It was nothing short of stupidity to accept the repatriation of 5½ lakhs persons of Indian origin to India from Ceylon when the late Shri Jawaharlal Nehru has refused to take back even five persons of Indian origin, when an offer was made by the then Ceylonese Prime Minister Shri Dudley Senanayake in London in 1953 on the occasion of the Commonwealth Prime Ministers' Conference that India should take back at least 50,000 Indian nationals.

The new Prime Minister of Ceylon Shri Dudley Senanayake immediately after assumption of office announced his support to the Indian stand and denounced the aggression committed by China. The Government showed so much haste in implementing the above agreement but it did not show that much promptness in winning the sympathies of that country by stretching the hand of friendship. We should have tried to establish close and friendly relations with small neighbouring countries, but it is really very regrettable that even after getting a jolt from China we have not been caring for their friendship. Our relations with Nepal and Burma are also not much better.

Civic reception is arranged in honour of the visiting Prime Minister of a country no matter however small it is—in the Red Fort. But our External Affairs Ministry has been following a discriminatory policy towards countries like Fizi and Mauritius where Indians dominate. Some days back, Shri Rangoolam, the Prime Minister of Mauritius was here in India on a month's visit. But no civic reception was given to him in the Red Fort. I want a categorical answer from the foreign Minister in this matter.

It is regrettable that adequate attention has not been given to safeguard the interests of Indian nationals abroad during the last 17 years.

I.A.S. and I.C.S. persons dominate our diplomatic services. Bureaucracy still prevails in the External Affairs Ministry and the foreign Minister has not been able to overcome it. We should therefore appoint public men to man our Embassies abroad because they have altogether a different frame of mind from that of our I.A.S. and I.C.S. officers.

The persons who are appointed Indian ambassadors in other countries, should be given some training before their posting abroad so that they should be able to strengthen the cultural relations side by side with the diplomatic relations between the two countries.

[अध्यक्ष महोदय पीठासन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

The External Affairs Minister should resign for he has committed a great blunder by granting a passport to Sheikh Abdullah. Keeping in view his anti-Indian activities after his release from jail, it was sheer foolishness to allow him to proceed abroad. A high level Commission should be appointed to decide as to who were the persons who decided to release him from jail when he was being prosecuted for serious allegations against him.

It should be clarified as to whether Sheikh Abdullah was granted passport under pressure from any quarter. It should also be made clear as to why he was allowed to go to other countries when he was granted passport only for Haj pilgrimage and a visit to his sons in London. China and Pakistan are exploiting him and are spreading their anti India propaganda abroad through him. What stands in the way of the External Affairs Ministry in cancelling his passport and in calling him back in such circumstances? All these matters should be enquired into.

श्री स्वर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। अपने भाषणों के दौरान उन्होंने कई समस्याओं का, उल्लेख किया है जैसे हमारी अपनी प्रतिरक्षा की समस्या, पड़ोसी देशों से हमारे सम्बन्ध आदि। मैं अपने उत्तर के समय केवल मुख्य मुख्य बातों को ही लूंगा क्योंकि समय कम होने के कारण विस्तार से उत्तर देना सम्भव न होगा।

वाद-विवाद के समय कुछ मामलों पर अधिक जोर दिया गया था। निस्संदेह ये भी महत्वपूर्ण मामले थे परन्तु जब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर संसद जैसे स्थान में वाद-विवाद हो तो सब से अधिक महत्व के विषयों पर ही जोर दिया जाना चाहिये।

सब से अधिक महत्व के विषय हैं उपनिवेशवाद तथा जातिवाद। इस के अतिरिक्त प्रगतिशील तथा अल्प विकसित देशों में आर्थिक असमानता का होना भी बहुत महत्व का विषय है। ऐसे विषयों पर ब्रिटेन में विचार-विमर्श किया गया था और उस वाद-विवाद में भाग लेने के लिये हमारे प्रतिनिधि मण्डल भी गये थे।

उपनिवेशवाद को खत्म करने और जातिवाद के विरुद्ध लड़ने के लिये भारत द्वारा किये गये प्रयत्नों से ही अफ्रीका का बहुत सा भाग अब स्वतंत्र हो गया है। परन्तु उपनिवेशवाद तथा जातिवाद सब देशों में समाप्त नहीं हो गया है। अंगोला तथा मोजम्बीक अब भी पुर्तगाली शासन के अधीन हैं। अभी भी दक्षिण अफ्रीका में जातिवाद है। हमने जो संकल्प किया था कि हम उपनिवेशवाद तथा जातिवाद को समाप्त करने के लिये पूरा प्रयत्न करते रहेंगे उसे एक बार फिर दुहराना चाहिये।

श्री राम सेवक यादव : देश में जो जातिवाद है उस के बारे में आप का क्या विचार है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यदि देश में जातिवाद है तो हमें उसे समाप्त करना है परन्तु मेरे विचार से वह अब समाप्त हो गया है। यही कारण है कि अन्य देशों में भी जातिवाद को समाप्त करने के लिये हमारी आवाज का उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

बहुत से सदस्यों ने संसार में आर्थिक असमानता का उल्लेख किया था। इस सम्बन्ध में उन्होंने जेनेवा में हुए सम्मेलन में व्यापार तथा विकास परिषद द्वारा किये गये काम के बारे में बतलाया

था। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने भी इस में भाग लिया था। इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन भी प्रकाशित हुआ है जिस की सिफारिशों पर भारत सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

दक्षिण पूर्व एशिया में उत्पन्न हुई स्थिति की ओर हमारा ध्यान जाना स्वाभाविक ही था। इस सम्बन्ध में वियतनाम, दक्षिण वियतनाम, उत्तरी वियतनाम मलेशिया आदि के बारे में विचार व्यक्त किये गये हैं। इस पर विरोधी दलों के नेताओं ने जो सरकार की आलोचना की वह परस्पर-विरोधी थी जिससे पता चलता है कि जो नीति हम ने अपनाई है वह ठीक है।

हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि वियतनाम के सम्बन्ध में हमारा अन्तिम उद्देश्य क्या हो। इस बारे में मैं यह साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य वियतनाम में जो स्थिति बिगड़ती जा रही है उसे सुधारना है यह हमारा निश्चित मत है कि यदि वियतनाम में इसी प्रकार स्थिति बिगड़ती गई तो इस से बड़ा युद्ध हो सकता है जिस में परमाणु अस्त्र भी प्रयोग में लाये जा सकते हैं। इसलिये ऐसी स्थिति में हमारा ध्येय यही होना चाहिये कि हम ऐसा वातावरण पैदा कर दें जिस से वहाँ शांति स्थापित हो जाये। सैनिक कार्रवाई से इस का हल निकालना सम्भव नहीं।

अब यदि हम यह समझते हैं कि वियतनाम की स्थिति इस प्रकार बिगड़ती नहीं जानी चाहिये तो इस के लिये हमें ऐसी पृष्ठभूमि बनानी चाहिये जिस से समझौता वार्ता हो सके। इस के लिये जेनेवा की तरह का एक सम्मेलन होना चाहिये जिसमें शांतिपूर्वक बातचीत कर के वियतनाम की समस्या का हल निकाला जा सके। इस में मतभेद हो सकता है। इस सभा के भी बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो युद्ध की बातचीत करते हैं। परन्तु यदि एक बार युद्ध छिड़ जाये तो उस के अंगारे सारे विश्व में फल सकते हैं।

हम ने इस बारे में स्पष्ट निर्णय कर लिया है। जब हम निर्णय कर लेते हैं तो हमें यह देखना होता है कि हमारे प्रयत्न उसी के अनुसार हों। ऐसा हम आरम्भ से ही करते आ रहे हैं। जब हम ने देखा कि युद्ध का खतरा है तो हमने 8 फरवरी को भारत की नीति के बारे में स्पष्ट घोषणा कर दी थी। हमारे प्रधान मंत्री ने भी कई देशों के प्रमुखों को लिखा था कि वियतनाम की स्थिति ऐसी है कि इसमें युद्ध होने का भय है इसलिये हमें कोई ऐसा काम करना चाहिये जिससे शांतिवार्ता आरम्भ हो सके। हमारे प्रधान मंत्री ने ही पहल की थी जिस के परिणामस्वरूप बेलग्रेड में बातचीत हुई थी और जिससे यह आशा थी कि महत्वपूर्ण तटस्थ राष्ट्र एक संयुक्त वक्तव्य देंगे जिसमें सम्बद्ध देशों को अपील की जायेगी कि वे शांतिपूर्ण समझौते के लिये बातचीत आरम्भ करें।

शांति और समझौते की जो हमारी नीति है यह केवल वियतनाम के लिये ही नहीं है बल्कि विश्व के सभी अन्य देशों के लिये भी।

हमें चीन और पाकिस्तान से भी कठिनाई हो रही है। चीन ने भारत पर 1962 में बड़े पैमाने पर हमला किया था। पाकिस्तान से भी हमारे सम्बन्ध ठीक नहीं हैं।

हम ने भरसक प्रयत्न किया है कि पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हों। हम ने सदा यही इच्छा व्यक्त की है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने भेदभावों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करें। इसलिये हमारे प्रधान मंत्री जब काहिरा से आ रहे थे तो राष्ट्रपति अय्यूब से बातचीत करने के लिये करांची ठहरे थे। परन्तु पाकिस्तानी नेताओं ने लड़ाई का रवैया अपनाया हुआ है। उस ने चीन से इसी लिये सांठ गांठ कर रखी है जिस से हमें नुकसान पहुंच सके। इस से यह सिद्ध हो जाता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का कोई आधार नहीं है।

कई माननीय सदस्यों ने सैनिक समझौते के बारे में सुझाव दिया था। क्या सैनिक समझौता करने से पाकिस्तान और चीन के साथ जो हमारे सम्बन्ध हैं उनमें कोई लाभ होगा? इस का उत्तर तो स्पष्ट ही है। सैनिक समझौते के बारे में सोचना राष्ट्रीय हित में नहीं है। हम इस बारे में अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहते हैं क्योंकि, जैसे श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने ठीक ही कहा है, इस प्रकार के सन्देह से मित्र देशों के साथ विशेषकर अफ्रीकी एशियाई देशों के साथ हमारे सम्बन्धों को ठेस पहुंच सकती है।

अफ्रीका के बहुत से देश तटस्थ हैं। एशिया के कुछ देश हैं जिन्होंने सैनिक समझौता किया हुआ है। परन्तु अब वे भी किसी न किसी बहाने से अलग हो रहे हैं। इसलिये सैनिक समझौते में शामिल होने के लिये जो सुझाव दिये गये हैं वे मेरे विचार से ठीक नहीं हैं। समझौते में शामिल होने की तुलना अब डूबते हुए जहाज से की जा सकती है जिस में श्री मसानी और उन के मित्र हमें बैठने के लिये कह रहे हैं। हमारे देश के लोग परिश्रमी हैं, देश-भक्त हैं इस लिये यदि हम सैनिक समझौते में शामिल होते हैं तो हम अपने देशवासियों के मन में ऐसी भावना उत्पन्न करते हैं कि वे देश की रक्षा स्वयं नहीं कर सकते।

जब हम यह कहते हैं कि हम सैनिक समझौते में शामिल नहीं होंगे इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपनी सुरक्षा के लिये मित्र देशों से सहायता नहीं लेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के सभापति होने के नाते दक्षिण वियतनाम में भारत की स्थिति विशेष है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम देखें कि जेनेवा समझौते पर अमल किया जा रहा है और उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है। जब भी आयोग के पास कोई मामला आया हमने निष्पक्ष हो कर उस की जांच की और तब ब्रिटेन और रूस के पास, जो कि सह-सभापति हैं, भेजा। यही कारण था कि पिछले दस वर्षों में वहां की स्थिति बिगड़ी नहीं थी।

अब मैं मलेशिया और इन्डोनेशिया को लेता हूं। सभा को इस बात का पता ही है कि मलेशिया को हम ने मान्यता दी हुई है और हमारे उस के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। मलेशिया के उप-प्रधान मंत्री यहां पर आये हुए थे और हमारी उनके साथ बहुत लाभदायक बातचीत भी हुई थी। जहां तक इन्डोनेशिया के साथ उन के झगड़े का सम्बन्ध है वहां के नेता स्वयं यह चाहते हैं कि झगड़ा समाप्त हो और इस झगड़े का अन्त करने के लिये कोई शांति पूर्ण तरीका निकाला जाये। मलेशिया के प्रधान मंत्री तथा उप-प्रधान मंत्री ने ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के लिये बहुत प्रयत्न किया था जिस से शांति पूर्ण वार्ताचीन हो सके। हम भी पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और हमें आशा है कि यह झगड़ा समाप्त हो जायेगा और उस के स्थान पर समझौता हो जायेगा। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम उन का मध्यस्थ नहीं बनना चाहते हैं परन्तु यदि कोई ऐसी बात हो जो हम कर सकें और दोनों देश हमें कहें तो हम पीछे नहीं हटेंगे।

चाहे युद्ध हो या शांति, उपनिवेशवाद या जातिवाद या आर्थिक असमानता—इन सब मामलों के लिये राष्ट्र संघ का बहुत महत्व है। परन्तु खेद की बात है कि राष्ट्र संघ को स्वयं बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है। उसे शांति बनाये रखने के लिये कार्यक्रमों को करने और विभिन्न देशों द्वारा दिये जाने वाले अंशदान के संबंध में खतरा है। परन्तु

[श्री स्वर्ण सिंह]

यह खुशी की बात है कि इन सब बातों पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। भारत भी इसी समिति का सदस्य है। सारा संसार विशेषकर छोटे तथा अल्प-विकसित देश इस समिति के विचारों के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बड़े देशों के लिये संयुक्त राष्ट्र का चाहे इतना महत्व न हो परन्तु छोटे राष्ट्रों के लिये उसका बहुत महत्व है। हमें आशा है कि वह इस समिति के प्रयत्नों से अपनी पुरानी शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेगा।

हमें यह जान कर बहुत निराशा हुई कि जब हमें यह पता लगा था कि इन्डोनेशिया ने राष्ट्र संघ को छोड़ने का निर्णय कर लिया है। इसको छोड़ने में कोई औचित्य नहीं था। फिर राष्ट्र संघ जैसी एक और संस्था बनाने की बात चल रही थी। परन्तु प्रसन्नता की बात है कि अफ्रीकी-एशियाई देशों ने ऐसी संस्था को स्थापित करने के विचार को छोड़ दिया।

माननीय सदस्यों ने अफ्रीकी-एशियाई देशों में भारत द्वारा लिये गये भाग का उल्लेख किया था। हमारा यह दावा है कि काहिरा में तटस्थ राष्ट्रों का जो सम्मेलन हुआ था उस में भारत ने उल्लेखनीय भाग लिया। इसका महत्व इसलिये है कि क्योंकि इस में शान्तिमय अस्तित्व, तटस्थता तथा समझौते की भावना आदि पर बल दिया गया था। ये ऐसी चीजें हैं जिनका सारे संसार के लिए और विशेषकर हमारे लिये बहुत महत्व है। इस लिये उस के महत्व को कम करना गलती है।

पाकिस्तान से चाहे हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं परन्तु दूसरी ओर स्थित अफगानिस्तान से हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। वहां के प्रधान मंत्री हाल ही में यहां आये हुए थे। हमारे और उन के विचारों में बहुत समानता थी।

नेपाल से भी हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। वहां के विदेश मंत्री भी यहां आये हुये थे। उनसे भी अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्य मामलों पर जो बातचीत हुई थी उस में समान ही विचार व्यक्त किये गये थे। नेपाल के साथ इस समय हमारे सम्बन्ध बहुत ही अच्छे हैं। और हमारी मंशा है कि उन में और भी सुधार किया जाये।

बर्मा के साथ भी हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। मुझे आशा है कि वे और भी सुदृढ़ हो जायेंगे।

अब मैं श्री लंका पर आता हूं। श्रीमती भण्डारनायक की सरकार के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे रहे हैं और मुझे आशा है कि नई सरकार से भी हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहेंगे। सभी को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि बहुत वर्षों के पश्चात् श्री लंका के चुनाव में भारत झगड़े का कारण नहीं बना। यह एक ठीक चीज हुई है क्योंकि इस से उनको यह भावना नहीं होगी कि हमने किसी विशेष दल को प्राथमिकता दी है।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने कहा है कि हमारे उच्चायुक्त को यह पता होगा कि सरकार चुनाव में हारने वाली है। और हमें पुरानी सरकार से करार न कर के नई सरकार बनने की प्रतीक्षा करनी चाहिये थी। मुझे दुःख होता है कि कभी कभी हम पर अनिर्णय का आरोप लगाया जाता है और जब हम कोई निर्णय करते हैं तो यह कहा जाता है कि वह निर्णय

नहीं करना चाहिये था । और हमें विधि तथा संविधान द्वारा स्थापित सरकार से बातचीत नहीं करनी चाहिये थी तथा किसी विशेष सरकार के हारने की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी जो प्रायः असंभव सी बात थी । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि उन्हें अपने पड़ोसी देश के बारे में ऐसे तुच्छ विचार नहीं रखने चाहिए । श्री प्रकाशवीर शास्त्री मेरे विषय में कुछ भी कहें, मैं लंका के साथ अपने देश के सम्बन्ध बिगड़ने नहीं दूंगा । भारतीय मूल के लोगों के संबंध में करार के लिये बातचीत के दौरान श्रीमती भंडारनायक ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस संबंध में विपक्षीय नेता श्री डडले सेना नायक, जो इस समय प्रधान मंत्री हैं, भी सहमत हैं । श्री प्रकाशवीर शास्त्री का यह कथन बिल्कुल असत्य है कि भारत में 50,000 व्यक्तियों को बसाने के बारे में बातचीत हुई थी और हमने एक भी व्यक्ति को भारत में बसाने का प्रयत्न नहीं किया ।

Shri Prakash Vir Shastri : It will be clear if you look into the records of the Commonwealth Prime Ministers' Conference held in 1953.

श्री स्वर्ण सिंह : वास्तव में, हमारे पूज्य नेता नेहरू जी सदैव इच्छुक थे कि किसी तरीके से यह मामला हल हो जाये और यह भारत और लंका के बीच किसी प्रकार के तनाव का कारण न बने । मैं समझता हूँ कि यह बुद्धिमानीपूर्ण कार्य नहीं है कि ठीक ऐसे समय, जबकि हमारे निकटतम पड़ोसी देशों से हमारे संबंध निश्चित रूप से अच्छे व अधिक मैत्रीपूर्ण होते हैं, उनकी आलोचना की जाती है ।

मैं पूर्णतया सहमत हूँ कि अफ्रीकी देशों से मित्रता सुदृढ़ करनी चाहिए । उन से हमारे संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण तथा अच्छे हैं । मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि अधिक से अधिक देशों में राजनयिक शिष्ट मंडल स्थापित करने चाहिये लेकिन वित्त की कमी बाधक है । लेकिन हमारे प्रयास जारी रहेंगे । हम अफ्रीकी देशों से निकटतम आर्थिक सम्बन्ध व सहयोग स्थापित करना चाहते हैं, और उन्होंने इसकी सराहना की है । अल्जीयर्स में होने वाला सम्मेलन गुटों से अलग राष्ट्रों के सम्मेलन से अधिक जटिल होगा क्योंकि इसका आयोजन भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया गया है न कि विचारधारा के आधार पर । हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा कि हमारा दृष्टिकोण उचित प्रकार से रखा जाये और सम्मेलन में विचार-विमर्श का परिणाम अफ्रीकी एशियाई एकता के सामान्य हित में हो । कुछ मतभेदों को छोड़ कर अनेक समान बातें हैं । सभी देश पूरी तरह विकसित नहीं हैं अब सब के सामने उपनिवेशवाद, जातिवाद और आर्थिक विषयों संबंधी समस्याएँ हैं । दुर्भाग्य से इंडोनेशिया को छोड़ कर सभी की यह सामान्य इच्छा है कि संयुक्त राष्ट्र को सुदृढ़ किया जाये । हमें सर्वदा ऐसी प्रगतिशील देशों को पक्ष का समर्थन करना चाहिए जो उपनिवेशवाद को समाप्त करने व शान्ति प्रेरक शक्तियों को सुदृढ़ बनाने के आधार पर, न कि विरोध के आधार पर, अफ्रीका तथा एशिया के भविष्य निर्माण के लिये प्रयत्न कर रहे हैं ।

पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ और सभा में पाकिस्तान के साथ वर्तमान सम्बन्धों की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का मैंने उल्लेख किया । यद्यपि इस समय अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हैं लेकिन अन्ततोगत्वा किसी प्रकार के समझौते द्वारा इनका समाधान करना होगा । मैं इस समय इतना जानता

हूँ कि कोई यह नहीं कह सकता कि मैंने यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। हमने हमेशा यह कहा है कि सभी मित्र देशों से जो सैनिक सहायता प्राप्त हो रही है और अपनी सैनिक व रक्षा शक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिये जो कदम उठाये गये हैं, उनका उद्देश्य विदेशी आक्रमण से अपने देश की एकता व प्रभुसत्ता की रक्षा करना है। यह दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान झूठा प्रचार कर रहा है कि भारत इस प्रकार पड़ोसी देशों के लिये खतरा उत्पन्न कर रहा है। मैं यह भी बता दूँ कि भारत को हानि पहुंचाने की अपनी इच्छा से पाकिस्तान हमारे कुछ अन्य पड़ोसियों में ऐसे काल्पनिक भय उत्पन्न करता है जो बिल्कुल निराधार होते हैं। पाकिस्तान और चीन के साथ इस झगड़े को छोड़कर अपने पड़ोसियों से हमारे सम्बन्ध अत्यधिक मैत्रीपूर्ण हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि जब हम चीनी खतरे का सामना करने के लिये अपनी रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं तो पाकिस्तान किस प्रकार भारत विरोधी प्रचार करता है। भारत की शक्ति का अभिप्राय विश्व के इस भाग यथार्थ स्थिरता है और हमारी मंशा है कि हम भारत को अधिक शक्तिशाली बनाने में लगे रहें ताकि न केवल हम आक्रमण से अपनी सीमा की रक्षा कर सकें बल्कि देश में व बाहर अपनी इन नीतियों के अनुसरण से इस क्षेत्र की स्थिरता के लिये महत्वपूर्ण योगदान कर सकें।

श्री मी० रू० मसानी : श्रीमान, मैं आपकी अनुमति से अपनी कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहता हूँ क्योंकि विदेश मंत्री ने उन्हें बहुत विकृत कर दिया है। मैंने अपने भाषण में दो टिप्पणियाँ की थीं जिस से प्रादेशिक सुरक्षा के लिए मेरे प्रस्ताव का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिये। मैंने कहा था कि एक ओर जापान तथा दूसरी ओर भारत व बीच के छोटे देश समान खतरे का सामना कर सकेंगे। वियतनाम, और लाओस के पतन का उल्लेख करते हुए मैंने आगे कहा था कि जब कराची से लेकर सिंगापुर तक सारे रास्ते में चीनी साम्यवादी व उन के पिछलग्गू होंगे तो भारत चारों ओर से घिर जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 7, 8, 13 से 18 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Cut Motions Nos. 7, 8, 13 to 18 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं शेष सभी कटौती प्रस्ताव रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 23 से 34 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Cut motions No. 23 to 34 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा वैदेशिक कार्य मन्त्रालय कौ मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following Demands in respect of Ministry of External Affairs were put and adapted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
22	आदिम जाति क्षेत्र	रूपये 13,48,07,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
23	वैदेशिक-कार्य	15,69,36,000
24	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	7,21,16,000
119	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,25,00,000

असैनिक उड्डयन मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा असैनिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेंगे ।

वर्ष 1965-66 के लिये असैनिक उड्डयन मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	असैनिक उड्डयन मंत्रालय	11,88,000
2	ऋतु विज्ञान	2,50,75,000
3	उड्डयन	5,66,67,000
4	असैनिक उड्डयन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	6,74,000
113	असैनिक उड्डयन पर पूंजी परिव्यय	5,20,07,000
114	असैनिक उड्डयन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	1,000

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : अध्यक्ष महोदय मैं जून, 1964 से पृथक् असैनिक उड्डयन मंत्रालय बनाने का स्वागत करता हूँ । भारत में असैनिक उड्डयन 1936-37 में आरम्भ हुआ था । मुझे इस समय वर्तमान कम्पनियों में से एक में सक्रिय भाग लेने का सौभाग्य रहा था । इस अवसर पर मैं पहले के असैनिक उड्डयन के प्रवर्तकों की, जैसे श्री जे० आर० डी० टाटा तथा पी० एम० कबाली, की प्रशंसा करता हूँ । 32 वर्ष पहले असैनिक उड्डयन में प्रगति के लिये टाटा घराना सराहना का अधिकारी है, जब उन्होंने टाटा एयरलाइन्स स्थापित की जिसका बाद में राष्ट्रीयकरण से हो गया ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.

एयर इंडिया इंटरनेशनल के विश्व की एक श्रेष्ठतम कम्पनियों में से एक होने का श्रेय श्री जे० आर० डी० टाटा को है । यह प्रशंनीय है कि एयर इंडिया इंटरनेशनल म इस वर्ष लाभ हुआ है । इस की सेवायें चारों दिशा में विभिन्न देशों के बीच चलती हैं जब कि पहले इसकी सेवायें लन्दन व बम्बई के बीच ही थीं । इसकी सेवाओं को प्रथम श्रेणी की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है । 1963-64 में 1962-

63 से भी अधिक लाभ हुआ । इससे अत्यावश्यक, विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हुई । इस के विमान चालक, थल (ग्राउंड) इंजीनियर तथा अन्य कर्मचारी बहुत योग्य हैं ।

प्रतिवेदन के पृष्ठ 52 पर इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का उल्लेख है । 1963-64 में 104.42 लाख रुपये की कुल बचत हुई जो पिछले वर्षों में सब से अधिक है । राष्ट्रीयकरण के पश्चात् आरम्भ में सेवायें चालू करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था लेकिन 30 नवम्बर, 1964 को इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के पास 66 विमान थे । भारत में असैनिक उड्डयन का भविष्य बहुत उज्ज्वल है क्योंकि भारत की स्थिति ऐसी है कि एक या दो महीनों को छोड़कर प्रायः मौसम साफ रहता है । मैंने 1937 में बम्बई में एक भाषण के दौरान कहा था कि एक दिन ऐसा आयेगा जब हम नाश्ता लन्दन में, चाय जापान में ले सकें । तथा रात्रि के भोजन के लिये घर वापस आ सकेंगे । अब वह संभव हो गया है । अगले पांच या सात वर्षों में हम देखेंगे कि भारत में विमान भूमि से सीधे उड़ सकेंगे व सीधे भूमि पर उतर सकेंगे । मेरे विचार में असैनिक उड्डयन के क्षेत्र में भविष्य में हैलीकाप्टरों का अधिकाधिक प्रयोग होगा । ये सभी मौसमों में सैनिकों, टैंक, राइफल आदि तथा सैनिक समग्री बीहड़ क्षेत्रों में ले जाने के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे ।

श्री एस० के० कूका के नेतृत्व में स्थापित विशेषज्ञ समिति का यह सुझाव बुद्धिमत्तापूर्ण है कि भारत और दूसरे देशों के बीच विमानों द्वारा माल लाने-ले जाने के लिये डी० सी० 4 विमानों का प्रयोग किया जाय । भविष्य में इस ओर उचित ध्यान देना चाहिये । इस समिति ने सावधान किया है कि इसके द्वारा प्रस्तावित विमान द्वारा माल लाने-ले जाने संबंधी निगम से पहले तीन वर्षों में लाभ की आशा नहीं करनी चाहिये । क्योंकि आरम्भ में विश्व की किसी भी कम्पनी को लाभ नहीं हुआ है ।

असैनिक उड्डयन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में विमान-चालकों को दिये गये लाइसेंसों के आंकड़ों से इस दिशा में प्रगति निराशाजनक प्रतीत होती है । इस ओर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए । विमान कम्पनियों को चाहिए कि विमान चालकों की भर्ती व प्रशिक्षण का कार्य अपने आप सम्भाले अन्यथा सैनिक सेवा से निकले पुराने चालकों के रिटायर होने पर चालकों की अत्यधिक कमी हो जाएगी । भारत में सरकार को चाहिये कि भारतीय वायु सेना में सैनिक व व्यवसायी (कर्मशियल) चालकों की भर्ती करे ताकि बड़ी संख्या में विमान चालकों को प्रशिक्षण दिया जा सके ।

गुजरात राज्य में विमान यात्रा के विकास के लिये मेरे कुछ सुझाव हैं । प्रथम, अहमदाबाद-दिल्ली सेवा को उदयपुर-जयपुर होकर चलाना चाहिये ताकि क्षमता का उपयोग हो सके तथा गुजरात से राजस्थान के बीच विमान यात्रा की सुविधा प्राप्त हो । दूसरे अहमदाबाद का राजकोट व कच्छ (भुज तथा कांडला) से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये । इस समय सौराष्ट्र-कच्छ व दिल्ली के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है । इससे सौराष्ट्र के व्यक्तियों को विमान यात्रा के लिये सुविधा प्राप्त होगी तथा कांडला बन्दरगाह के कर-मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित हो जाने से दिल्ली और कांडला के बीच विमान सेवा अत्यावश्यक हो गई है । अहमदाबाद और बम्बई के बीच सेवायें अधिक व बड़ौदा

होकर चलानी चाहिये। कांडला, राजकोट तथा अहमदाबाद जैसे हवाई अड्डों पर विश्राम-गृह, जलपान-गृह आदि सुविधायें प्रदान करनी चाहियें। सूरत का बम्बई व अहमदाबाद से विमान सम्पर्क स्थापित करना चाहिये। मेरा अन्तिम सुझाव है कि सैनिक व औद्योगिक महत्व को ध्यान में रखते हुये अहमदाबाद में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना चाहिये जिस पर बोइंग विमान उतर सकें।

Sari Hakam Chand Kachhavaia : There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : कोरम की घंटी बजाई जा रही है। अब कोरम हो गया है।

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ (बडौदा) : मैं इस मंत्रालय को सरकार के सब से अधिक अकुशल विभागों में से एक समझता हूँ। मैंने इस मंत्रालय के बारे में भाषण देते हुये चार वर्ष पहले कहा था कि बम्बई के लिये विमान में एक सीट प्राप्त करना संभव है लेकिन अपने आगमन की सूचना देने के लिये बम्बई ट्रंक काल करना बहुत कठिन है। लेकिन इस समय स्थिति विपरीत है। जब भी आप सीट बुक करना चाहते हैं, आपका नाम प्रतीक्षक सूची में डाल दिया जाता है। अन्ततोगत्वा आपको सीट मिल जाती है और विमान में प्रवेश करने पर पता लगता है कि विमान खाली पड़ा है। मंत्री महोदय कहेंगे कि ऐसा इसलिये होता है कि पर्यटन एजेंसियां महीनों पहले सीट बुक करवा लेती हैं और अन्त में इनको रद्द कर देती हैं। मैं इस तर्क को मान सकता हूँ यदि ऐसा यदाकदा हो, लेकिन यह तो प्रतिदिन की बात हो गई है।

मुझे अपने एक अमरीकी मित्र का कटु अनुभव याद है। उन्हें हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा विमान के चलने के समय के बारे में गलत सूचना देने के कारण यात्रा में कठिनाई और वित्तीय हानि उठानी पड़ी। हमारे प्रमुख हवाई अड्डे गत समय के अवशेषों के समान हैं और नए भी गलत तरीके के बनाये गये हैं। हमें सान्ता क्रुज हवाई अड्डे के टर्मिनल की प्रसिद्ध घटना याद है कि इसके उद्घाटन समारोह के दिन यह पता लगा कि वे सीमा शुल्क शेड बनाना भूल गये थे। हवाई अड्डों पर टर्मिनलों पर हमेशा इतनी अधिक भीड़-भाड़ रहती है कि अनेक बार मैं विमान तक कठिनाई से पहुंच सका। मेरा सुझाव है कि कम से कम देश के चार बड़े शहरों में आधुनिकतम विमान टर्मिनल बनाये जाये जहां विशेष यात्री विश्राम कक्ष होने चाहिये ताकि दर्शक विशेष स्थान से आगे न जाने पायें। यात्रियों की जांच के बारे में बहुत दुर्व्यवस्था है। अनेक स्थानों पर जांच की जाती है और विमान में प्रवेश करने के बाद भी गणना की जाती है। मुझे घटना याद आती है जिसमें विमान परिचारिका तथा स्ट्यूवर्ड ने अनेक बार गणना की लेकिन ठीक संख्या नहीं पता लगा सके।

यह दुःख की बात है कि आपातकाल के समय देश के धन का अपव्यय हो रहा है। पालम हवाई अड्डे के विस्तार कार्य को ही लीजिये। इस पर गत वर्ष एक लाख रुपये से अधिक खर्च किये जा चुके हैं और इस वर्ष 4 लाख रुपये और खर्च किये जायेंगे। फिर भी अभी तक वहां पर कोई कार्य नहीं हो पाया है यात्रियों को होने वाली असुविधायें पूर्ववत् बनी हुई हैं। मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करनी चाहिये तथा सभा को बताना चाहिये कि क्या यह धन दर्शक कक्ष बनाने पर व्यय किया जा रहा है अथवा यात्रियों की सुविधाओं पर।

यह ठीक है कि डकोटा विमान पहले बहुत उपयोगी थे किन्तु अब समय आ गया है जब कि डकोटा विमानों से अच्छे विमान उपलब्ध होने लगे हैं। अतः डकोटा के स्थान पर अच्छे विमानों का उपयोग किया जाना चाहिये। मुझे इस बात का हर्ष है कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन अन्ततः डकोटा के स्थान पर एब्रो 748 खरीद रहा है।

बम्बई बड़ौदा विमान सेवा बड़ी असुविधाजनक है। बड़ौदा से कलकत्ता, बंगलौर तथा मद्रास जाने वाले यात्री उसी दिन अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं। मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिये तथा यह सेवा इस प्रकार होनी चाहिये कि यात्रियों को दूसरे शहरों के लिए विमान मिलने में अधिक समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

बड़ौदा हवाई अड्डा 1937 में बनाया गया था। इसमें कई विमान सेवायें चलीं किन्तु सदैव इसे उपेक्षित ही समझा गया। इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः मेरा अनुरोध है कि इस हवाई अड्डे को उचित रूप से नये प्रकार का बनाया जाय तथा उसकी मरम्मत की जाय। इसको बड़े विमानों के उतर सकने लायक बनाया जाना चाहिये। सभा को विदित है कि भविष्य में बड़ौदा का महत्व बढ़ जाएगा। अतः वहां एक अच्छा हवाई अड्डा होना अत्यन्त आवश्यक है।

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हवाई सेवाओं में सुधार किया जाए।

असैनिक उड्डयन मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
3	1	श्री दाजी	विमान यात्रियों की सुरक्षा के हित में असैनिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव और इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के अध्यक्ष के पदों पर अलग अलग व्यक्ति न रखना।	राशि घटाकर 1 रुपया की जाय
3	2	श्री दाजी	अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन सभा के संकल्प को जिसमें विमान चालन और विमान यातायात सेवाओं के संचार कार्य में लगे हुये कर्मचारियों के काम की दशाओं में सुधार करने और उनके वेतनक्रम बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है? कार्यान्वित करने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
3	3	श्री दाजी .	उन कर्मचारियों को अर्ध-स्थायिता प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता जो कई वर्षों से उसके हकदार हैं ।	100 रुपये
3	4	श्री दाजी .	दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार असैनिक उड्डयन कार्य—संचालन कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त समय के भत्ते की दरों में परिवर्तन करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	5	श्री दाजी .	बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली हवाई अडों पर ऐसे स्कूलों की व्यवस्था करने की आवश्यकता जहां भोजन और निवास की सुविधा हो ।	100 रुपये
3	6	श्री दाजी .	असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण के लिये तैनात कर्मचारियों को दैनिक भत्ता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	7	श्री दाजी .	विभिन्न हवाई अडों में कर्मचारियों के लिये कैंटीन खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	8	श्री दाजी .	चौकीदारों और मेहतरों को उन्हीं घण्टेवार दरों से, जो असैनिक उड्डयन विभाग के अन्य कार्य संचालन कर्मचारियों पर लागू की जाती है, अतिरिक्त समय का भत्ता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	9	श्री दाजी .	सहायक हवाई अड्डा पदाधिकारियों को पदोन्नति के लिये विभागीय कोटा 20 से बढ़ा कर 50 प्रतिशत करने के संबंध में दिया गया आश्वासन कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
3	10	श्री दाजी .	रात्रि कर्तव्य के लिये अतिभार देने के संबंध में केन्द्रीय वतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	11	श्री दाजी .	उपलब्ध स्थायी पदों पर अराजपत्रित कर्मचारियों को स्थायी करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	12	श्री दाजी .	भर्ती के नियम और पदोन्नति की नीति में समय समय पर किये जाने वाले रूप-भेदों को प्रकाशित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	13	श्री दाजी	दौरे पर गये हुए अराजपत्रित कर्मचारियों को हवाई अड्डों के विश्राम कक्षों में उसी प्रकार सस्ता स्थान दिलाने की आवश्यकता, जो राजपत्रित पदाधिकारियों को दिया जाता है ।	100 रुपये
3	14	श्री दाजी .	विभिन्न हवाई अड्डों पर जो पड़ोस के शहरों से काफी दूरी पर हैं, काम करने वाले कर्मधारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये रियायती दरों पर परिवहन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	15	श्री दाजी .	कर्मचारियों के अभ्यावेदनों के निबटारे में अनुचित विलम्ब रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	16	श्री दाजी .	उन पदालियों में जिनमें पदोन्नति के कोई मार्ग नहीं हैं, दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सेलेक्शन ग्रेड पदों का निर्माण करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
3	17	श्री दाजी .	जैसाकि अन्य विभागों में है, वरिष्ठ और कनिष्ठ लिपिकों के बीच 2:1 के अनुपात में वरिष्ठ लिपिकों के पदों का निर्माण करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	18	श्री दाजी .	-असैनिक उड्डयन कर्मचारियों की अखिल भारतीय सेवा संबंधी उत्तरदायित्व और हवाई अड्डे दूर दूर होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुये उन्हें रिहायशी जगह देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	19	श्री दाजी .	दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मोटर परिवहन चालकों और टेलीफोन आपरेटरों के वेतन क्रमों को बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	20	श्री दाजी .	विभिन्न मंत्रालयों की स्टाफ कारों की मरम्मत और देखभाल करने वाले ई एंड एम वर्कशाप को स्थायी संस्थान बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	21	श्री दाजी .	असैनिक उड्डयन विभाग के चौकीदारों के काम करने के घंटे कम कर के एक सप्ताह में 48 घंटे और एक दिन छुट्टी की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	22	श्री दाजी .	असैनिक उड्डयन विभाग के कार्य संचालन कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी न देना ।	100 रुपये
3	23	श्री दाजी .	विभिन्न हवाई अड्डों पर दो या तीन प्रशासकों को रखने के बजाय, जैसाकि इस समय है, एक प्रशासक रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
3	24	श्री दाजी .	शिल्पिक तथा कार्य संचालन कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में पर्याप्त संख्या में अनुसचिवीय पदों का निर्माण करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	25	श्री दाजी .	जो कर्मचारी अपने वेतन-क्रम में अधिकतम वेतन तक पहुंच चुके हैं उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	26	श्री दाजी .	वर्कशाप समिति, भंडार समिति और वर्दी समिति की रिपोर्टों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	27	श्री दाजी .	असैनिक उड्डयन कार्य संचालन कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित अतिरिक्त समय भत्ता दरों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	28	श्री दाजी .	सभी पदों के लिये परीक्षा के बजाय पूर्ण रूप से वरिष्ठता के आधार पर 50 प्रतिशत तक अराजपत्रित पर्यवक्षी पदों पर पदोन्नति की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	29	श्री दाजी .	आयकर, डाक-तार आदि जैसे अन्य विभागों में प्रचलित 'मापदंड' के आधार पर वरिष्ठ लिपिकों, प्रमुख लिपिकों और अधीक्षकों के पदों का निर्माण न करना ।	100 रुपये
3	30	श्री दाजी .	असैनिक उड्डयन विभाग के कार्य संचालन कर्मचारियों को 9 पूरी-पूरी छट्टियां देने की आवश्यकता, जैसा कि डाक-तार विभाग के कर्मसंचालन कर्मचारियों को दी जाती है ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
3	31	श्री दाजी .	असैनिक उड्डयन विभाग द्वारा पालम हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना से अपने हाथ में ले लिये जाने पर, पालम हवाई अड्डे पर नियुक्त कर्मचारियों को निःशुल्क परिवहन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	32	श्री दाजी .	असैनिक उड्डयन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसचिवीय कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति के लिये मापदंड निर्धारित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	33	श्री दाजी .	कर्मचारियों को विभिन्न हवाई अड्डों पर सामुदायिक केन्द्रों का मनोरंजन के प्रयोजनार्थ उपयोग करने की अनुमति देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
3	34	श्री दाजी .	दूर के हवाई अड्डों के मामले में कम से कम हफ्ते में एक बार बाजार जाने के लिये निःशुल्क परिवहन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये

उप अध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत हैं ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कच्चार) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सराहनीय बात है कि असैनिक उड्डयन मंत्रालय को परिवहन मंत्रालय से पृथक किया गया । यद्यपि सरकार देश के सभी भागों में विमान सेवाएं चालू करने का प्रयत्न कर रही है किन्तु अभी कई भागों में सेवाएं चालू नहीं हो पाई हैं । देश के जिन भागों में सड़क अथवा रेल से नहीं पहुंचा जा सकता उन्हें पहले विमान द्वारा मिलाया जाना चाहिये । इसमें लाभ अथवा हानि का प्रश्न नहीं अपितु विकास करने तथा एकता लाने का प्रश्न है ।

प्रतिवेदन को पढ़ने से ज्ञात होता है कि 1963-64 में एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने राष्ट्रीयकरण के बाद सब से अधिक लाभ कमाया ।

Shri Hukam Chand Kachhavaia (Dewas) : There in no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीया सदस्या बैठ जायें । घंटी बज रही है.... अब गणपूर्ति हो गई है । अब वह अपना भाषण जारी रखें ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : यह सराहनीय बात है कि मंत्रालय विमान निगमों के कर्मचारी संघ, इंजीनियर संघ तथा रेडियो अधिकारी संघ के साथ समझौते करने में सफल रहा । अधिकारों संघ के साथ बातचीत चल रही है ।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
[**Shri Thirumal Rao in the Chair**]

ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय वाणिज्यिक विमान चालक संघ और प्रबन्धकों के बीच समझौता हो गया है तथा उड़ान के समय आदि के बारे में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का पंचाट मान लिया गया है । आसाम क्षेत्र में विमान सेवा सन्तोषजनक नहीं है । इम्फाल, कचार तथा त्रिपुरा का शेष भारत के साथ विमान द्वारा उचित सम्पर्क नहीं है । 1 अप्रैल 1965 से कलकत्ता से अग्रतला होते हुए सिलचर तक फोकरफ्रेडशिप विमान सेवा चालू की गई है किन्तु इसमें काफी समय लगता है जिससे यात्री समय पर नहीं पहुंच पाते हैं ।

डम-डम से सिलचर और वहां से वापसी की उड़ानों के समय, विशेष रूप से इस ऋतु में, उचित रूप से निर्धारित नहीं किये गये हैं । अप्रैल और मई के महीनों में तूफान, जिन्हें हम काल बैसाखी कहते हैं, हमारे क्षेत्र में दोपहर के बाद प्रायः रोज आ जाते हैं अतः तूफानों के समय उड़ान करना वांछनीय नहीं है । क्योंकि विमानों को गंतव्य स्थान तक पहुंचे बिना वापस लौटना पड़ता है, अतः माननीय मंत्री को इस मामले पर गौर करना चाहिए और प्रबन्धकों को इस बात के लिए राजी करना चाहिए कि वे उड़ान के समयों में परिवर्तन कर । उड़ान प्रातः काल की जानी चाहिए जिससे कि विमान यात्रियों को खतरे में डाले बिना गंतव्य स्थान पर पहुंच जाये । कलकत्ता-अग्रतला-सिलचर-इम्फाल के बीच चलने वाले माल वाहक विमान सेवा बन्द कर दी गई है, उस क्षेत्र में सभी उपभोग की आवश्यक वस्तुएं विमान द्वारा ही पहुंचायी जाती थीं क्योंकि रेल और सड़क परिवहन सन्तोषजनक और सुगम नहीं है । इसके साथ साथ वह महंगा भी पड़ता है । अतः मंत्री महोदय से अनुरोध है कि यह सेवा तुरन्त चालू करा दी जाये । सिलचर और गौहाटी के बीच पिछले कुछ वर्षों से कोई विमान-सेवा नहीं है । गौहाटी से सिलचर तक एक डकोटा विमान चला करता था किन्तु लाभदायक न होने के कारण से यह सेवा बन्द कर दी गई । गौहाटी और सिलचर के बीच रेल गाड़ियों तथा बसों द्वारा यातायात संतोषजनक नहीं है । गौहाटी राज्य का सब से अधिक महत्वपूर्ण स्थान है । अतः मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में विचार करके शीघ्र पुनः विमान सेवा चालू करने के लिए कदम उठाये । यदि यह सेवा दैनिक नहीं हो सकती तो कम से कम सप्ताह में दो बार अवश्य होनी चाहिए ।

मिजो पहाड़ियों में प्रति वर्ष विमानों से खाद्य सामग्री गिरानी पड़ती है । इसमें काफी खर्च होता है । इस क्षेत्र में विमानों के उतरने की कोई व्यवस्था नहीं है ; अतः सरकार

को उस क्षेत्र में हवाई पट्टी बनाने के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए जिस से प्रति वर्ष व्यर्थ व्यय होने वाले व्यय को बचाया जा सके ।

मोहनबाड़ी में हवाई अड्डे के चल रहे निर्माण के कारण उस क्षेत्र में इस समय विमान सेवा बन्द कर दी गई है । वर्षा ऋतु आरंभ हो जाने से फिर इस क्षेत्र में काम करना कठिन हो जायेगा । अतः इसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए ।

जोरहाट में टर्मिनल बिल्डिंग संतोषजनक स्थिति में नहीं है, वहां पर किसी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है । यात्रियों के लिए मार्ग में सुविधाओं की व्यवस्था करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : Mr. Chairman, although the Annual Report of the Ministry shows that the air Corporations have earned good profits last year yet the fact is that that department had to suffer huge losses on account of corruptions and inefficiency.

The air Corporations were functioning efficiently when they were in the private Sector. But after nationalisation their efficiency has been steadily going. People now have to stand in long queues and wait for hours to get their seats reserved. The persons who are conversant with Hindi alone, have to face great difficulty in getting their seats booked as the staff posted in booking offices do not possess the knowledge of that language.

We should expand our air services in the international field so that we may earn more foreign exchange at the same time get necessary assistance from other countries in case of emergency.

By using Pakistan Airlines a number of Chinese fly over the Indian territory which is very dangerous for our national security. Government should take strong measures to check this menace.

Jaipur, Kotah, Jhalawar and Bhopal should be brought on the Delhi-Ahmedabad air route. The services should be expanded to cover more areas and towns. If the Government is unable to run these services it should hand them over to the private sector. Aerodromes should be constructed in big cities.

Helicopters could be of great use in these days of advancement. We can save a lot of our valuable time by taking to them more and more. Government give due consideration to this aspect of the matter.

The arrival time of the plane coming from Bombay at Baroda is quite inconvenient. It should be adjusted to suit the passengers.

श्रीमती यशोदा रेड्डी (कुरनूल) : यह सराहनीय बात है कि असनिक उड्डयन मंत्रालय एक पृथक् मंत्रालय बनाया गया है । इसमें अनेक सुधार किए गये हैं । किन्तु इन सुधारों के बावजूद भी मंत्रालय ने इतनी प्रगति नहीं की जितनी कि उस से आशा की जाती है ।

[श्रीमता यशोदा रेड्ड]

आज के युग में मनुष्य अपने कार्यों में इतना व्यस्त है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहता। अतः समय की मांग के अनुसार इस समय सीधे और तब्र गति वाले परिवहन का प्रबन्ध होना चाहिए। भारत एक विशाल देश है और इसमें परिवहन के विकास की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन को देखने से ज्ञात होता है कि एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने पिछले वर्ष अत्यन्त सराहनीय कार्य किया है। इन विमान निगमों ने गत वर्ष सब वर्षों की अपेक्षा अधिक लाभ कमाया। किन्तु जहां तक देश के अन्दर चलने वाली विमान सेवा का सम्बन्ध है इसमें काफी प्रगति की गुंजायश है।

सरकार ने पिछले वर्ष "कैरेवेल" सेवा आरंभ करके अत्यन्त सराहनीय कार्य किया। इसके लिए वह बधाई की पात्र है। किन्तु यह दुख की बात है कि देहली से मद्रास तक विमान सेवा में प्रतिदिन घाटा हो रहा है। मुझे पता चला है कि इस सेवा के विमान हैदराबाद होते हुए जायेंगे जिससे यात्रियों को काफी सुविधा हो जायेगी।

इस समय तीन वर्कशापों में, अर्थात् कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में, विमानों को ओवरहाल किया जाता है। हैदराबाद वर्कशाप में 1,400 कर्मचारी काम करते थे किन्तु दुख की बात है कि यह संख्या कम करके केवल 400 कर दी गई है। सरकार का कहना है कि डकोटा विमानों का ओवरहाल हैदराबाद में ही किया जायेगा। किन्तु इतने कम कर्मचारियों से वहां ओवरहाल का कार्य होना संभव है। यद्यपि यह आश्वासन दिया गया था कि इस वर्कशाप को हैदराबाद से नहीं हटाया जायेगा। फिर भी उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को दिल्ली तथा कलकत्ता भेज दिया गया।

'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार डकोटा विमानों के स्थान पर एवरो विमान चला रही है। इसके साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया है कि एवरो विमानों के ओवरहाल का कार्य समूचे तौर पर हैदराबाद वर्कशाप में किया जायेगा। सरकार को कम से कम अपना यह आश्वासन तो पूरा करना ही चाहिए।

पहले हैदराबाद जाने वाला वाइकाउन्ट प्रातः छः बजे चलता था किन्तु अब उसका समय 11 या 12 बजे दिन में कर दिया गया है। पहले का समय दिल्ली में पड़ने वाली कड़ी सर्दी के कारण यात्रियों के लिए असुविधाजनक था और अब गर्मियों में दिल्ली में 9 बजे के बाद बाहर निकलना कठिन हो जायेगा। अतः विमान के उड़ान के समय में परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि अधिक संख्या में लोग विमान से सुविधापूर्वक हैदराबाद जा सकें। हैदराबाद और विशाखापटनम के बीच चलने वाली डकोटा सेवा अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रही है किन्तु इस पर भी सरकार कहती है कि राज्य सरकार को घाटा पूरा करना चाहिए। यदि वास्तव में इस सेवा से घाटा हो रहा है तो इन विमानों के स्थान पर 'फोकर फ्रेंडशिप, अथवा कोई अन्य सेवा चालू की जानी चाहिए।

हैदराबाद से बेजवाड़ा और भुवनेश्वर होती हुई एक सीधी विमान सेवा चालू की जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस सेवा से सरकार को लाभ होगा तथा यात्रियों को काफी सुविधा हों जायेगी।

पहले हमारे देश में विमान चालकों की बहुत कमी थी जिससे कभी कभी विमान निश्चित समय पर उड़ान नहीं कर सकते थे और यात्रियों को बहुत असुविधा होती थी। अब जैट विमान चलने से पर्याप्त संख्या में विमान चालक उपलब्ध हो जायेंगे क्योंकि जैट विमानों द्वारा अनेक कार्य किये जाने के कारण कम विमान चालकों की आवश्यकता होगी। किन्तु फिर भी हमारे यहां विमान चालकों की कमी रहेगी।

सरकार को विमान-चालकों को आरंभ से ही प्रशिक्षण देने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए। जब तक सरकार एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को नहीं मिलाती तब तक कठिनाइयां आती रहेंगी। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस मामले की जांच करके कोई उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 2 अप्रैल, 1965/12 चैत्र, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday the 2nd April, 1965/Chaitra 12, 1887 (Saka).